खण्ड-219, अंक-2
बुधवार, 3 फाल्गुन, शक संवत् 1882
(22 फरवरी, 1961 ई0)

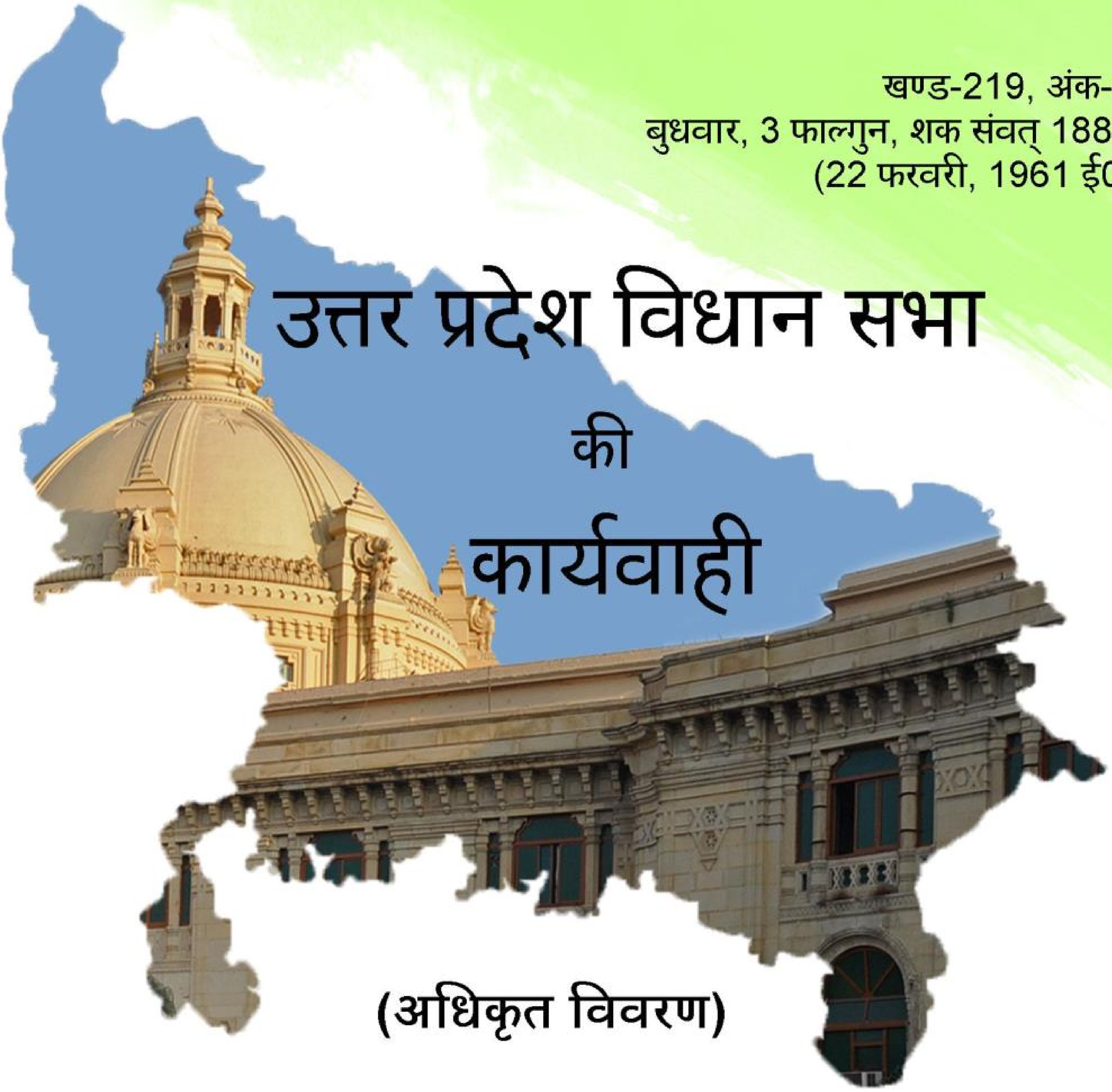

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 219 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २२ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५८

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन , श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री

घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिक प्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरग्राम हैदर , श्री सैयद
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दुय धन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री

बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मद गोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव , श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्र शाह, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त, वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २२ फरवरी, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सोडा ऐश फैक्ट्री, दुल्हीपुर, वाराणसी के मजदूरों की मांगें

**१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सोडा ऐश फैक्टरी, दुल्हीपुर, वाराणसी के मजदूर श्री अवधनाथ पाण्डेय व श्री शम्भूनाथ श्रीवास्तव तारीख ७ फरवरी, १९६१ से व श्री श्यामलाल तारीख १० फरवरी, १९६१ से कुछ मांगों को लेकर आमरण अनशन साहूपुरी मैनेजमेंट के खिलाफ कर रहे हैं? यदि हां, तो इनकी मांगें क्या-क्या हैं?

श्रम उपमंत्री (श्री वसी नकवी)—नहीं, भूख हड़ताल १४-२-६१ को समाप्त हो गई। मांगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६५ पर)

**२—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उपर्युक्त मजदूर आई० एन० टी० यू० सी० के हैं? उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री वसी नकवी—सर्वश्री अवधनाथ पांडेय तथा शम्भूनाथ श्रीवास्तव आई० एन० टी० यू० सी० के सदस्य हैं। श्री श्यामलाल की इस संस्था की सदस्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त के हस्तक्षेप से मामले में एक समझौता हो गया है और भूख हड़ताल समाप्त हो गई है।

श्री ऊदल—मांगों की जो लिस्ट है इसमें १८ मांगें हैं, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन-सी मांगें मैनेजमेंट ने मान ली हैं?

श्री वसी नकवी—यह जो समझौता है उसको अगर आप इजाजत दें तो पढ़ दूं?

श्री अध्यक्ष—बहुत बड़ा है क्या?

श्री वसी नकवी—जी, बड़ा तो है।

श्री अध्यक्ष—तो संक्षेप में बता दीजिए।

श्री वसी नकवी—उनकी जितनी डिमांड्स थीं उनमें से ज्यादा तर मान ली गई हैं और जो रह गई हैं उनको कंसीलियेशन बोर्ड में रेफर कर दिया गया है या जिस अथार्टीज से मुताल्लिक हैं। इसलिये उन्होंने उसे समाप्त कर दिया है।

श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि उस फैक्टरी में अभी तक न्यूनतम मजदूरी की दर नहीं लागू है ?

श्री अध्यक्ष—अगर आप रेफर करके प्रश्न करते कि मांगों में कौन-सा नम्बर है जोकि न्यूनतम वेतन से संबंधित है तो ज्यादा अच्छा होता और उनको जवाब देने में आसानी होती।

श्री ऊदल—नम्बर ६ है, क्या इसके बारे में समझौता हुआ है ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—इनकी डिमांड नं० २, १२ १६, १७ कंसीड हो गई हैं और डिमांड नं० १, ३, ४, ५, ६, ७, ९ कंसीलियेशन बोर्ड के सामने हैं और इनका फैसला आने वाला है। डिमांड नं० १८ के बारे में एडीशनल रीजनल कंसीलियेशन आफिसर दोनों के रिप्रेजेण्टेटिव्ज को बुला कर फैसला करने की कोशिश करेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि साहू केमिकल्स के मजदूरों की मांगों में प्रमुख मांग यह थी कि उनके वेतन-क्रम ठीक नहीं हैं और उन्हें अविलम्ब ठीक करा दिया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मांगों का नम्बर बहुत है। उनमें से कौन-सी मुख्य है और कौन-सी नहीं यह बताना मुश्किल है। मांगों की जो फेहरिस्त थी वह मैंने बता दी। अभी हमारे आफिसर इस काम में लगे हुए हैं। जो समझौता हुआ है उसमें दोनों पार्टी राजी हुई हैं। कुछ डिमांड्स कंसीड हो गई हैं और बाक़ी पर वह लोग बातचीत चला रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये उन मांगों को बताने की कृपा करेंगे जिनको मैनेजमेण्ट ने मान लिया है ?

श्री वसी नकवी—एक तो मांग यह थी कि जो वर्कर्स डेली वेजेज पर हैं उनको क्वार्टर एलाउन्स पिछली तारीख से दिया जाय। एक मांग यह थी . . .

श्री अध्यक्ष—वह जानना चाहते हैं कि कौन-सी मांगें मान ली गई हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मांगों का नम्बर सब मैंने बता दिया, उनके पास स्टेटमेंट है।

श्री अध्यक्ष—स्टेटमेंट हर एक के पास नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—मैं सारा एग्रीमेण्ट पढ़े देती हूं। The following agreement was arrived at. . . .

श्री अध्यक्ष—इसमें लोगों की समझ में नहीं आयेगा। हिन्दी में अगर हो तो ठीक है।

श्री वसी नकवी—डिमान्ड नम्बर २ यह है कि जो वर्कर्स ३ महीने, ६ महीने या साल भर से काम कर रहे हैं उन्हें कैटेगरीज के मुताबिक परमानेण्ट किया जाय, सर्टिफ़ाइड स्टैंडिंग आर्डर आफ़ दी फैक्टरी के मुताबिक।

८ नम्बर की मांग यह है कि वाच एण्ड वार्ड को जाड़े के जमाने में ऊनी कपड़े की वर्दी दी जाय और हर हफ्ते उनको, जो वाच एण्ड वार्ड का स्टाफ है, छुट्टी दी जाय।

श्री अध्यक्ष—यह भी मांग मान ली गई ?

श्री वसी नकवी—एक हिस्सा इस मांग का मान लिया गया है और हफ्तेवार छुट्टी का मामला विचाराधीन है। मांग नं० १२ यह थी . . .

श्री अध्यक्ष—युनीफ़ार्म वाली मांग मान ली गई एण्ड वाच और वार्ड स्टाफ़ की वीकली हालीडेज का मामला विचाराधीन है। आप यही बतायें कि कौन-कौन सी मांगें मान ली गई हैं।

श्री वसी नकवी—मांग नम्बर २, १२, १६ और १७ मान ली गई हैं।

मांग नम्बर १२ यह थी कि फैक्टरी में जो जगहें खाली हों वे प्रमोशन्स से मुकामी वर्कर्स को दी जायं, जो फ़ैक्टरीज में काम कर रहे हैं उन्हीं को तरक्की दी जाय। यह मान ली गयी। मांग नं० १७ यह थी . . .

श्री अध्यक्ष—आपने मांग नम्बर १६ भी तो कही है।

श्री वसी नकवी—मांग नम्बर १६ यह थी कि फ़ैक्टरी प्रेमिसेज के अन्दर कैन्टीन और रेस्ट रूम बनाया जाय। यह भी मान ली गई।

मांग नम्बर १७ यह थी कि फ़ैक्टरी में जो जगहें खाली हों आइन्दा वह मुकामी लोगों से भरी जायं बजाय इसके कि बाहर से भरी जायं। यह मांग भी स्वीकार कर ली गई है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि सोडा ऐश फ़ैक्टरी की कुछ गड़बड़ियों के खिलाफ़ वहां कई बार आन्दोलन भी चले और बहुत से लोग जेल गये, इसके बाद पार्लियामेण्ट सदस्य, श्री प्रभुनारायण जी ने भी अनशन किया था और फिर आजकल अनशन हो रहा है, इन तमाम बातों को देखते हुये क्या सरकार इसके विषय में विशेष जानकारी अथवा इन्क्वायरी कराने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—भूख हड़ताल तो बन्द हो गई है और दोनों पार्टीज ने समझौता कर लिया है, एक ऐग्रीमेंट हो गया है जिसमें कुछ प्वाइंट्स सेटिल हो गये हैं इस समय और बाकी के प्वाइंट्स देखे जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई तकलीफ़ हुई तो जरूर देखेंगे।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्राणी . . . .

श्री अध्यक्ष—माननीय श्रम मंत्री जी, आपको श्रम मंत्री जी कहा जाय या श्रम मंत्राणी कहा जाय? आप स्वयं बतायें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—हिन्दी भाषा जानने वालों के व्याकरण ज्ञान के ऊपर मैं इसको छोड़े देती हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं मंत्री शब्द में दोनों बातें आ जाती हैं। अतः आपको मंत्री ही कहा जाय।

श्री भगवतीसिंह विशारद—यहां कभी कभी आप के स्थान पर अधिष्ठात्री महोदया बैठती हैं। तो उस समय के लिये कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिये कि उस समय हम लोग उनको क्या कहा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—आप अधिष्ठाता ही कहा करिये।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या श्रम मंत्री बतलायेंगे कि जब मामला मालिकों के बीच नहीं सुलझा तो इस सारे प्रश्न को एडजुडिकेशन में क्यों नहीं भेजा गया और इसे कंसीलिए-येशन में क्यों भेजा गया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—आपको मैंने बतलाया कि १४ तारीख को उनका एग्रीमेण्ट हुआ है। जब दोनों पार्टीज राजी हैं और कुछ प्वाइंट्स पर एग्रीमेण्ट हो चुका है और बाक़ी को लेबर आफिसर्स देख रहे हैं। जब कंसीलियेशन के ज़रिये से तय हो सकते हैं तो मैं क्यों जबरदस्ती उन पर कुछ थोपूं। अगर इसके बाद भी कुछ ग्रिवेंसेज उनकी रहेंगी तब लेबर डिपार्टमेंट उनको देखेगा और समझौता कराने की कोशिश करेगा।

श्री उग्रसेन—कंसीलियेशन में बाक़ी जो उनके मामले हैं उनमें वे आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधियों को बुलायेंगे। क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो कर्मचारी संघ है जिसके अध्यक्ष प्रभुनारायण सिंह, एम० पी० हैं उसके भी प्रतिनिधि बुलाये जायंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इसके बारे में मैं नहीं बतला सकती। अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूर बुला लेंगे।

श्री श्यामलाल यादव—श्री श्यामलाल जिन्होंने अनशन किया था वे भी आई० एन० टी० यू० सी० के सदस्य थे....

श्री अध्यक्ष—अनशन आपने ही किया था ?

श्री श्यामलाल यादव—वे दूसरे सदस्य थे। तो जो श्यामलाल जी आई० एन० टी० यू० सी० के सदस्य थे उन्हीं के तत्वावधान में यह हुआ था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उनका आई० एन० टी० यू० सी० से कोई खास सम्पर्क है या नहीं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है।

फरेंदा तहसील में विकास कार्य

****३—श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार ९ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७ के उत्तर के संदर्भ में कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा ब्लाक व बृजमनगंज ब्लाक और धानी छाया ब्लाक में दूसरी पंचवर्षीय योजना के कौन-कौन विकास कार्य के लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं हुये ? क्या सरकार इन्हें अवधि के भीतर पूरा कराने के लिये अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री वसी नकवी—उक्त प्रसंग का विवरण † माननीय सदस्यों की मेज पर प्रस्तुत है।

लक्ष्यों की पूर्ति के लिए यथाशक्ति प्रयत्न हो रहा है।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो कार्य गोरखपुर जिले के फरेंदा ब्लाक, बृजनमनगंज ब्लाक तथा धानी छाया ब्लाक में नहीं हुए हैं उनको ३१ मार्च तक हो जाने के आदेश वह दे देगी ?

श्री वसी नकवी—मैंने बतलाया कि पूरी कोशिश की जा रही है। ये लक्ष्य तो इसलिये रखे जाते हैं कि वे जरा एम्बिशश होते हैं, लेकिन जहां तक हो सकेगा उनको इसी साल पूरा किया जायगा।

तारांकित प्रश्न

***१-३—श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—[२३ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न ३-५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

---

†विवरण छापा नहीं गया।

*४–६—श्री ऊदल—[९ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न १०–१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[२३ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*८—श्री लक्ष्मणराव कदम—[२७ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*९—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—[१६ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१०—श्री रामस्वरूप वर्मा—[१६ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*११–१२—श्री प्रतापसिंह—[२३ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न २८–२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१३—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—[२३ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१४–१५—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—[२३ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ३८–३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१६–१७—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—[९ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न १३–१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१८—श्री लक्ष्मणराव कदम—[२३ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१९–२१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[९ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न १५–१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[१६ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२३—२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[२३ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ३२–३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२६–२७—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[२३ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ३५–३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

नौतनवां-ठूठीवारी सड़क में अधिकृत भूमि का मुआवजा

*२८—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत नौतनवां-ठूठीवारी रोड में जो जमीन किसानों की ली गई है उसका मुआवजा किसानों को दिया गया कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—प्रथम भाग—कथित सड़क के निर्माण हेतु कुल २१ ग्रामों में स्थायी तथा अस्थायी भूमि अधिकृत की गई है । इनमें से

१९ ग्रामों में स्थायी भूमि सम्प्राप्ति हेतु एवं २० ग्रामों में अस्थायी भूमि सम्प्राप्ति हेतु एवाड घोषित किया जा चुका है तथा प्रतिकर वितरण का कार्य चालू है ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*२९—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या उपर्युक्त किसानों को रोड के लिये जमीन दिये जाने के बाद अभी तक उपर्युक्त जमीन का लगान देना पड़ता है ? यदि हां, तो अब तक उन किसानों ने कितना रुपया इस प्रकार दिया है ?

श्री धर्मसिंह—प्रथम भाग—उन किसानों को १३६६ फसली—तक प्राप्त की गई भूमि का लगान देना पड़ा ।

द्वितीय भाग—१०८८ रुपये २५ नये पैसे ।

*३०—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सरकार उपर्युक्त किसानों को उनके इस तरह से दिये हुये लगान को वापस करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—अस्थायी भूमि का लिया गया लगान किसानों को प्रति कर में सम्मिलित कर वापस किया जा रहा है तथा स्थायी भूमि के लगान की मिनहाई किसानों को उनके अगले वर्षों की किस्तों में देने की कार्यवाही की जा रही है ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उनको मुआवजा कब से देना शुरू हुआ है और कब तक उम्मीद है कि दे दिया जायगा ?

श्री धर्मसिंह—समय तो बतलाना कठिन है, लेकिन माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि दिसम्बर के करीब बटा था । कब तक पूरा हो जायगा उसके लिये मैंने निवेदन किया कि जुड़ता जायगा और वापस होता जायगा ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—मान्यवर, मैंने जो मुआवजा जमीन का दिया जायगा उसके सम्बन्ध में पूछा है, लगान दिया जायगा यह तो अलग बात है । मुआवजे के लिये मैंने पूछा था कि प्रश्न पूछे जाने के बाद दिसम्बर में जो थोड़े गांवों में बांट दिया गया है और जो गांव बाकी रह गये हैं उनको कब तक मिलेगा ?

श्री धर्मसिंह—समय बताना कठिन है, शीघ्रातिशीघ्र कोशिश की जा रही है और सरकार यह आदेश कर देगी कि यदि कोई दिक्कत न हो तो उसमें शीघ्रता की जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि किसानों की जमीन कब ली गयी थी ?

श्री धर्मसिंह—किसानों की जमीन स्वयं उनकी आज्ञा से १३६४ फसली में कार्य उस पर आरम्भ किया गया था और जभी जमीन ली गयी थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या कारण है कि ८ साल के बाद उनको मुआवजा दिया जा रहा है और मालगुजारी उनसे लगातार वसूल की जाती रही ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक मालगुजारी का सम्बन्ध है वह थोड़े दिन वसूल होती रही, लेकिन आगे चल कर बन्द हो गयी । जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा, जो मालगुजारी वसूल की गयी वह वापस कर दी जायगी ।

श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस मामले की कुल धनराशि कितनी थी, उसमें से कितनी दे दी गयी और कितनी अभी बाकी है ?

श्री धर्मसिंह—उसके आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं। मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं कि कितना पैसा था।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जो जमीन सरकार के काम में ली जाती है उसका मुआवजा बहुत देर में मिलता है, लगान भी अक्सर वसूल होता रहता है, इस तरह की शिकायत इस सदन में बराबर सवालों के रूप में और भाषणों के रूप में उठायी गयी, सरकार का विचार यह है कि कोई आदेश ऐसा निकाले या वह निकाल दिया गया है कि ऐसे कामों में जल्दी हो ताकि किसानों को कम कष्ट उठाना पड़े ?

श्री धर्मसिंह—सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री दाताराम चौधरी (जिला सहारनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ८ सालों में कितना रुपया वसूल किया गया है और वह कब तक किसानों को वापस हो जायगा।

श्री धर्मसिंह—वह तो मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया कि १,०८८ रुपये २५ नये पैसे वसूल किये गये जिन्हें वापस करने की कोशिश की जा रही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विगत ८ सालों से किसानों का जो रुपया सरकार के पास जमा रहा उसकी वापसी के समय क्या उसका ब्याज भी दिया जायगा ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारी कुछ सहायता करें। इस हाउस में माननीय मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री श्री हुकुमसिंह विसेन जी ने दो, तीन साल के अन्दर एक बार नहीं बल्कि बीसों बार यह आश्वासन दिया है कि किसानों की जो जमीन ली जायगी उसका मुआवजा फौरन दिया जायगा और मालगुजारी वसूल करना बन्द कर दी जायगी। उसके विपरीत सरकार अब भी काम करती चली जा रही है। तो कारण क्या है कि उन आदेशों का पालन जिले के अधिकारी नहीं करते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं इस विषय में अधिक तो नहीं कह सकता हूं परन्तु जो आपत्ति माननीय सदस्य ने उठायी है मुझे उससे पूरी सहानुभूति है और इस विषय में आदेश अवश्य जारी करने की कोशिश की जायगी कि जिनकी जमीन ली गई है उनको जो मुआवजा मिलना है वह शीघ्रातिशीघ्र दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं इतनी सूचना दे देना चाहता हूं कि जो एश्योरेंस कमेटी है उसमें इस प्रश्न के उत्तर में यह आ चुका है कि इस तरह का जी० ओ० गवर्नमेंट की तरफ से जारी हो गया है। यह सूचना मैंने इसलिये दे दी कि मुख्य मंत्री जी को शायद मालूम न हो, यह पहले की बात है, आज की बात नहीं है। इसके बाद आप प्रश्न पूंछें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आदेश जारी करने की कोशिश की जायगी। मैं जानना चाहता हूं कि सिर्फ आदेश जारी करने की कोशिश की जायगी या उनका पालन कराने की भी कोशिश की जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमन्, आदेश जब दिया जाता है तो पालन करने के लिये ही दिया जाता है। यदि कहीं किसी आदेश का पालन नहीं होता है तो उस अधिकारी के विरुद्ध, जिसको आदेश दिया गया है, कार्यवाही की जाती है। मैंने जब आदेश जारी करने के लिये कहा है तो इसका मतलब यही है कि जो आपत्ति आलोचकों ने अभी उठाई है मुझे उससे सहानुभूति है और मैं चाहता हूं कि अधिकारीगण जिनको आदेश दिया जाय वह उसका पूरी तरह से पालन करें जिससे उन लोगों को जिनकी जमीन ली जाती है, मुआवजे के मिलने में कोई तकलीफ न हो।

श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि बावजूद इस जी० ओ० के लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा १६ का पालन अधिकारी नहीं करते हैं? यदि हां, तो क्या वह ऐसी कार्यवाही करेंगे कि जिनकी जमीन ली जाती है उसका तात्कालिक लगान बंद कर दिया जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अभी निवेदन किया कि इस विषय में मैंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जो चीज सुझाव के रूप में बताई जा रही है, मैं अवश्य उसके ऊपर अमल करने की चेष्टा करूंगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बतायेगी कि इन गरीब किसानों को आठ साल से मुआवजा नहीं दिया गया है, इसके बारे में पश्चाताप करेगी और सोचेगी कि आइन्दा ऐसा न होगा गरीबों के साथ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, इस पर विचार किया जायगा कि क्या वजह रही और क्यों गड़बड़ी रही।

श्री टीकाराम पुजारी— जो आठ साल का मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया है क्या मंत्री जी उस पर सूद देने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने निवेदन किया था कि मुझे पूरी सहानुभूति उन लोगों से है जिन्हें इस तरह की व्यवस्था से गुजरना पड़ा है और मुझे दुख है कि उन लोगों को मुआवजा देने में सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी लोगों को आठ साल लगे। आइन्दा इस बात की कोशिश की जायगी कि कोई भी अधिकारी ऐसी कार्यवाही न करे जिन्हें ८ साल तक मुआवजा न मिले और उन्हें उन तकलीफों से गुजरना पड़े जो मुआवजा न मिलने के कारण कदाचित उनके ऊपर पड़ी होंगी।

टगों की खरीद में गोल-माल की जांच

*३१—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार का ध्यान १७ सितम्बर, १९६० को सदन में प्रस्तुत लोक-लेखा समिति के टगों की खरीद सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदन में लोक-लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों की ओर गया है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संबंधित अफसरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री धर्मसिंह—जी हां। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १७-९-६० को जब वह प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत हुआ था तो उस वक्त की रिपोर्ट में जिन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं तो उनसे जवाब तलब हुआ है? यदि हां, तो किन से?

श्री धर्मसिंह—जहां तक रिपोर्ट का संबंध है यह १८ नवम्बर, १९६० को प्राप्त हुई। २३ दिसम्बर, १९६० को मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया कि जो जो शिकायतें इसमें आलेख्य हैं उनका स्पष्टीकरण करें। मुख्य अभियन्ता ने १७-१-६१ को सूचना दी है कि वह इसके विषय में छानबीन कर रहे हैं और उसके बाद वह सरकार को सूचित करेंगे। इसके विषय में वहां से सूचना आने पर ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, मैंने प्रश्न किया था और स्पष्ट चाहा था कि छानबीन के संबंध में अधिकारियों के जवाब भी तलब हुये हैं अथवा नहीं ?

श्री धर्मसिंह—उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि वह जांच कर रहे हैं। इंटरनल क्या कार्यवाही कर रहे हैं, सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि २० टग्स २४ हजार रुपये फी टग के हिसाब से बिना जांच कराये मंत्री जी ने खरीदने का हुक्म दे दिया और जिनसे खरीदे गये वह इसफहानी का नौकर था जिसे पाकिस्तान जाने की जल्दी थी और वह पाकिस्तान चला गया ?

श्री धर्मसिंह—यह तो डिटेल की बात है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये बतानें की कृपा करेंगे कि इन टगों की गोल-माल में कौन कौन से बड़े अधिकारी इनवाल्व्ड हैं ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक गोल-माल का सम्बन्ध है यह मुख्य अभियन्ता से रिपोर्ट आने पर ही कहा जा सकता है कि किन-किन अधिकारियों ने इसमें गड़बड़ियां कीं या नहीं कीं। इससे पहले बताना कठिन है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की भी जांच करवा रहे हैं कि यह जो टगों की खरीद हुई और इतने रुपये का अपव्यय हुआ और इतना समय बीत गया तो अब तक यह कमेटी के सामने क्यों नहीं आया ?

श्री धर्मसिंह—जांच में सभी बातें हैं। रिपोर्ट आने पर अगर सरकार देखेगी कि किसी बात की कमी रह गई है तो दोबारा जांच हो सकती है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी मुख्य अभियन्ता से यह कहने की कृपा करेंगे कि वह दो महीने के भीतर जांच करके आपके यहां अपना प्रतिवेदन भेज दें ताकि उस पर कार्यवाही शीघ्र हो सके ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि मैंने निवेदन किया १७ जनवरी को मुख्य अभियन्ता ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। सरकार उनसे कहेगी कि इसमें जल्द से जल्द जांच करके कार्यवाही करें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि लगभग ५ लाख रुपये की लागत से जो टग खरीदे गये और जो बेकार पड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सरकार उन टगों को बेच कर वह रुपया वसूल करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—यह सुझाव चीफ इंजीनियर को भेज दिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने उन अफसरों का नाम लिया है जो गोल-माल में इनवाल्व्ड हैं तो कौन सी वजूहात हैं कि उन पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई ? मान्यवर, अगर चपरासी के खिलाफ होता तो अब तक निकाल देते, तो क्या कार्यवाही हुई है यह तो बतायें ?

श्री धर्मसिंह—मान्यवर, जो कुछ भी कार्यवाही की जा सकती है, वह जब हेड आफ दि डिपार्टमेंट रिपोर्ट दे दें तभी की जा सकती है। यह अभी से कैसे कहा जा सकता है कि यह लोग दोषी हैं या नहीं।

इलेक्ट्रिक कान्ट्रैक्टर्स और मर्चेन्ट एसोसियेशन, लखनऊ का स्मृति-पत्र

*३२—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत ९ जून, १९६० को U. P. Electric Contractors and Merchants Association, R. K. Tandon Road, Lucknow द्वारा भेजा गया स्मृति-पत्र विद्युत् मंत्री को हाल में प्राप्त हुआ है ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जी हां, ऐसा स्मृति-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था ।

*३३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार उक्त स्मृति-पत्र में वर्णित बातों पर प्रकाश डालते हुये यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बातों के सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उस स्मृति-पत्र में वर्णित बातों का इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर ने अपने ११ फरवरी, १९६१ के पत्र में एसोसियेशन के जनरल सेक्रेटरी को उत्तर दे दिया है । उक्त स्मृति-पत्र तथा इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर के उत्तर की प्रतिलिपि† संलग्न है ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ९ जून, १९६० को जो इलेक्ट्रिक कंट्रैक्टर्स ने सेक्रेटरी को पत्र भेजा, उसका जवाब ११ फरवरी को दिया गया है, इतना अधिक समय लगने का क्या करण है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी छानबीन में इतना वक्त लग गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—एसोसियेशन का जब पत्र आया तो सरकार ने इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को जांच करने के लिए भेजा । उसके बाद मार्टिन कम्पनी से सम्बन्ध स्थापित किया गया, उन्होंने उनसे इनक्वायरी की मांग की । इसके बाद दोनों पत्रों की जांच हुई । जांच करने के बाद जो उत्तर इंसपेक्टर को कह दिया गया वह उनके पास भेज दिया गया ।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार का ध्यान इंस्पेक्टर द्वारा दिये गये उत्तर के तीसरे आइटम की तरफ गया है जिसमें लिखा है कि अगर एक अक्यूपेंट किसी प्रेमिसेज को छोड़ कर चला जाता है तो जो दूसरा आक्यूपेंट आता है, जब वह पिछला बकाया दे देता है तभी उसको कनेक्शन दिया जाता है ? इसके सम्बन्ध में दिया हुआ है कि पहले केरल हाई कोर्ट का डिस.जन था । वह फिर से रिवाइज हो गया । वह परिपाटी नहीं रह गयी है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कब से लागू हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसमें यह कह दिया गया है कि यह आशा की जाती है कि वह हाई कोर्ट से फैसले हो गये थे । उस फैसले के अनुसार यहां की जो कम्पनी थी वह वसूल करने लगी । वह फैसला हाई कोर्ट से बदल दिया गया । उसके बदलने के बाद यह आशा की जाती है कि वह वैसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो इंस्पेक्टर ने कहा है कि मुझे रेफर करें, वह काम आगे से नहीं होगा ।

श्री मदन पांडेय—इंसपेक्टर के उसी पत्रावली के पृष्ठ संख्या २ पर जो पांचवें नम्बर पर आइटम है उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी डिसकनेक्शन करने से पहले सात दिन की नोटिस दी जाती है, मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं, अभी एक हफ्ता हुआ है, मेरे क्वार्टर का भी इसी प्रकार डिसकनेक्शन हुआ है जिसमें मुझे कोई नोटिस नहीं मिली थी, तो इस बात को देखते हुये यह जो उत्तर है उसी की लाइट में इस्ट्रिक्टली इस बात को माननीय मंत्री जी देखने की कृपा करेंगे कि यह जो उत्तर आपने दिया है और जो इंसपेक्टर की रिपोर्ट है उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है या नहीं और अगर नहीं हो रही है तो उसको किया जाय ?

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—नियम यह है कि कनेक्शन काटने के पहले सात दिन का नोटिस दिया जाय और उसके बाद काटा जाय। अगर किसी जगह ऐसा नहीं हुआ है तो वह काम इंसपक्टर का है कि वह उसकी जांच करे। अगर आप कोई शिकायत देंगे तो उसकी जांच हो जायगी।

*३४—श्री ऊदल—[८ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*३५—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[हटा दिया गया।]]

कुमायूं निवासियों की हक-हकूक की लकड़ी पर प्रतिबन्ध

*३६—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमायूं निवासियों को गांव के हक के अलावा आधी या कम कीमत पर जो इमारती लकड़ी के पेड़ दिये जाते थे उन पर अब क्यों प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—कुमायूं के निवासियों को हक के अलावा रियायती दर पर वन उपज दिये जाने के लिये जो सरकारी आदेश अब तक जारी हुये हैं, उन पर सरकार ने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रतिबन्ध आदेशों पर नहीं लगाये गये हैं या मैंने जो पेड़ों के दिये जाने की बाबत कहा था उन पर नहीं लगाये हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—प्रश्न तो स्पष्ट है कि जो रियायतें मिलती आयी हैं उन रियायतों को छीनने के लिये या हटाने के लिये कोई ऐसे आदेश जारी नहीं किये गये हैं जो पहले के आदेशों को रद्द करते हों और उनकी उन सुविधाओं को छीनते हों।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में सरकार के डेफिनिटली ऐसे आदेश जारी हुये हैं कि जो इस तरह की दरों पर इमारती लकड़ी वगैरह दी जाती थी वह आइन्दा कत्तई नहीं दी जायगी ?

श्री अलगूराय शास्त्री—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस संबंध में कोई कन्फयजन है और इसलिये २७ तारीख को जब मैं स्टार पेपर मिल के संबंध में वक्तव्य दूंगा उसी के साथ इसमें भी जो माननीय सदस्य को कोई भ्रम है उसके बारे में भी वक्तव्य देकर इस मामले पर पूरा प्रकाश डाल दूंगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी उस वक्तव्य को देने से पहले इस बात की भी छानबीन कर लेंगे कि बावजूद इसके कि प्रदेशीय सरकार ने तीन दिन पहले एक विज्ञप्ति निकाली है जिसमें कहा है कि कुमायूं के तमाम लोगों के हक-हकूक बरकरार हैं, उसके बावजूद भी आज वहां लकड़, घास वगैरह तथा गृह उद्योगों के लिये कच्चा माल नहीं दिया जाता है, इन तमाम बातों की छानबीन करने के बाद सही वस्तुस्थिति जो है उसे हाउस के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अलगू राय शास्त्री—जी हां।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि १९५५ में यह रिजर्व फारेस्ट के अन्दर जो लकड़ी और घास लोग लेते थे उनका वह न लिये जाने के बाबत एक जी० ओ० गलती से निकल गया था, उसे सरकार ने आज तक कार्यान्वित नहीं किया था और आगे अब उसको कार्यान्वित किया जाने लगा है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ये जो अभी प्रश्न सब पूछे गये हैं उनको ध्यान में रखते हुये आप उस रोज जवाब दे देंगे।

श्री अवधनारायणसिंह, तहवीलदार आजमगढ़ की बरखास्तगी सम्बन्धी सरकारी अपील का खारिज होना

*३७—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस व जस्टिस श्रीवास्तव ने १३ दिसम्बर, १९६०, को आजमगढ़ के तहवीलदार, श्री अवधनारायणसिंह को नौकरी से अलहदा कर दिये जाने के विषय में सरकार की ओर से की गई अपील को खारिज कर दिया है ? यदि हां, तो क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि उसने उक्त निर्णय को सभी तहवीलदारों के सम्बन्ध में कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—जी हां । मामला विचाराधीन है ।

*३८—श्री लक्ष्मणराव कदम—[३ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सासनी स्टेशन मार्ग

*३९—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सासनी कस्बे से सासनी स्टेशन (जिला अलीगढ़) तक तीन मील लम्बी सड़क, जो १९५८ से बन रही है, कब तक मुकम्मल हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह—स्वीकृत आगणन के अनुसार सड़क नवम्बर, १९६० में पूरी हो गई थी ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्वीकृत आगणन के अनुसार यह सड़क कंकड़ की बनकर तैयार हुई है या डामर की ?

श्री धर्मसिंह—कंकड़ की बनकर तैयार हुई है और उसी के लिये आगणन था ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि २६ जनवरी को यह सड़क चलने योग्य नहीं बनी थी, मिट्टी पड़ी हुई थी, क्या सरकार इस मामले में पुनः जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—जांच के बाद ही यह उत्तर दिया जा रहा है । माननीय सदस्य ने पहले भी यह प्रश्न किया था । उसका भी यह उत्तर दिया गया था कि नवम्बर के अन्त तक बन जायगी । पुनः उ की जांच की गई कि यह कहां तक ठीक है तो जांच के बाद जो मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट आई है वह यही है कि यह बनकर तैयार हो गई है और कंकड़ की सड़क है ।

माताटीला बिजली योजना

*४०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बिजली योजना को कार्यान्वित करने के लिये सन् १९६० मे किन-किन कामों के टेण्डर मांगे गये थे तथा उसके सम्बन्ध मे और क्या-क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मांगी गई सूचना नत्थी किये ब्योरे में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६६ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना कब स्वीकृत की गई थी और उसका कार्यारम्भ करने में इतना विलम्ब लगाने का क्या कारण है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--सन् १९५८ में टेंडर मांगे गये थे और चूंकि फारेन एक्सचेंज नहीं मिला इसलिये देर हो गई। अब सरकार ने इस बात की इजाजत दे दी है और वह कार्य आरम्भ होने वाला है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो माताटीला योजना बनाई गई थी उसके अन्तर्गत यह पावर हाउस जो है वह कब तक बन जाना चाहिये था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--वह सूचना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब वह बनाई गई थी तो उस वक्त फारेन एक्सचेंज नहीं मिला इसलिये मुल्तवी हो गई थी। फिर लिखा गया और प्रदेशीय सरकार ने जोर दिया कि यह योजना बुन्देलखंड के लिये बहुत आवश्यक है तो उसके लिये कुछ मुद्रा दी गई और अब वह स्कीम चल रही है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की तरफ से प्रदेशीय सरकार को फारेन एक्सचेंज देने की सूचना कब मिली थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--१२/१३-१०-५९ को सेन्ट्रल पावर कमीशन ने इसको स्वीकार कर लिया है और यह कहा है कि यह जो सामान लिया जाय वह येन क्रेडिट में जापान से लिया जाय।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह माताटीला बिजली योजना जो बनाई गई यह किस सन् में बनाई गई थी और जब बनाई गई तो क्या उस वक्त भारत सरकार से फारेन एक्सचेंज के लिये मांग की गई थी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो बहुत लम्बा इतिहास का प्रश्न है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि माताटीला योजना में देर इसलिये नहीं हुई है कि फारेन एक्सचेंज की दिक्कत है बल्कि इसलिये देर हुई है कि जो ओरिजिनल एस्टीमेट था वह एस्टीमेट बढ़ गया था और इसी वजह से देर हो रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--माताटीला में दो योजनायें हैं--एक पानी की थी और वह स्कीम बनकर तैयार हो गई है। दूसरी योजना यह थी कि चूंकि वहां पर पानी था तो उसके लिये यह सोचा गया कि वहां पर बिजली तैयार की जाय। उसके लिये एक प्रोपोजल था। तो जब बिजली पैदा करने के लिये इंजिन की मांग की बात आई तो उसके लिये फारेन एक्सचेंज नहीं दिया गया। इसलिये वह इंजिन नहीं आ सका। वह मुल्तवी नहीं हुई फिर दोबारा इसके लिये हमने प्रेस किया तो उन्होंने बतलाया कि जापान से आप ले लें। अब वह स्कीम कार्यान्वित हो रही है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माताटीला में जो पावर की योजना है वह पहले कितने की बनाई गई और बाद में फिर कितनी वृद्धि की गई खर्च के मामले में और किलोवाट के मामले में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--पहली योजना कितने की थी यह तो मैं नहीं बतला सकता, लेकिन इस वक्त ८ करोड़ २३ लाख रुपये की पूरी योजना है और इसमें ३० हजार किलोवाट बिजली के लिये प्लांट लगाने की बात है।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या माताटीला में दो योजनायें थीं जिनमें मुख्य पावर हाउस बनाने की थी और वह इसलिये नहीं चालू की जा सकी कि जो प्रारम्भिक कार्य सरकार को पहले करने चाहिये थे वह पूरे नहीं हो सके इसलिये उसमें विलम्ब हुआ ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बतला दिया कि विलम्ब तो फारेन एक्सचेंज के कारण से हुआ। आप तो यह सूचना दे रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—मैं सूचना नहीं दे रहा हूं, श्रीमन्, प्रश्न पूछ रहा हूं। जो प्रारम्भिक योजना संबंधित अधिकारियों द्वारा बननी चाहिये थी, वह पूरी नहीं की गई। फारेन एक्सचेंज का सवाल बाद में उठता। वह प्रारम्भिक कार्य पूरा न होने के कारण ही क्या विलम्ब हुआ ?

श्री अध्यक्ष—आप पहले यह पूंछ लें कि प्रारम्भिक काम उन्होंने किया या नहीं, जब वे कोई बात स्वीकार कर लें तो फिर आप आगे पूछें।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बिजली की योजना प्रारम्भ करने के पहले जो काम करने चाहिये थे वे पूरे किये गये थे या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—पहले तो मैं यह साफ कर दूं कि जो प्रधान योजना बनी उसमें नहर से सिंचाई की बात थी। चूंकि उसमें पानी बहता है इसलिये उसके साथ-साथ बिजली की योजना भी बना ली गई थी कि बिजली पैदा की जायगी। सिविल कामों का प्रबन्ध कर दिया गया था। जब इंजन लगाने का मामला आया तो फारेन एक्सचेंज नहीं मिला।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का स्मरण है कि पहले मंत्री जी द्वारा इस सदन में बतलाया गया था कि सन् १९६३ में इस योजना से बिजली मिलने लगेगी ? तो जिस धीमी गति से काम चल रहा है उससे क्या उनको विश्वास है कि वह १९६३ में बिजली दे सकेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—धीमी गति वाली बात तो मैं मानता नहीं क्योंकि अभी हमको फारेन एक्सचेंज लोन क्रेडिट में एक जगह से मिला है जापान से, लेकिन मुझे आशा है कि जैसा काम चल रहा है उस हिसाब से सन् १९६४ तक हम बिजली जरूर दे सकेंगे।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पावर हाउस बनने के सिलसिले में माताटीला पर कोई काम भी हुआ है अथवा नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जैसा मैंने कहा, पानी का स्रोत वहां है और सिविल वर्क्स के जो इंजीनियर हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के उनको वह काम दे दिया गया है। हमारे अफसर वहां पहुंच गये हैं और वह काम शीघ्र प्रारम्भ होने वाला है और मेन प्लांट का जहां तक ताल्लुक है उसके निगोशियेशन्स भी पूरे हो गये हैं। जिस फर्म को काम देने की बात थी वह बात भी पूरी हो गयी है। कुछ ट्रान्सफार्मर्स की बात है, कुछ उनकी दिक्कत है। यहां सरकार का खयाल है कि केवल भोपाल में ही ट्रांसफार्मर्स बन सकते हैं। उसके लिये इंक्वायरी हो रही है और उसके बाद काम पूरा हो जायगा।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो एस्टीमेट्स बने थे और इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये जो टाइम शेड्यूल था उसके अनुसार प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से फारेन एक्सचेंज की मांग नहीं की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह ब्योरे का प्रश्न है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

*४१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[हटा दिया गया।]

*४२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[८ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

चौड़ी बाजार को बिजली की आवश्यकता

*४३—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह चौड़ी बाजार-तहसील ज्ञानपुर (वाराणसी) में लोगों को बिजली देने पर विचार कर रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—सरकार के पास इस तरह की कोई योजना इस समय नहीं है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर, चौड़ी बाजार में, जो छेदी लाल का कारखाना है जब उसको बिजली दी जाती है, तो वहां पर और लोगों को बिजली देने में उनको क्या कठिनाई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि इस समय यह जानकारी नहीं है कि वहां किसको बिजली दी जाती है किसको नहीं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में उस बाजार के लोगों ने एक प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेजा है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—इस समय मेरे पास तो कोई प्रार्थना-पत्र है नहीं, और जब कोई योजना ही नहीं है इसके लिये तो वह माना नहीं गया होगा।

*४४—श्री नारायणदत्त तिवारी—(जिला नैनीताल) [९ मार्च, १९६१ के लिये प्रश्न ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४५—श्री नारायणदत्त तिवारी—[८ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

बिक्री कर कार्यालय, गढ़वाल के कर्मचारी का स्थानान्तरण रोकना

*४६—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेल्स-टैक्स अधिकारी, जिला गढ़वाल के दफ्तर में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनका तबादला गत दो वर्षों में होकर मनसूख कर दिया गया और क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—केवल एक ऐसा कर्मचारी है। तबादले को मन्सूख करने के लिये कर्मचारी ने स्वयं प्रार्थना-पत्र दिया था। तबादले को मन्सूख करने का एक कारण यह भी था कि वह कर्मचारी शीघ्र हेड क्लर्क नियुक्त किया जाने वाला था। यदि उसे तत्काल ही स्थानान्तरित कर दिया जाता तो हेड क्लर्क नियुक्त होने के समय उसका दूसरी बार उस स्थान पर तबादला करना पड़ता जहां उसकी हेड क्लर्क के पद पर नियुक्ति होती। इस बार-बार के तबादले को रोकने तथा प्रार्थी की निजी तात्कालिक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर उस समय उसका तबादला स्थगित कर दिया गया। बाद में उसकी हेड क्लर्क के पद पर गाजियाबाद में नियुक्ति हो गई।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस कर्मचारी के खिलाफ कई शिकायतें थीं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—कुछ शिकायतें आई थीं, उनकी जांच हुई और जांच के बाद वे निराधार पाई गयीं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय वित्त मंत्री बतायेंगे कि वे शिकायतें किस प्रकार की थीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस अधिकारी के खिलाफ पहले भी कई बार शिकायतें आई थीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

परिगणित जाति के ओवरसियरों की उन्नति

*४७—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ से १९६० तक कितने ओवरसियर असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिये लिये गये हैं तथा उनमें कितने परिगणित जाति के हैं ?

श्री धर्मसिंह—सरकार के सार्वजनिक निर्माण तथा सिंचाई विभागों में सन् १९५४ से १९६० तक क्रमशः ५४ तथा ९२ ओवरसियर सहायक अभियंता के पद के लिये चुने गये। इन ओवरसियरों में परिगणित जाति के कोई ओवरसियर नहीं लिये गये।

*४८—श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने परिगणित जाति के ओवरसियर हैं जिनकी दस वर्ष की सर्विस हो चुकी है और उसमें उनकी पदोन्नति क्या हुई है ?

श्री धर्मसिंह—सरकार के सार्वजनिक निर्माण तथा सिंचाई विभागों में ऐसे ओवरसियर क्रमशः २ तथा १ हैं। इनकी अभी पदोन्नति नहीं हुई है।

श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ से १९६० तक कितनी बार चुनाव हुआ ?

श्री धर्मसिंह—अप्रैल, १९६० में एक बार क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन हुआ था।

श्री चिरंजीलाल जाटव—मंत्री जी बतायेंगे कि कितने अभियंता चुने गये ?

श्री धर्मसिंह—जैसा मैंने प्रश्न संख्या ४७ में निवेदन किया है इतने चुने गये, उनको प्रमोशन्स दे दिये गये।

श्री प्रतापसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिगणित जाति के लोगों को क्यों नहीं लिया गया क्योंकि अभी मंत्री जी ने कहा कि परिगणित जाति का कोई नहीं लिया गया ?

श्री धर्मसिंह—क्वालीफाइंग टेस्ट में उत्तीर्ण नहीं हुये थे इसलिये नहीं लिये गये।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस टेस्ट से पहले कोई प्रार्थना-पत्र भी मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्या क्वालीफिकेशन्स थीं और किस आधार पर उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये थे ?

श्री धर्मसिंह—प्रार्थना-पत्र का कोई प्रश्न नहीं है। जो डिपार्टमेंटल क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन होता है उसमें कौन-कौन बैठ सकते हैं, यह सब को ज्ञात होता है। इसलिये प्रार्थना-पत्र की तो कोई बात ही नहीं थी।

श्री चिरंजीलाल जाटव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि परिगणित जाति के लोगों को न लेने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर वह दे चुके हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि परिगणित जाति के कितने ओवरसियरों ने आवेदन-पत्र दिये थे ?

श्री अध्यक्ष—अभी उन्होंने कहा कि आवेदन-पत्र की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन था।

नियम ५२ के अन्तर्गत जन गणना में विमुक्त जातियों की श्रेणी में हरिजनों से वेश्यावृत्ति संबंधी अपमानजनक प्रश्नावली के बारे में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—श्री चन्द्रजीत यादव ने नियम ५२ के अनुसार ध्यान आकृष्ट करने वाला प्रश्न उठाया है जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। वह इस प्रकार से है—"प्रदेश में जन-गणना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इस संबंध में विमुक्त जातियों की श्रेणी में आने वाले हरिजन परिवारों का एक विशेष फार्म भरा जाता है। इस फार्म की प्रश्नावली में एक प्रश्न यह भी है कि क्या आपके परिवार में वेश्यावृत्ति होती है। यह बहुत ही अपमानसूचक प्रश्न है और विमुक्त जाति के हरिजन परिवारों के आदमियों को काफी ठेस पहुंचाता है। इस विषय ने प्रदेश की समस्त हरिजन जनता में (उनका मतलब विमुक्त जातियों से है) काफी क्षोभ का वातावरण पैदा कर दिया है और एक गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं"।

मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि वह कब वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अभी दूंगा।

माननीय सदस्य की ओर से जो बात रखी गई है उसमें सत्यता है। कुछ विमुक्त जातियां ऐसी हैं जिनमें कि इस प्रकार का पेशा अभी तक होता आया है जिसकी जानकारी प्राप्त करने की सेंसस के द्वारा कोशिश की गई है। उन आदमियों को जो सेंसस के कार्य में लगे हुये हैं सरकार ने यह आदेश दिया है कि इस प्रकार की जानकारी एक अच्छे ढंग से टैक्टफुली और कांफीडेंशली प्राप्त करने की कोई व्यवस्था करें। इसकी इसलिये आवश्यकता है कि इस प्रकार की जातियों में जिनमें यह प्रथा अब तक जारी है उनमें सामाजिक कार्य इस प्रकार के किये जायं, सोशल वर्क इस प्रकार के किये जायं जिससे कि अब तक जो प्रथा उनमें रही है वह शीघ्रता से हट जाय। यह सारी जानकारी कांफीडेंशियल ढंग से उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है और इस सारी इंक्वायरी का उद्देश्य यह है कि शीघ्रातिशीघ्र यह प्रथा उनके बीच से, उन कार्यों के द्वारा जोकि उनके बीच में रचे जायं, यह प्रथा उनके बीच से दूर हो जाय। इसीलिये यह सूचना या जानकारी उन लोगों से सेंसस में लगे हुये व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी इस समय सेंसस का काम कर रहे हैं और जैसा कि अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कांफीडेंशल तरीके से पता लगाया जायगा, लेकिन जब वे लोग जांच करने जाते हैं तो परिवार की महिलाओं तक से इस प्रश्न को पूछते हैं, क्या इसकी सूचना सरकार को है ? और क्या सरकार इस बात का आदेश देने की कृपा करेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार के प्रश्न, परिवार की महिलाओं, घर के लोगों से नहीं पूछने चाहिये, केवल कांफीडेंशल तरीके से पता लगाया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि किसी स्थान पर कोई इस प्रकार की बात हुई है जिसकी ओर माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान दिलाया है तो माननीय सदस्य मुझे बतायें, मैं संबंधित अधिकारी का ध्यान आकर्षित कर दूंगा, क्योंकि जो सरकार के आदेश इस संबंध में छपे हुये हैं उनमें यह साफ तौर से व्यक्त कर दिया गया है कि इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिये इस प्रकार से काम करना चाहिये :—

"A good deal of tact will be needed to gather information about questions 6 and 7. It is said that the denotified tribes do not mind furnishing such information."

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

यह जो नियम इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिये घोषित किये गये हैं उनमें स्वतः यह बात लिखी हुई है। यदि कहीं इस आदेश के अनुसार काम नहीं हो रहा है तो सरकार अवश्य उस अधिकारी को आदेश देगी कि वे उस सूचना को उसी ढंग से प्राप्त करने की कोशिश करें जिनका निर्देश इन आदेशों में किया गया है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का पता लगायेंगे कि रूल में यह किस आधार पर लिख दिया गया है कि वे खास-खास कौमें इस प्रकार का पेशा चलाती हैं और अपनी बहन-बेटियों से ऐसा काम कराती हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—स्वतः मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है। जो अधिकारी इन क्षेत्रों में काम करते हैं कदाचित् उन्होंने ऐसा लिखा होगा और उन्होंने ही उच्चाधिकारियों के समक्ष यह बात रखी होगी जिन्होंने इस बात की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता समझी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इसी सदन में १० दिन पूर्व श्री भजनलाल जी द्वारा दफा ५२ के तहत में प्रश्न पूछा गया था जिसके उत्तर में सरकार ने आज के विपरीत बात कही थी। वह प्रश्न डाके चोरी के संबंध में था। उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि किसी विशेष जाति के बारे में प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं सेंसस में, केवल व्यक्तियों के बारे में पूछते हैं। उस समय हमने तर्क किया था कि क्या ब्राह्मण, ठाकुरों में ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो चोरी डकैती करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा किसी वर्ग विशेष के बारे में हम पता नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आज जो उनका उत्तर है वह बिलकुल विपरीत है। यदि ऐसा है तो पहले उत्तर के बारे में क्या कार्यवाही हुई?

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि उस दिन जो उत्तर दिया गया था वह आज उनके सामने नहीं है। आज तो उनके सामने प्रश्न उन जातियों के बारे में है जिनमें वेश्यावृत्ति चलती है।

श्री राजनारायण—यह हरिजनों के बारे में है?

श्री अध्यक्ष—उसमें हरेक हरिजन जाति नहीं है। वह केवल विमुक्त हरिजनों के बारे में है।

श्री राजनारायण—उच्च वर्ण में भी जिन्हें आप राजभट्ट कहते हैं और कत्थक जिनको कहा जाता है, ऐसी जातियों में वेश्यावृत्ति होती थी, लेकिन कत्थक जाति विमुक्त जातियों में नहीं आती।

श्री अध्यक्ष—लेकिन यह प्रश्न केवल विमुक्त जातियों के लिये है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि विमुक्त जातियों में पूरी की पूरी ऐसी जातियां हैं जिनमें इस प्रकार का पेशा होता है या उनमें कुछ परिवार ही ऐसे हैं जिनमें ऐसा पेशा होता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं कोई एन्थ्रोपोलाजी का विशेषज्ञ नहीं हूं। जिन्होंने इस बात की सूचना इकट्ठी करने का आदेश जारी किया है उन्होंने इसकी जानकारी प्राप्त कर ली होगी।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके हाथ में जो किताब है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से छपी है या प्रादेशिक सरकार की तरफ से और उसका नाम क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सेंसस आफ इंडिया, १९६१, सेंसस मैनुअल पार्ट-२ फार उत्तर प्रदेश। यह किताब छपी तो, केन्द्रीय सरकार के आदेश से ही, लेकिन जिस पेशे की यहां चर्चा की गयी है उसके सम्बन्ध में प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार के

अधिकारियों से यह निवेदन किया है कि इस प्रकार की सूचना भी इकट्ठी कर लेनी चाहिये। इसलिये कि प्रादेशिक सरकार उनके बीच में सोशल वेलफेयर के कार्य को बढ़ाना चाहती है और उसके क्षेत्र को और अधिक व्यापक करना चाहती है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बात को पुनः स्पष्ट करेंगे कि जहां उन्होंने अभी कहा कि सरकार ने अपने आफिसरों को कहा है कि वे कांफिडेंशियल तरीके से इसकी जांच करें, तो क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब फार्म में छप गया है और सम्बन्धित जवाब जो आयेगा वह भी कई किताबों में छपेगा, तो किस प्रकार से कांफिडेंशियल तरीके से जांच करने का आदेश सरकार ने दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह सूचना और किसी को तो दी जायेगी नहीं। वह सूचना तो सरकार के पास आयेगी और सरकार के पास ही रहेगी।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो वेश्यावृत्ति है वह कितने प्रकार की होती है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि विमुक्त जातियों में कौन-कौन जाति आती हैं तथा क्या गंधर्व जाति भी उसमें है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने बतलाया कि मैं कोई एन्थ्रोपोलाजी का विशेषज्ञ तो हूं नहीं जो बहुत-सी जातियों के बारे में जिक्र कर सकूं, लेकिन यदि माननीय सदस्य इसके लिये नोटिस देंगे तो मैं सूचना प्राप्त करके उनको बतला सकूंगा कि क्या उन जातियों में यह बुराई है या नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस सम्बन्ध में अधिकतर जानकारी विरोधी पक्ष को है, तो क्या वे जनगणना अधिकारियों को ऐसा कोई आदेश देंगे कि वे विरोधी पक्ष के सदस्यों से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यदि विरोधी पक्ष के लोगों को इस विषय में बहुत जानकारी है तो सरकार उस जानकारी और उस अनुभव से फायदा उठाने की अवश्य चेष्टा करेगी, यदि वे देना चाहें।

श्री चन्द्रजीत यादव—सन् १९४१ तक जो सेंसस हुआ वह जाति के आधार पर हुआ करता था, लेकिन भारत सरकार ने उचित समझा कि हमारे सेंसस में सोशल डिफरेंसेज यानी ऊंची जाति, नीची जाति का भेदभाव न आने पावे, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने जाति के आधार पर सेंसस करना बन्द कर दिया और जहां तक क्रिमिनल ट्राइब्स या विमुक्त जातियों का सम्बन्ध है, वे हमारे प्रदेश से अन्य प्रदेश में और अधिक संख्या में हैं। अगर भारत सरकार आवश्यक समझती कि इस प्रकार की सूचना अपेक्षित है तो भारत सरकार अपने रूल में इस तरह का प्राविजन करती, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह चूंकि अनावश्यक है किसी से पूछना कि क्या आपके परिवार में वेश्यावृत्ति होती है, उसने इसे नहीं रखा। तो क्या राज्य सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार की सूचना लेना अनुचित है और सेंसस अधिकारी सही ढंग से काम करें इसलिये वह सेंसस रूल में से इस तरह की जो जानकारी ली जाती है उसको निकालने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार केवल वास्तविकता जानने की चेष्टा करती है और इस तरह से वह उनके बीच में जाकर उनकी अधिक सेवा करना चाहती है और इस तरह की वास्तविकता को उनके बीच से दूर करना बहुत आवश्यक है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि विमुक्त जाति में कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें इस किस्म का पेशा है और उन्हीं से यह प्रश्न किया जाता है ? तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि विमुक्त जाति की श्रेणी में जितनी भी ऐसी जातियां हैं, उनमें से केवल उसी वर्ग के लोगों से इस तरह का प्रश्न किया जाय जिनमें यह पेशा होता है और सब से न किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उन वर्ग के लोगों से ही यह प्रश्न पूछा जाता है जिनके बारे में यह सूचना है कि उनके यहां इस प्रकार का दोष अब तक प्रचलित है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बताने का कष्ट करेंगे कि विमुक्त जातियों में कौन-कौन सी जातियां हैं जिनके सम्बन्ध में इस प्रकार की कार्यवाही होती है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बता दिया है कि उन्हें मालूम नहीं है । यदि हो, तो बता दीजिये ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । जो ऐन्थ्रोपालोजी के विद्यार्थी होंगे उनको इस बात का ज्ञान होता है कि उनकी, इस प्रकार के लोगों की बस्तियां कहां-कहां हैं ।

श्री मदन पांडेय—आखिर किन-किन जातियों के विषय में उन्होंने आदेश दिये हैं वे यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष—उन्हें मालूम नहीं है ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—इन विमुक्त जातियों के विषय में जांच करने के लिये कोई स्पेशल स्टाफ है या वही मामूली लोग जैसा हमेशा किया करते हैं, कर रहे हैं ? यदि कोई विशेष स्टाफ है जिनको जनगणना करने का काम दिया गया तो क्या इन जनगणना करने वालों के पास ऐसी विमुक्त जातियों की कोई सूची है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह कार्य तो बेड़िया जाति जो कहलाती है उसी के सम्बन्ध में सरकार के पास सूचना है और उनके सम्बन्ध में या इन जातियों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के सिलसिले में सरकार ने उन्हीं व्यक्तियों को जो इस सेंसस का कार्य कर रहे हैं इस सूचना को भी प्राप्त करने के लिये आदेश दिये हैं ।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या मुख्य मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर जो एक्स-क्रिमिनल ट्राइब्स हैं उनमें केवल किसी विशेष जाति का यह पेशा है उन्हीं जातियों से सवाल किये जायेंगे जिनके सम्बन्ध में यह हो कि इस प्रकार की जाति हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास जो सूचना है उसमें तो मुझे यह बतलाया गया है कि बेड़िया लोग हैं उनके विषय में सवाल पूछे जाते हैं और कान्फीडेंशल ढंग से पूछे जाते हैं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मुख्य मंत्री महोदय के उत्तर से सम्बन्धित अध्यक्ष महोदय, अभी यह बताया गया है कि डिनोटीफिकेशन हुआ । तो डिनोटी-फिकेशन तो नोटीफिकेशन का होता है । तो मैं मुख्य मंत्री जी से ऐंथ्रापालोजी के विद्वान की हैसियत से नहीं बल्कि मुख्य मंत्री और सरकार के प्रमुख होने की हैसियत से यह जानना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन में किन-किन जातियों की चर्चा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं इस समय तो वह सूचना देने में असमर्थ हूं क्योंकि मेरे पास यह चीजें नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य नोटिस मुझे देंगे तो मैं उस सूचना को प्राप्त करके बता सकूंगा।

श्री अध्यक्ष—यह अब समाप्त करना चाहिये, काफी हो गया है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विधेयकों पर विवाद के लिये समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—अब यह सूचना मैं सदन को दे देना चाहता हूं। मैं सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्य मंत्रणा समिति ने २१ फरवरी, ६१ के निर्णय पर पुनर्विचार करके आज २२ फरवरी, १९६१ की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों पर सामान्य विवाद, खंडशः विवाद तथा पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय :—

(१) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ जो अभी जारी है २२ फरवरी, आज को सायंकाल ४ बजे तक।

(२) उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६० पर २२ फरवरी को सायंकाल ४ बजे के बाद सदन उठने तक,

(३) कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१, ४ घंटे,

(४) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१, २ घंटे, तथा

(५) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१, १ दिन।

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन—(१) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१,

(२) उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६०,

(३) कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१,

(४) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१, तथा

(५) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा-सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ पर विचार तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१, उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६०, कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अनुपूरक विधेयक, १९६१, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तुत समय-निर्धारण से सहमत हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मागता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री धर्मसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६७–१६८ पर)

नियम ५३ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के संबंध में जानकारी

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैंने भी दफा ५३ का एक नोटिस दिया था और आपने अपना निर्णय देने के लिये कहा था ।

श्री अध्यक्ष—मैंने आज के लिये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि निर्णय दूंगा ।

श्री प्रतापसिंह—मैं सूचना चाहता हूं कि वह आपके पास पहुंचा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—अभी नहीं पहुंचा है ।

स्थायी समितियों की बैठक न होने पर आपत्ति

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है कि सदन की जो विभागीय समितियां चुनी गई थीं, स्टैंडिंग कमेटीज, उनकी एक भी बैठक नहीं हुई है सब काग़जी मामला है, उनके बारे में कुछ सरकार से कहलवा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—इस विषय में आप को मालूम होगा कि मुख्य सचेतक ने कह दिया था कि वह बैठकें जल्द बुलवायेंगे और आगे ऐसी चीज न होगी ।

*उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक पर विचार जारी होगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों ही ओर के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे संशोधन पर बहुमूल्य प्रकाश डाला जो कि मैंने इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था । न सिर्फ मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिनकी वक्ताओं में संख्या ९० प्रतिशत से अधिक रही व जिन्होंने इस का समर्थन किया । मैं उनका भी अनुग्रहीत हूं जिन्होंने कि इसका विरोध करने की कोशिश की । इसलिये पहले

---

* १४ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही में छपा है ।

† २१ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही से ।

में उन्हीं का जवाब देना चाहता हूं । माननीय हरीसिंह जी, शायद इस समय सदन में नहीं हैं उन्होंने एक चीज यह कही थी कि इस में हरिजनों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । मैं मानता हूं कि हरिजन अधिक होने चाहिये लेकिन मेरी राय यह है कि रिजर्वेशन के आधार पर मांग करने से दिक्कत यह होती है कि वह जाति वाद में अपने को कमजोर feel करने लगती है और ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई बेल बिना किसी पेड़ के सहारे नहीं ठहर सकती उसी तरह उनमें भी यह कमजोरी आ जाती है कि वह सदा सहारा ही चाहते हैं । इसलिये यह रिजर्वेशन इन जातियों की आने वाली पीढ़ियों के लिये उचित न होगा । यह समझना कि हम हरिजन हैं भारतीय नहीं, स्वयं हरिजनों के हित में न होगा । मैं चाहता हूं कि इस तरह के जाति के पचड़े को दूर होना चाहिये । आपस में सब लोग एक रहें । हम सब भारतीय हैं और भारतीय के नाते रहें । हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्मण, ठाकुर, हरिजन, इस तरह के मतभेद बने रहेंगे तो देश का नाश होगा । लेकिन उनकी इत्तला के लिये मैं कह दूं—माननीय पूर्व वक्ता सदस्य को शायद समय न मिला हो बिल को पढ़ने का क्योंकि और बहुत से काम रहते हैं इससे ज्यादा जरूरी जिन्हें शायद वह समझते होंगे सन् १९५८ का जो बिल पास हुआ था और जो अब अधिनियम है उसमें एक अनुसूची है । उसकी उपधारा (२) के उपखंड (२) में एक हरिजन कार्यकर्त्ता की व्यवस्था की गई है । हरिजन लोग पिछड़े हुए हैं, तो सभी लोग कोशिश करें कि वह अधिक से अधिक आवें, लेकिन रिजर्वेशन के जरिये नहीं बल्कि जनरल सीट से आवें ।

श्री रामलक्षण तिवारी ने भी कुछ बातें कहीं । उन्होंने यहां तक कह दिया कि १९४८ का जो चुनाव हुआ था वह बालिग मताधिकार के अनुसार हुआ था । पता नहीं उनके जिले में हुआ था या स्वप्न में हुआ था । लेकिन वास्तविकता में कहीं नहीं हुआ । लारी जी कह रहे हैं कि वह जिला बोर्ड के चेयरमैन भी हैं । तो भगवान् ही मालिक है उस बोर्ड का . . . ,

श्री अध्यक्ष—क्या भुवाली के चेयरमैन हैं ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जी नहीं, लारी जी कह रहे हैं कि बलिया के या कहीं और के हैं । गौरीशंकर राय जी वहीं से आते हैं, वह भी मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं । तो उन्होंने कम से कम नाम सार्थक कर दिया ।

उन्होंने कहा—"कि जिलाधीशों के यहां न्याय नहीं मिलता था । जिलाधीश जिला बोर्डों में मनमानी करते थे । इसलिये उसको निकाला तो बहुत अच्छा किया" । यहां पर एक दूसरी भावना आती है । अगर उन्हें कोई personal grudge है और इस तरह से जिलाधीश को (criticise) किया जाय तो ऐसा लगता है कि चेयरमैन साहब को किन्हीं बातों में जिलाधीश से मतभेद हो, उनको कोई अपनी व्यक्तिगत दिक्कत रही हो तो दूसरी बात है ।

जहां तक गैरसरकारी सदस्य के रखने का सिद्धान्त है, हम उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं । लेकिन जैसा गौरीशंकर राय जी ने फरमाया, वह किसका अध्यक्ष होगा ? बड़ा अच्छा होता अगर वह अध्यक्ष भी चुने हुए लोगों का होता । लेकिन जिला अन्तरिम परिषद् की जिस तरह से व्यवस्था है और जिसको माननीय नवलकिशोर जी को भी तसलीम करना पड़ा और शायद मंत्री जी ने भी जिसका समर्थन किया था कि हमने ढांचा नहीं बदला । सारा शरीर वही है, सिर्फ टोपी बदल दी है और कह दिया कि आदमी बदल दिया । तो ऊपर की टोपी बदलने से आदमी नहीं बदलता । अगर वाकई जनतांत्रिक पद्धति सरकार लाना चाहती है तो सारा शरीर बदलने की जरूरत है, बाहर का आवरण बदलने से काम नहीं चलेगा । मनोनीत किये गये लोगों का गैर-सरकारी अध्यक्ष रखने से भी तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है ।

यह जिला अन्तरिम परिषद् की जो व्यवस्था है इसमें मनोनीत जो लोग होंगे उनकी संख्या इतनी है— एक हरिजन, एक औरत, दो मेम्बर्स जिला बोर्ड ने पहले से भेज रखे थे

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

जो कि जिला नियोजन कमेटी में पहले से चले आते थे, और ५ सदस्य और । इसी तरीके से २ नामांकन जिलाधीश करेगा एक स्काउट एसोसियेशन का और एक विकास कार्यों में रुचि रखने वाला व्यक्ति । इसके बाद एक सोल्जर्स बोर्ड का सेक्रेटरी होगा, एक प्रेसीडेन्ट होगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का । इसी तरीके से कृषि पंडित, प्लानिंग बोर्ड का मेम्बर, भारत सेवक समाज का मेम्बर, राज्य कृषि बोर्ड का मेम्बर, यह २२ नामांकित लोग होंगे जिस बोर्ड में २२ आदमी सरकार के नामीनेटेड हों, सरकार की कृपा के पात्र रहें, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेसीडेंट कौन हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—आप कितना समय लेंगे ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जितनी जल्दी हो सकेगा खत्म करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—इसलिये मैं कह रहा हूं कि आज समय निश्चित हो चुका है और बहुत से खंडों पर भी विचार होना है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं ८,१० मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—साढ़े १२ बजे तक आप खत्म कर दें ।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—तो मैं कह रहा था कि वर्तमान अन्तरिम जिला परिषदों में २२ आदमी नामजद हैं। लेकिन हमसे कहा यह जाता है कि परिषद् में गैरसरकारी अध्यक्ष रखेंगे । आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि उन नामांकित लोगों में ९५ फीसदी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं । अब इतना बड़ा ब्लाक जिस पार्टी का वहां हो और उसके साथ एम० एल० एज और एम० एल० सीज भी हों तो ऐसी स्थिति में सिवाय कांग्रेसी के अध्यक्ष कौन होगा ? दुनियां के सामने यह कहना कि हमने गैर-सरकारी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया एक ढोंग है इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । माननीय श्रीकृष्ण गोयल जी ने कहा कि अगर जनता कांग्रेस को अधिक पसन्द करती है तो विरोधी दलों को चाहिये कि वह अपने को ऐसा बनायें जिससे जनता उनको पसन्द करने लगे । मैं मानता हूं यहां भी हम बहुमत के आगे सर झुकाते हैं क्योंकि आम चुनाव में कांग्रेस दल का ही इस सदन में बहुमत है लिहाजा उनकी बात मानी जायगी और प्रजातंत्र भी यही कहता है । लेकिन जिला बोर्डों में २२,२२ नामजद आदमी हों और एम०एल०एज और एम० पीज आगे भी हों जिन्होंने वहां के लिये जनता का Verdict नहीं लिया है तो वहां रहना गलत चीज है । M. L. A. is not the panacea for all diseases. अतः १९४८ के बाद चुनाव हुये नहीं तो लिमिटेड फ्रैन्चाइज के आधार पर चुने हुये जहां लोग हों और मनोनीत लोग भी जिस बोर्ड में हों उसे प्रजातांत्रिक कहा जा सकता है । हरगिज नहीं । 'no representation without taxation' जो कर देते हैं जब तक वे अपने नुमाइन्दों को न छांटें तब तक रिप्रेजेन्टेशन नहीं कहा जा सकता । मेरा इस सरकार पर आरोप है कि वह क्यों नहीं चुनाव कराना चाहती ? क्योंकि वहां उनके नामांकित सदस्य रहेंगे और कवाल टाउन्स के चुनाव का नतीजा सरकार के सामने है । बनारस में १४ जनसंघ के आये और १७ कांग्रेस के इतनी बड़ी कांग्रेस महारानी, इतना फौज फर्रा, कहां कांग्रेस राजा भोज और कहां गंगू तेली जनसंघ, लेकिन ८ साल में हम उनके बराबर हो गये और राजधानी के अन्दर, मैं नम्र निवेदन करूं कि २६ जनसंघ के महापालिका सदस्य चुन के आ सकते हैं आम चुनावों के बाद और १३ कांग्रेस के इस साल बड़ा जोर लगाया मेयर के चुनाव में कम्युनिस्टों को कांग्रेस द्वारा देश का दुश्मन बताया जाता है, लेकिन जनसंघ को हराने के लिये मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्टों से कांग्रेस ने गठबंधन किया सब मिल कर चुनाव जनसंघ के खिलाफ लड़े । लेकिन कई कांग्रेस के मेम्बरों ने देखा कि जनसंघ ज्यादा प्रजातांत्रिक है उसे वोट

दिया और जनसंघ जीता। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, आज सरकार को जनता तो दरकिनार अपने ही द्वारा निर्वाचित सदस्यों के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। एम० एल० सीज का चुनाव हुआ। उसमें भी जनसंघ जीता। ३० वोट चाहिये थे जबकि जनसंघ के १४ एम० एल० सीज थे। बाकी कुछ कांग्रेस, पी० एस० पी०, स्वतंत्र और दूसरों से मिले।

इसके अलावा, श्रीमन्, एक बड़े दुख की बात है। आपसी झगड़ों के कारण आज यह डर है कि हमारे कोई नेता न चले जायं। इन झगड़ों के कारण हमारे देश के नेता पंडित गोविंद वल्लभ पंत को जो धक्का लगा है, वर्किंग कमेटी में जो हाल में प्रस्ताव पास हुआ उससे, उनकी आंखों में आंसू आ गये, ईश्वर करे वे दीर्घायु हों। लेकिन अगर उनको कुछ हो गया तो कांग्रेस के माथे पर कलंक का टीका लगेगा।

श्री अध्यक्ष—इस बिल के हिसाब से आप कहते जाइये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जब से पंत जी की बीमारी की खबर सुनी है उधर के बैठने वालों को भी बहुत बुरा लगा है। वही उद्गार मेरे मन में थे, रोकने पर भी वे निकल गये। अब बिल पर ही आ रहा हूं।

गोविंदसहाय जी ने कहा कि सरकार कहती है कि वह प्रजातंत्र की ओर अग्रसर हो रही है। गोविंदसहाय जी सामुदायिक विकास और जन-सहयोग मूल्यांकन समिति के चेयरमैन थे। उनकी हैसियत किसी मिनिस्टर से कम इस आदरणीय सदन में नहीं बतलाई जाती है, विद्वान् आदमी हैं। कल वे भी अपना रोना रोये। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन समिति की जो रिपोर्ट उन्होंने लिखी थी और सुझाव दिये थे उन पर अमलदरामद करना तो दरकिनार सरकार ने व मंत्रियों ने और जो बड़े-बड़े काबिल सेक्रेटरी थे उन्होंने उसे पढ़ने तक की भी तकलीफ गवारा नहीं की। तो क्यों यह ढोंग रचा जाता है कि हम प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहे हैं?

एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि सरकार सन् ६२ से पहले चुनाव कराने वाली नहीं है। गोविंदसहाय जी ने कहा कि इस बिल को प्रवर समिति को भेज दिया जाय और जितना अधिक डेमोक्रेटिक इसे बनाया जा सकता था बना दिया जाता तो अच्छा होता। यानी डायरेक्ट इलेक्शन से न सही, इनडायरेक्ट इलेक्शन से भी जो सिद्धांत यह आदरणीय सदन जिला परिषद्, ब्लाक्स, तथा क्षेत्रीय विकास समिति का जो बिल आया है उसके बारे में स्वीकार कर चुकी है उसी तरीके से अगर इसमें इलेक्शन करा दिये जाते तो भी फिलहाल कुछ हो जाता। लेकिन सरकार जनता को धोखा देने के लिये कहती है कि वह जून, ६१ तक इसकी मियाद बढ़ाना चाहती है। सीधे कहती कि भाई अभी इलेक्शन नहीं होते लिहाजा इतने और जनप्रतिनिधियों को हम समावेश करते हैं और जब बिल दूसरा पेश होगा तो उसके मुताबिक तब चुनाव होंगे। लेकिन आदरणीय सदन को धोखा देने के लिये जून, ६१ तक इसकी मियाद सरकार बढ़ाना चाहती है। अगर ऐसा नहीं है तो माननीय मंत्री जी साफ-साफ जवाब देंगे कि वे कब जिला परिषदों का चुनाव करा रहे हैं। इस बिल को ऐसे ही पास कर दिया जाय। जिस दिन यह बिल समाप्त हो जाय वैसे ही जिला परिषदों का चुनाव हो जायगा अगर यह आश्वासन माननीय मंत्री दे दें तो मैं अपना संशोधन वापस लेने को तैयार हूं।

हमारे एक दूसरे साथी हैं माननीय नवलकिशोर जी। वे भी मंत्री होने की स्थिति में हैं, कुछ ऐसा अन्दाज है, बहरहाल हों या न हों.....

श्री अध्यक्ष—आप अफवाहें खूब उड़ा रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं तो उनका केस प्लीड कर रहा हूं। मेरे मित्र हैं, अगर हो जाते हैं तो जब यहां मंत्रियों की बाढ़ आ रही है तो क्या बुरा है। अपनी तकरीर में माननीय नवलकिशोर जी ने एक बात कही आर्डर आफ प्रिसिडेंस के बारे में और इस सम्बन्ध में वे इस

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

आदरणीय सदन में कई बार कह चुके हैं और इस आदरणीय सदन के सदस्यों की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं और आज तो जनतंत्र की पद्धति इतनी नीचे गिर चुकी है कि इंगलैन्ड की महारानी आयीं तो बेचारे एम०एल०ए० का यह हाल हुआ कि कहीं उसे सीट तक नहीं मिली बैठने को। यह हमारे प्रजातंत्र की उत्तरोत्तर वृद्धि इस सरकार में चरम सीमा पर पहुंच गयी है।

इन शब्दों के साथ में आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि वह मेरे संशोधन का समर्थन करें क्योंकि इस बिल को कुछ संशोधित करने की जरूरत है ताकि इसे डेमोक्रेटिक बनाया जा सके।

श्री अध्यक्ष—माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, आप दस मिनट में ही जवाब दे लें जो संगत बातें हों उनका, असंगत बातों का जवाब न दें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—मैं दस मिनट में ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा लेकिन अगर . . . . . .

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि अगर १ बज जायगा तो फिर वोटिंग वगैरह होना मुश्किल हो जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि जल्दी हो।

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने पथ-प्रदर्शन किया है मैं वैसा ही करने का प्रयत्न करूंगा और अधिक समय नहीं लूंगा यद्यपि इस माननीय सदन में बहुत-सी बातें कही गयी हैं। उसमें जो धाराओं के सम्बन्ध में बातें कही गयी हैं उनका उत्तर जब धाराओं पर संशोधन आयेंगे उसी समय में दूंगा।

अपने आदरणीय मित्र, श्री गोविंद सिंह जी की बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने जो यह प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने का रखा है उसके पक्ष में कोई विशेष बात मुझे समझ में नहीं आयी। माननीय पंत जी को तकलीफ है और उनकी जानकारी के अनुसार उनकी यह तकलीफ इस वजह से है कि हमारे आपसी झगड़े हैं प्रवर समिति में यह विधेयक चला जायगा तो यह चीज कैसे समाप्त हो जायगी, मैं समझ नहीं पाया, श्रीमन्, यदि वास्तव में उनको इतनी सहानुभूति है तो जो पथ-प्रदर्शन देश और प्रदेश का पंत जी कर रहे हैं और जिसमें देश का कल्याण और विकास वे समझते हैं माननीय विष्ट जी उस बात को तो कभी मानते ही नहीं हैं। खैर, इस विधेयक के सम्बन्ध में यह बात बार-बार स्पष्ट करके पूछी गयी है और नीयत पर भी इस सम्बन्ध में हमला किया गया है कि परिषदों का चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। श्रीमन्, जिस समय यह अध्यादेश जारी किया गया था और ३० जून, १९६१ तक की अवधि रखी गयी थी तो यह धोखा देने के लिये नहीं किया गया था कि माननीय सदस्यों को या आम लोगों को धोखे में डाले। एक दफा जैसा मैं पहले भी इस सदन में निवेदन कर चुका हूं, अध्यादेश लाते समय इस बात की इच्छा थी कि यदि चुनाव हम करा सकें तो करा दें। श्रीमन्, मैंने बहुत गम्भीर तरीके से इस बात के अध्ययन करने की कोशिश की है और इस सदन के माननीय सदस्यों को भी सुना है और उस सदन के माननीय सदस्यों को भी सुना है, इधर के बैठने वालों को भी सुना है और उधर के बैठने वालों को भी सुना है। एक इच्छा यही रही है कि जिला परिषदों में जो सदस्य चुनकर आयें वह केवल इनडायरेक्ट इलेक्शन से न आयें बल्कि बालिगमताधिकार के आधार पर चुनकर आने चाहिये। जो विधेयक इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों द्वारा पारित हुआ है और विधान परिषद् में विचाराधीन है, उसमें यह चीज है।

श्रीमन्, जनतंत्र को कोई ठेस हम पहुंचाना नहीं चाहते हैं और जो बहुत दिनों के विचार के पश्चात् इस विधेयक में यह चीज लाई गई थी कि बालिग मताधिकार के आधार पर जिला परिषदों के सदस्यों को बनाया जाय तो मैंने इन दोनों चीजों को तोलने की कोशिश की। यह बात प्रतीत होती है कि जिला परिषदों के सदस्यों को यदि बालिग मताधिकार के आधार पर चुनेंगे तो चुनाव होना दुश्वार है, चुनाव नहीं हो पायेंगे क्योंकि अब यदि वह विधेयक पारित हो तो इस प्रदेश की एक विशेष परिस्थिति है जिसमें बालिग मताधिकार के आधार पर मौसम की वजह

से चुनाव कराना दुश्वार होता है। बरसात का मौसम और घोर गरमी के मौसम ऐसे हैं कि जिनमें बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव कराना कठिन है।

श्रीमन्, इसके अलावा अब यदि विधेयक को पारित करके उसके अन्तर्गत नियमों को बनायें और चुनाव की प्रतिक्रिया होती है जैसे क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाताओं की सूची प्रकाशित करना तथा अन्य कार्यवाहियों को शीघ्र से शीघ्र करने में भी ६-७ महीने लग जाते हैं। इस लिये बहुत शीघ्र से शीघ्र काम किया जाय तो भी नवम्बर के पूर्व चुनाव कराना दुश्वार होगा। माननीय सदस्यों को यह भी मालूम है कि देश भर में फरवरी-मार्च में चुनाव होने वाले हैं और चूंकि देश भर में आम चुनाव होने वाले हैं, इसलिये नवम्बर और अक्तूबर के मास ऐसे हैं जिनमें सम्भवतः बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस प्रदेश में जिला परिषद् बनाने के लिये चुनाव में उतरना पसन्द न करेंगी और सम्भवतः यह ठीक भी नहीं होगा। समयाभाव के कारण मैं इस प्रणाली में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन इस प्रदेश की एक विशेष परिस्थिति है। जनवरी के महीने में पंचायतों के चुनाव हुये और वह बालिग मताधिकार के आधार पर हुये और श्रीमन्, उनमें शिकायतें हैं माननीय सदस्यों को कि कुछ बेईमानी हुई और वह एक तरफ है। लेकिन यह भी सही बात है कि चुनाव में पारस्परिक विरोध खड़े हुये, पार्टीबंदियां पैदा हुईं। इसके कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम डर जायं। लेकिन वस्तु परिस्थिति कि चुनाव जो हुये उनमें दलबंदियों के लिये कहा जाता है कि गांव-गांव में पैदा होती हैं यद्यपि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। झगड़े भी हुये हैं। कहीं-कहीं खेद है कि मृत्यु की भी खबर आयी है। इस तरह से चुनाव के कारण एक परिस्थिति पैदा हुई। उसको शांत होने में एक समय लगता है। उसके बाद फिर एक दूसरा चुनाव करें। एक साल के अन्दर फिर एक तीसरा चुनाव करें। फिर यह वैसे भी अच्छा नहीं है। अपने प्रदेश के राजनैतिक मसलों पर शांति के साथ आम लोग विचार कर सकें, यह भी मुश्किल होगा। चूंकि मुझ से बार-बार कहा गया कि आपको स्पष्ट करना चाहिये तो काफी सोच-विचार के बाद मैंने देखा कि नवम्बर से पहले बालिग मताधिकार के आधार पर परिषदों का चुनाव कराना दुश्वार होगा और नवम्बर से जनवरी तक चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। इसलिये मेरा स्पष्ट मत है कि यह जिला परिषदों का चुनाव आम चुनाव से पूर्व उस विधेयक के आधार पर जो विधेयक इस माननीय सदन से पास हुआ है नहीं हो पायेगा। (व्यवधान) बिल तो लाये हैं क्योंकि इसको अधिनियम बनाना है। छः सप्ताह के बाद अध्यादेश का जीवन समाप्त हो जाता है और अन्तरिम जिला परिषदों को चलाना है तो जिले में कोई शून्य तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो यह बात स्पष्ट है कि आम चुनाव से पूर्व परिषदों के चुनाव उस रूप में नहीं हो सकेंगे जिस रूप में इस माननीय सदन ने उस विधेयक को पारित किया था।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जो माननीय सदस्यों ने और विशेषकर मेरे दोस्त विष्ट जी ने कही है कि इसमें नामजदगियों की तादाद बहुत ज्यादा है और अंतरिम जिला परिषदें नामजदगीशुदा संस्थायें हैं। यह बात तथ्यों के विपरीत है। बड़े-बड़े जिलों के मेरे पास आंकड़े हैं। माननीय विष्ट जी आज जो अंतरिम जिला परिषदें हैं, उनकी संख्या देखें। अधिक जिलों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं लेकिन काफी जिलों में १०० से अधिक नान आफिशल सदस्य हैं जिनमें अधिकांश चुने हुये हैं। म्युनिसिपल बोर्ड का प्रेसीडेंट, टाउन एरिया का प्रेसीडेंट, नोटीफाइड एरिया का प्रेसीडेंट या पार्लियामेंट के मेम्बर्स यह चुने हुये लोग हैं। जहां तक नामजदगी का प्राविजन है पांच सरकार की तरफ से नामजद होते हैं और दो कलेक्टर की तरफ से, यह सात नामजदगियां होती हैं—एक हरिजन और एक महिला यदि कोई हरिजन या महिला न हो। यह सीधे तरीके से नामजदगियां कहलाती हैं। शेष नामजदगियां नहीं कही जा सकतीं। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में इस विधेयक को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरा विचार करने का प्रस्ताव स्वीकार करे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—मान्यवर, एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी कोई चुनाव करवाने का इरादा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जो विधेयक हमारी असेम्बली से पास हुआ वह नियमानुकूल वैसे भी छः महीने के अन्दर

[श्री प्रतापसिंह]

पास माना जायगा । उसके बाद उस विधेयक का क्या स्वरूप होगा ? उसमें अभी अमेंडमेंट लायेंगे या उसी तरह से उसको पास कराया जायगा, उसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—मुझे कुछ विशेष कहना नहीं है उसमें । वह तो विधान परिषद् के समक्ष है और विधान परिषद् उस पर विचार कर रही है और यह बात है कि सन् ६२ के आम चुनाव के पूर्व उस पर कार्यवाही नहीं हो सकती है जो बालिग मताधिकार का आधार उसमें है उस आधार पर क्योंकि उसके दो भाग हैं, एक क्षेत्र समिति का बनाना और एक जिले का संगठन बनाना । दो अंग उसके मुख्य हैं । उनका आपस में भी सम्बन्ध है जो मैंने आपसे निवेदन किया वह सिर्फ उस भाग के बारे में निवेदन किया है कि जिला परिषद् जो बालिग मताधिकार के आधार पर बननी है उसका चुनाव कराना आम चुनाव से पहले मुश्किल है । किन्तु उस विधेयक को हम चलायेंगे और उसमें जिन संशोधनों की आवश्यकता होगी विधान परिषद् के द्वारा उन संशोधनों को करके इस माननीय सदन के सदस्यों के समक्ष वह पेश होगा । यह खयाल है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में एक वैधानिक प्रश्न है । आप व्यवस्था देने की कृपा करें कि एक विधेयक अभी विचाराधीन है दोनों सदनों के बीच । इस सदन ने पास किया दूसरे सदन में विचाराधीन है । उसी सम्बन्ध का, उसी विषय का दूसरा विधेयक इस सदन के सामने विचाराधीन है । यह पहले पास हो जायगा वहां से कौंसिल में जाकर या वह पहले पास होगा, या दोनों पास हो गये तो इनके कांट्राडिक्शंस में किसकी मान्यता होगी, समझ में बात कुछ आती नहीं है....

श्री अध्यक्ष—वह अन्तरिम जिला परिषद् का नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय—नहीं है । लेकिन विषय तो एक ही है । परिषद् के बारे में वह भी है ।

श्री अध्यक्ष—यह तो थोड़े से समय के लिये है ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो १ सप्ताह के भीतर इस पर अपनी रिपोर्ट दे तथा जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—मैं आदरणीय सदन से राय ले लेना चाहता हूं । इस सदन में १ बजे से २ बजे तक यह प्रथा रही है कि बैठते तो हम हैं लेकिन किसी विषय के ऊपर राय नहीं लेते हैं लेकिन आज प्रस्तुत विधेयक के खंडों पर विचार हो रहा है तो सदन अपनी राय उसमें देगा क्योंकि ४ बजे तक इसको पास होना है ।। अगर राय नहीं लेते हैं तो एक घंटे तक एक संशोधन ही चलता रहेगा । आप लोग अगर इस मत के हों कि राय ली जाय तो आज वह प्रथा स्थगित कर दें । इस सम्बन्ध में सरकारी सचेतक जी क्या चाहते हैं ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—मैं समझता हूं राय ले ली जाय और यह विधेयक चलता रहे ।

श्री गौरीशंकर राय—यह परम्परायें यदि आप स्थगित करना चाहें तो कर दीजिये। परम्पराओं के सम्बन्ध में आपको पूर्ण अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—मैंने इसलिये पूछा कि सम्भव है कि किसी को दिक्कत हो उतने समय के लिये।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह प्रथा हमारी थी। उस बीच में हम चैलेन्ज नहीं करते थे लेकिन परसों प्रतापसिंह जी ने जब कोरम के लिये डिवीजन चैलेन्ज किया तो हमको कोरम न होने से स्थगित करना पड़ा। वह प्रथा तोड़ दी गई है ....

श्री अध्यक्ष—वह एक प्रथा है। उसके लिये कोई नियम नहीं है। इसके बारे में हम सदन से राय ले सकते हैं। हम लोगों ने आपस में तय कर लिया था कि एक बजे से दो बजे तक राय नहीं लेंगे, लेकिन राय लेना यदि हम आज स्वीकार करें तो आज इस बीच कोरम का रखना अनिवार्य होगा।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—वह प्रथा थी, लेकिन हमारे मित्र ने उसको नहीं माना।

श्री प्रतापसिंह—अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने कोई डिवीजन काल किया, मैंने उस समय कोई डिवीजन काल नहीं किया था। मैंने तो दरख्वास्त की थी कि इस परम्परा को निभाना भी हमारा कर्त्तव्य है। नहीं तो यह होगा कि आप रहेंगे, वक्ता रहेगा और मंत्री जी रहेंगे और बाकी सब लोग तफरीह के लिये चले जायंगे।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—इसके पहले तो यह होता रहा है कि संशोधन मुल्तबी होते रहे और २ बजे के बाद उन पर राय ले ली गई। यह प्रथा इस सदन की थी कि बिल बराबर चलता रहा और संशोधन होते रहे और बहस खत्म होती रही लेकिन वोटिंग बाद में लिया गया। तो इस पर भी बाद में ले लिया जाय।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—सदन में यह प्रथा रही है कि बहस तो होती रही लेकिन उन पर वोटिंग २ बजे के बाद कर लिया गया। तो इस पर भी २ बजे के बाद कर लिया जाय जैसा कि बलदेवसिंह जी ने कहा।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैं इससे सहमत हूं और ऐसा कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—राय १ बजे से २ बजे तक नहीं ली जायगी। २ बजे के बाद राय लेना शुरू किया जायगा। राय लेना एक घंटे के लिये स्थगित रहेगा। इस बीच में खंडों पर विचार होता रहेगा।

प्रस्तावक, जो संशोधन का है उसको ५ मिनट दिया जायगा और बाकी जो संशोधनों पर बोलना चाहते हों उनको ३ मिनट का समय दिया जायगा। इस तरह से संशोधनों पर भाषण होकर उन पर राय ली जा सकेगी।

खंड २

२—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (३) में अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६०" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३० जून, १९६१" रख दिये जायं।

उ०प्र०अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा १ का संशोधन

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की तीसरी पंक्ति में अंक तथा शब्द "३० जून" के स्थान पर "३० अप्रैल" रक्खा जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन इसलिये है कि अगर वाकई में सरकार का कोई मंशा है कि जिला अंतरिम परिषदें न रहें और जल्दी चुनाव हो जायं, तो वह इसे मान लेगी। सरकार ने पहले कहा था कि अगर यह सदन सितम्बर तक इस विधेयक को पास कर दे तो फरवरी तक चुनाव हो जायंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ उसे जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ यद्यपि मैं जानता था कि सरकार क्या करने वाली है। आज मंत्री जी ने साफ साफ बात कह दी। आज तक कांग्रेस के उधर बैठने वाले लोग शिकायत करते थे कि हम उनकी नीयत पर शक करते हैं। जब-जब हमारी तरफ से कहा गया कि यह सरकार सन् ६२ से पहले चुनाव कराने नहीं जा रही है तब तक यह कहा गया कि तुम हमारी नीयत पर शक करते हो, पर हम चुनाव पहले करा देंगे। लेकिन आज बात साफ हो गयी। हमारी बात की पुष्टि हो गयी और उसके प्रमाण रूप में साक्षी के तौर पर माननीय मंत्री जी यहां पेश हैं। सन् १९५२ में जब नया बिल लाने के लिये कहा गया.....

श्री अध्यक्ष—अब तो आप केवल शक ही नहीं करेंगे और स्पष्ट कहेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अब तो मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम ऐसा करेंगे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम सही बात तो उन्होंने आदरणीय सदन में कही। लेकिन क्या यह सही बात है? कांग्रेस में, सरकार में जो परिवर्तन हुए हैं, अखबारों में जो रोज प्रोपेगेन्डा होता है कि हम कम खर्ची करने जा रहे हैं, जनता की बातों को हम मानेंगे, हम यह करेंगे, वह करेंगे, क्या इसमें कोई तथ्य है या केवल यह सब नाटक है, ढोंग है। यह सब जनता का वोट प्राप्त करने के लिये एक जाल है और उसका एक स्वरूप जनता के सामने आज प्रकट हो गया। सन् १९४८ में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चल रहे थे उनका चुनाव १९५२ में नहीं कराने दिया गया। उस वक्त भी सरकार की नीयत थी कि जनता धोखे में रहे। उस वक्त पर यह कहना कि हम कंप्रिहेंसिव बिल ला रहे हैं, गलत था। १९५७ में जो बात कही गयी वह भी गलत थी। १९५८ में १४ फरवरी को जब जो बिल आया पुराने ऐक्ट के मुताबिक, उस समय भी यह कहा गया। उनकी इच्छा है कि नये चुनाव न हों अन्यथा पुराने जिला बोर्डों का एक संशोधन अधिनियम मौजूद है उसके अनुसार फौरन रूल्स बन सकते हैं और बन जाना चाहिये क्योंकि जब सदन में एक बिल पास होता है तो उसमें रूल्स बनाने की ताकत सरकार अपने हाथ में लेती है और जब सन् ५८ में एक अधिनियम बन चुका है तो मैं मंत्री जी को चैलेंज करता हूं कि क्यों नहीं उसके नियम बनवा कर के चुनाव कराये गये उसके अनुसार। अगर प्रजातंत्र में उनकी थोड़ी भी श्रद्धा रह गयी है तो वे पास हुये जिला बोर्ड के अधिनियम के अनुसार चुनाव करायें। वे उसके अनुसार अप्रैल तक चुनाव करा सकते हैं। इससे पहले कि यह आदरणीय सदन यहां से उठे, वे चुनाव पूरे हो सकते हैं। इसीलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है। लेकिन मंत्री जी ऐसा नहीं करायेंगे। वह तो चाहते हैं कि उनकी कांग्रेस की मेजारिटी ही बनी रहे। जर्मनी में हिटलर का एक साथी गोबिल्स कहा करता था कि पहली बार किसी झूठ को कहा जाय तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, दूसरी बार कहा जाय तो उन्हें कुछ शक पैदा होता है, तीसरी बार शक कुछ और बढ़ता है और बार-बार कहने पर लोग उसी पर विश्वास करने लगते हैं, तो यह भी शिशुपाल की तरह से उसी बात को बार-बार कहेंगे, और झूठ को सच बताने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन यह निश्चय है कि इस प्रकार से काम चलने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ में अपना यह संशोधन पेश करता हूं।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की तीसरी पंक्ति में "३० जून" के स्थान पर "३१ दिसम्बर" तथा "१९६१" के स्थान पर "१९६२" रख दिया जाय।

मान्यवर, जो अंतरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक सदन के सम्मुख पेश है यह केवल थोड़े संशोधन के लिये चल रहा है। वैसे जिला परिषदों के चुनाव कराने की व्यवस्था की जा रही है जिसके लिये यह सदन एक विधेयक पारित भी कर चुका है और वह विधान परिषद् के विचाराधीन है। उसके अनुसार जो अंतिम रूप हमारे जिला परिषदों का होने वाला है वह हमारे सामने होगा। इस बीच के समय में कार्य को चलाने के लिये एक अस्थायी व्यवस्था की जा रही है और एतदर्थ जो अंतरिम जिला परिषद् विधेयक था उसमें कुछ संशोधन किया जा रहा है और उसकी कुछ मियाद बढ़ाई जा रही है चूंकि अंतरिम जिला परिषद् की मियाद केवल ३१ दिसम्बर, १९६० तक ही थी और इस बीच चुनाव होना सम्भव नहीं था, लिहाजा इस सरकार को एक अध्यादेश जारी करना पड़ा और उसकी मियाद जून, १९६१ तक बढ़ानी पड़ी और उसी के आधार पर एक संशोधन लाकर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया गया है। यह हमारे सामने विचाराधीन है। इस विधेयक के द्वारा इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि अंतरिम जिला परिषद् की मियाद ३० जून, १९६१ तक बढ़ायी जाय। मैं समझता हूं कि यह मियाद इस बात को ध्यान में रख कर बढ़ाई गयी थी कि जिला परिषद् विधेयक पारित हो जायेगा और कानून की शक्ल धारण कर लेगा और ३० जून के अन्दर ही अन्दर चुनाव हो जायेंगे। किन्तु मैं समझता हूं कि जो आज परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उन सारी तैयारियों के बावजूद भी जो हमने अब तक की हैं, उनको देखते हुये चुनाव इस समय में (३० जून के अन्दर) करना सम्भव नहीं होगा। ३० जून के बाद फिर बरसात आ जाती है और बरसात में भी चुनाव नहीं कराये जा सकते हैं। बरसात के बाद फिर जनरल एलेक्शन की तैयारी में लोग लग जायेंगे, उधर के सदस्य भी और इधर के भी। तो मैं समझता हूं कि इस बात के लिये वे भी तैयार नहीं होंगे कि जनरल एलेक्शन की तैयारी के साथ-साथ जिला परिषद् के चुनाव भी कराये जायं। जाड़ों के बाद भी कोई माननीय सदस्य इस मूड में नहीं होगा कि उस समय जिला परिषदों के चुनाव हों। उस समय कोई भी इसके लिये तैयार न हो सकेगा। इन सब बातों को देखते हुये मैं समझता हूं कि दिसम्बर, १९६२ से पहले जिला परिषदों का चुनाव कराना हमारे लिये सम्भव नहीं हो सकेगा। इन्हीं बातों को देखते हुये मैंने अपना संशोधन रखा है और इसके अनुसार ३० जून, १९६१ के स्थान पर दिसम्बर, १९६२ तक उसकी मियाद बढ़ाने की प्रार्थना की है। इस समय अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कुछ दिन के बाद फिर इस विधेयक में संशोधन लाना पड़ेगा और मियाद को बढ़ाना होगा। ३० जून, ६१ से पहले मैं समझता हूं कि किसी भी हालत में चुनाव कराना सम्भव नहीं होगा।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश शरण अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

सन् ६२ के बाद ही चुनाव कराना सम्भव हो सकेगा और उस समय कोई दिक्कत हमारे सामने न होगी। उस समय लोग उसके लिये तैयार भी होंगे और जनरल एलेक्शन भी हुआ रहेगा। माननीय मंत्री जी ने भी अपने विचार सदन में प्रकट किये हैं उसको देखते हुये मुझे आशा है माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे और यह सदन भी उसे स्वीकार करेगा।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री गोविन्दसिंह विष्ट जी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका विरोध करता हूं और मैं समझता हूं माननीय विष्ट जी को बुरा नहीं लगेगा। मैं इसका विरोध इसलिये करना चाहता हूं कि अध्यादेश के द्वारा अभी इसी सदन में हम लोगों ने ३० जून, १९६१ तक समय बढ़ाने वाली मांग को मान लिया है। तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा कि जिस नीति को हम मान चुके हैं उसके पीछे जायं। माननीय विष्ट जी का यह कयास करना कि ३० अप्रैल के अन्दर ही जो क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् का विधेयक है जो कि आजकल अपर हाउस के सामने विचारार्थ है उसके अनुसार जिला परिषदों का चुनाव हो जाय, यह कयास हवाई हो सकता है और उसका कोई आधार नहीं है। वह एक बड़ा ऐक्ट है, वह पूर्ण संशोधनों के साथ कब पास हो जायगा, वह नहीं कहा जा सकता। जब तक वह कानून नहीं बन जाता

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

तब तक उसकी तहत में चुनाव नहीं हो सकते। मन्त्री जी ने ३० जून तक की अवधि रखी है उस अवधि को हम कयास के बिना पर ही दो एक महीना पहले घटा कर रख दें इसका कोई आधार नहीं है और न कोई तर्क ही है। इस सम्बन्ध में मन्त्री जी ने विष्ट जी को काफी स्पष्टीकरण दे दिया है कि जिन परिस्थितियों में हम चल रहे हैं और क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक को हम प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, उसके अनुसार हम प्रदेश में क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों का चुनाव करना चाहते हैं लेकिन यह सम्भव नहीं है कि बार-बार वोटर्स को जनमत देने के लिये परेशान किया जाय। अभी तक पंचायतों के चुनाव में आमतौर से सभी वोटर्स लगे रहे और तमाम अधिकारी लगे रहे। अब वोटर्स लिस्ट तैयार की जा रही है, जन गणना हो रही है, यह तमाम कार्य चल रहे हैं, १९६२ की तैयारी हो रही है। अभी चार छः महीने बाद ही कांग्रेस ही नहीं सभी राजनीतिक पार्टियां जनरल एलेक्शन की तैयारी करना शुरू कर देंगी और इसी तैयारी में यह साल गुजर जायगा। तो यह कतई सम्भव नहीं है कि जनरल एलेक्शन के पहले जिला परिषदों का चुनाव, जिस रूप में कि सरकार चाहती है, हो जाय। इसलिये मैं समझता हूं उनका प्रस्ताव संदिग्ध है और उसे उन्हें वापिस ले लेना चाहिये।

साथ ही साथ मैं इस राय का भी हूं कि श्री नागेश्वरप्रसाद जी का जो प्रस्ताव है उसको मान लेने में मंत्री जी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिये क्योंकि जब सरकार की नीयत साफ है, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है इसलिये वह इसको मान लें और घोषणा कर दें कि १९६२ के पहले हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं। इसको उन्हें मान लेना चाहिये और विष्ट जी का जो संशोधन है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं पूर्व वक्ता श्री रामेश्वरप्रसाद जी को आश्वासन दे दूं कि उन्होंने जो एक नाटक-सा किया, नागेश्वरप्रसाद जी के प्रस्ताव का समर्थन किया और मन्त्री जी से प्रार्थना की कि वह उसको स्वीकार कर लें, यह तो सब पहले से ही निश्चित है। वह तो मंत्री जी स्वीकार करेंगे ही। बल्कि मैं तो इसको पहले ही कह चुका हूं कि नागेश्वर जी के द्वारा ही सरकार के संशोधन आ रहे हैं।

माननीय स्वायत शासन मंत्री जी ने जो आज यहां पर स्थिति बताई उसको सुनकर के ऐसा मालूम हुआ कि सरकार एक ट्यूब में हवा भरती गई और भरते-भरते उसमें इतनी हवा भर दी गई कि अब उस ट्यूब को फोड़ने के लिये एक पिन काफी हो गया। अब तक जो सन्देह का धुआं फैल रहा था कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती जिला बोर्डों का आज बारह साल के बाद भी, वह बात आज सत्य निकली। अब मैं आगे के लिये भी कह देना चाहता हूं कि दिसम्बर, १९६२ में भी चुनाव नहीं होगा क्योंकि उस वक्त चुनाव कराने के लिये आप यहां पर नहीं होंगे, कोई दूसरा ही होगा। तो उस वक्त क्या होगा, इसकी कल्पना आप अभी से क्यों कर रहे हैं? सन् ६२ के दिसम्बर की कल्पना छोड़िये, पहले तो ६२ की फरवरी की कल्पना कीजिये।

गुलामी की हालत में यानी जब देश गुलाम था, हमारे आका अंग्रेज लोग थे, वे हमारे देश की गरमी से घबराते थे इसलिये बहुत-सा समय पहाड़ों में व्यतीत करते थे। लेकिन ये वर्तमान आका लोग जो यहीं पैदा हुए हैं, ये भी इस देश की गरमी से घबराते हैं। जितनी भी तर्कना माननीय मंत्री जी और नागेश्वर जी ने दी उसका मतलब यही था कि गरमी और बरसात में काम नहीं हो सकता। इस प्रकार आप भी शिमला और नैनीताल के वासी सिद्ध हुए। केवल आप जाड़ों में ही काम करेंगे। इस देश का किसान और सारी जनता गर्मी और जाड़ों में न जाने क्या-क्या काम करती है लेकिन यह सरकार केवल जाड़ों में ही काम करती है। सन् ६२ के दिसम्बर से पहले चुनाव नहीं करा सकेंगे, ऐसा कह कर सरकार ने अपनी कमजोरी प्रकट की है जो उसे नहीं करनी चाहिये थी। उनको वही दृढ़ता के शब्द कहने चाहिये थे जो कि श्री विचित्रनारायण शर्मा जी कहा करते थे। उनमें यह विचित्रता थी कि वे अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने यह कमजोरी प्रकट करके यह साबित कर दिया कि

सचमुच सरकार कितनी निकम्मी हो गयी है। जब आपकी यह घोषणा प्रदेश में छपेगी तो इस प्रदेश की साढ़े पांच करोड़ जनता आपके मन्तव्य को जान लेगी। देहात की जनता को अधिकार न देना और फिर उनसे ही कहना कि हमें चुनो, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप उसके सामने जायंगे तब आपको इसका कटु अनुभव होगा। मेरा संशोधन तो यह था कि सरकार चुनाव में तीव्रता करे लेकिन सरकार तो नागेश्वर जी के प्रस्ताव को स्वीकार करने जा रही है कि वह सन् ६२ के दिसम्बर तक आराम ही करेगी। गर्मी, बरसात में आराम और जाड़ों में ही काम करेगी।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, हम एक समस्या में फंस गये हैं। सन् ५८ में जिस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन विधेयक यहां लाया गया था, जुलाई में एक ऐसा अध्यादेश लाया गया जिसके अनुसार जिला अन्तरिम परिषदें बनायी गयीं। आज मंत्री जी ने अपने दिल की सही बात रख दी। एक ओर सरकार एकोनामी का नारा लगाती है, दूसरी ओर आज के इस विधेयक और सन् ५८ के जिला बोर्ड संशोधन विधेयक के बीच में चार विधेयक आ गये। इन चार विधेयकों के ऊपर मान्यवर, कितना खर्च हुआ होगा, इसकी जिम्मेदारी किस पर है? जब हम लोगों ने सदन का बायकाट किया था तो उससे ३ लाख ९० हजार रुपये की बचत हुई। तीन विधेयक इस हाउस ने पास किये हैं, लेकिन उसके बाद आज माननीय मंत्री जी यह कहने के लिये तैयार हैं कि अभी हम चुनाव नहीं करा सकेंगे। श्रीमन्, हम आपके जरिये यह जानना चाहते हैं कि इस जनतंत्र के जमाने में सरकार की चलेगी या जनता की चलेगी? जनता की तो आज यह मांग है कि चुनाव कराया जाय लेकिन सरकार के तानाशाह आज कहते हैं कि हम चुनाव नहीं करायेंगे। मैं श्री कैलाशप्रकाश जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने नम्रता के साथ यह कहा कि वे चुनाव नहीं करा सकेंगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि सरकार आज एक तानाशाही तरीके से जनतंत्र की उन तमाम चीजों को समाप्त करना चाहती है जिनको जनता चाहती है।

मान्यवर, इस सरकार के चाहने की बात नहीं है। इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? जब आज हम सब को मालूम है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में तानाशाही के बादल मंडरा रहे हैं तो खंड २ पर जो संशोधन माननीय गोविन्दसिंह जी का आया है वह बड़ी अहमियत रखता है। एक ओर लुमुम्बा का कत्ल किया जाता है, दूसरी ओर पाकिस्तान पालिसी और वहां की डेमोक्रेसी का भी जिक्र बहुत से लोग करते हैं। लेकिन मैं वहां की डेमोक्रेसी को सही डेमोक्रेसी नहीं समझता वह तानाशाही है। डेमोक्रेसी केवल जवाहरलाल जी और गुप्ता जी के बचाने से नहीं बचेगी। इस जनतंत्र को बचाने वाले लोग देहातों में रहते हैं, ग्राम सभाओं में रहते हैं, जिला परिषदों में सदस्य होकर आते हैं। तो आज एक बहुत बड़ा अधिकार जो जनता का है उसको भी सरकार उससे छीन ही नहीं रही है बल्कि उसको हमेशा के लिये खत्म कर देना चाहती है। इस तरह की चीज एक तरह से जनतंत्र का कत्ल करना है, उसको स्टैब करना है। आज मुझे बड़ी मजबूती के साथ और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और मैं सरकार के ऊपर यह चार्ज लगाता हूं कि वह इस बात का जवाब दे कि क्या कारण है जिसकी वजह से वह आज तक चुनाव नहीं करा सकी और सन् ६२ तक नहीं करा सकेगी। फिर मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं मान्यवर, कि जो अध्यादेश है उसके बाद यह विधेयक क्यों लाया गया। मैं इसके उद्देश्य और कारण में से थोड़ा-सा पढ़ देता हूं:—

"उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १,१९६० द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा १ की उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार अधिनियम की अवधि ३१ अक्तूबर, १९६० को समाप्त होने वाली थी। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०, जो अन्ततः उक्त अधिनियम का स्थान ग्रहण कर लेगा, अभी विधान मंडल के विचाराधीन है।"

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब चुनाव नहीं होने वाला है तो फिर इस संबंध में वे इस तरह का संशोधन लावें कि हम यह चुनाव नहीं करा सकेंगे। इसका मतलब

[श्री प्रतापसिंह]

तो यही हुआ कि वे फिर ३० जून, ६१ के बाद अध्यादेश लावेंगे और कहेंगे कि हमारा पावर और बढ़ा दिया जाय। एक तो विधेयक वहां पड़ा हुआ है कौंसिल में जिसे ६ महीने के अन्दर कौंसिल पास नहीं करेगी तो भी उसे पास हुआ माना जायगा, वह डिस्ट्रिक्ट कौंसिल विधेयक है। दूसरे यदि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बिल के मुताबिक आप चुनाव नहीं कराने जा रहे हैं तो जो अध्यादेश लाया गया वह किस लिये लाया गया ? उसकी एक धारा में यह माना गया है कि ३० जून, ६१ तक इसकी मियाद रखी गई है और उसके बाद भी आप चुनाव नहीं करा सकेंगे तो उसमें मियाद बढ़ाने वाली बात लिखने की जरूरत ही क्या थी ? फिर यह तो आप अध्यादेश लावेंगे या फिर संशोधन विधेयक लावेंगे। तो श्रीमन्, मैं अधिक समय न लेते हुये माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे एक बार फिर इस बात पर सोचें कि चुनाव न कराने का परिणाम बहुत बुरा होगा। किसी व्यक्ति के लिये नहीं होगा।

एक कांग्रेस के माननीय सदस्य ने एक संशोधन रखा है कि ३१ दिसम्बर, ६२ तक इसकी मियाद बढ़ाई जाय, मैं समझता हूं कि यह संशोधन अवैधानिक है। क्योंकि इस सरकार का कार्य-काल तो मार्च, ६२ तक ही है इसलिये दिसम्बर की बात यह सरकार नहीं कर सकती है और न हम कर सकते हैं। इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि क्या भरोसा है कि मार्च ६२ के बाद ये सफेद टोपी वाले ही यहां बैठे रहेंगे, कौन जानता है कि जनता किसको भेजेगी और जिस हथियार से उन्होंने जनतंत्र को स्टैब किया है उसका बदला जनता को लेना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बलदेवसिंह—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय गोविन्दसिंह जी ने पेश किया है, सरकार का इरादा था कि ३० जून तक मियाद रखी जाय गोविन्दसिंह जी ने कहा कि तीस अप्रैल कर दिया जाय, नागेश्वर द्विवेदी जी ने कहा कि ३१ दिसम्बर, ६२ कर दिया जाय। मुझे विश्वास है कि न तो सरकार की बात चल पायेगी और न गोविन्दसिंह जी की, शायद नागेश्वर जी की चल जाय क्योंकि शायद वह सरकार के इशारे से ही इसे लाये हैं।

यह कैसा खिलवाड़ हो रहा है ? एक बार यह विधेयक आया और वह सेलेक्ट कमेटी में गया। मैं भी उसका सदस्य था। महीनों चला, फिर वापस ले लिया गया। दूसरा विधेयक आया। उस पर सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि इसको अब सेलेक्ट कमेटी में न ले जांय हम जल्द से जल्द चुनाव करना चाहते हैं, इसे जल्दी से पास कर दिया जाय। अपोजीशन को यद्यपि संदेह था लेकिन यह सोचकर कि सरकार के मन में आया है शायद हो जाय, हमने ज्यों का त्यों ७ दिन के अन्दर पास कर दिया। लेकिन वह कौन्सिल में जाकर बहिया में अटक गया। अब जब यह आया है तो कहा जाता है कि ६२ कर दिया जाय। हमें तो इसमें संदेह है कि उस समय भी हो पायेगा या नहीं। सरकार चुनाव न कराने के लिये दृढ़ संकल्प है और यह जनतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं, गोविन्दसिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसका इसलिये समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस तरह से टालने से जनतंत्र के लिये खतरा पैदा होगा, इसको मानकर चुनाव ३० अप्रैल तक करा दें।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन गोविन्दसिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और नागेश्वर द्विवेदी जी ने जो पेश किया है उसका विरोध करता हूं। मुझे दुख है कि आज माननीय गोविन्दसहाय जी सदन में नहीं हैं। जैसा कि उनकी प्रथा रही है हम लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं और कल भी उन्होंने भाषण करते हुये हम विरोधी दल के लोगों को शिक्षा-दीक्षा दी थी और यह शिकायत की थी कि हम लोग सरकार की नीयत पर शक करते हैं। वे होते तो उन्हें भी मालूम होता कि वह हमारा शक आज सच साबित हो गया। सरकार ने खुद साबित कर दिया है कि उसकी नीयत खराब थी। जब से जिला परिषद् का विधेयक आया है तब से तरह-तरह के एलान हुये हैं लेकिन जितने आश्वासन दिये गये हैं सब को तोड़ा गया है। आज फिर कहा जाता है कि हम ६२ के पहले एलेक्शन

नहीं करा सकते। माननीय प्रतापसिंह जी ने कहा कि यह सरकार तानाशाही की ओर जा रही है। मैं उनके विचारों से सहमत हूं कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को अच्छा कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार उनके लिये जमीन तैयार कर रही है। हमारे देश में कुछ राजनीति से सन्यास लिये हुये लोग हैं वे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को सच्ची डेमोक्रेसी बताते हैं। मुझे अंदेश है कि सरकार के परिवार के ही लोग जो आजकल सन्यास की बात करते हैं गुट न बनाकर इस देश में तानाशाही की जड़ को जमा दें और वह तानाशाही इस देश में आ जाय जिसके लिये सरकार असल माने में इस देश में भूमि तैयार कर रही है। और उसका यह सबूत है कि इस एलान के साथ सरकार की ओर से जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, जो आश्वासन दिये गये थे वे तोड़े जा रहे हैं और उनके जरिये से तानाशाही को मजबूत किया जा रहा है। एक आर्डिनेन्स लाया गया अन्तरिम जिला परिषद् की मियाद बढ़ाने के लिये। उस के बाद यह विधेयक लाया गया कि ३० जून तक मियाद बढ़ाई जाती है और इस तरह से एक बार फिर जनता को भ्रम में डाला गया। जून तक मियाद बढ़ाने का मतलब यह था कि ३० जून तक चुनाव हो जाय लेकिन आज फिर सरकार ने अपने रुख को बदला और यहां बताया गया कि ६२ से पहले एलेक्शन नहीं हो सकेंगे। इस तरह से जनता की भावनाओं को और जिला परिषदों के चुनाव जो १२–१३ साल से नहीं हुये हैं उन के सारे ध्येय को ही ठुकराया जा रहा है और इस तरह से जनतन्त्र का गला घोंटने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिये मैं माननीय नागेश्वर द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का जिस में ३१ दिसम्बर, सन् ६२ की बात कही गई है, विरोध करता हूं और माननीय गोविन्दसिंह विष्ट के संशोधन का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस तरह की तानाशाही को प्रदेश में न पनपाये और जनता की भावना का आदर करके जल्दी ही जिला परिषदों का संगठन करे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, रामायण में एक चौपाई है कि "सीता कर दुःख विपद विशाला। बिनहिं कहे भलि दीन दयाला।।" इन जिला परिषदों के चुनाव से संबंधित जितनी कहानी है उसको न कहा जाय तभी अच्छा है लेकिन चूंकि उस पर हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने अपना मत प्रकाश कर दिया है इसलिये मैं थोड़े में ही आप के द्वारा निवेदन करूंगा। सिद्धान्त की बातें आती हैं तो इच्छा है कि कुछ बोल दूं यद्यपि मुझे अभी भी बुखार है।

मैंने इसके सामान्य विवाद में भाग नहीं लिया था। मेरा इस संबंध में निवेदन यह है कि वही आदमी दूसरों को ईमानदार रख सकता है जो पहले स्वतः ईमानदार हो। आज मैं इस जिला परिषद् के बिल के संबंध में बोलते हुये सरकारी पक्ष या विरोधी पक्ष की बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि सदन के जितने माननीय सदस्य हैं वह ईमानदारी से अपने हृदय को टटोलें। कानपुर जेल में सन् ५७ में मैं बन्द था, २३–२४ नवम्बर को माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने, जो उस समय मुख्य मंत्री थे, अपने निवास स्थान पर सभी विरोधी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई, उस समय माननीय रामस्वरूप जी मेरे पास गये और मुझे पूछा कि मैं अपने दल की ओर से वहां जाऊं या न जाऊं। अपने कटु अनुभव के कारण, मुख्य मंत्री लोग जो अपने निवास स्थान पर बुलाकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो मैं शामिल नहीं होता इसी नियम के अनुसार मैंने श्री रामस्वरूप जी को सलाह दी कि आपके वहां जाने से भला न होगा। अच्छा हो कि आप अपना एक निश्चित लिखित सुझाव इस संबंध में वहां भेज दें और उन्होंने उस समय एक निश्चित लिखित सुझाव वहां भेज दिया कि बालिग मताधिकार के आधार पर अविलम्ब, तत्काल चुनाव इसी वर्ष करा दिये जायं। उसके बाद इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस की चर्चा की थी कि केवल सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर अन्य सभी विरोधी दल और सरकार चाहती है कि चुनाव इस साल न हो और अब वह आगे गर्मी में होंगे। उसके बाद गर्मी आई, मैं मेरठ में था, नेता विरोधी दल श्री त्रिलोकीसिंह जी का बयान आया कि इससे बढ़कर और कोई मूर्खता नहीं हो सकती कि गर्मी के दिनों में मई जून में जिला बोर्डों के चुनाव हों और इसलिये मई-जून में वह चुनाव न होने चाहिये। मैं समझता हूं कि इस समय उंगली किस तार पर बज रही है और जैसा कि अभी माननीय अवस्थी जी ने कहा कि यह प्रदेश तो वह प्रदेश

[श्री राजनारायण]

है कि जहां मई-जून में किसान ऊख की गुड़ाई करता है, गर्मी में शरीर का पसीना खेत में मेंहनत करके निकालता है। सन् ४८ में भी गर्मी में चुनाव . . . श्रीमन्, अभी से लालबत्ती जला दी, हमें २ मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—मैंने सोचा कि आप का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

श्री राजनारायण—तो उस समय भी हमारी बात नहीं मानी गई और उस समय स्वशासन मंत्री माननीय विचित्रनारायण शर्मा, ने बयान दिया कि हम क्या करें जब सभी विरोधी दल के नेताओं की राय है कि गर्मी में न हो तो केवल राजनारायण की राय को मान लूं। मैं तो जनतंत्र का हिमायती हूं, सब दल टालना चाहते हैं और केवल एक दल नहीं चाहता है, तो हम टाल रहे हैं। वह भी मुसीबत देखी। यह राजनीतिक परिपक्वता है क्या? अगर नहीं समझ सकते थे यह लोग तो अपनी पार्टियों में बैठकर अपने पार्टियों के नेताओं के मस्तिष्क को ठीक करें। क्यों नहीं समझे कि सरकार चुनाव टालना चाहती है। जितने आश्वासन सरकार की ओर से दिये गये हैं और जितनी बातें हुई हैं उन सबकी छान-बीन हो और देखा जाय कि इस चुनाव को किसने और कब-कब टलवाया। जनता के बीच में भ्रम नहीं रहना चाहिये। हम तो हर मौके पर कहते आये हैं, चाहे सन् ५७ रहा हो, चाहे ५८ रहा हो, चाहे ५९ रहा हो और चाहे ६० रहा हो कि चुनाव अभी करो, फौरन करो, तुरन्त करो।

अब मैं फिर कहना चाहता हूं कैलाशप्रकाश जी से। वह इस विभाग के मंत्री हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि यह बहाना लें कि चूंकि हमारी सरकार दो महीने से आई है इसलिये इस समय चुनाव नहीं करा पायेंगे। ६२ के बाद होंगे। उसमें मूल बात तो यही थी कि सरकार चुनाव जनरल एलेक्शन के पहले कराये या बाद में। आज कह रहे हैं कि हम नहीं करा पायेंगे। ठीक है, स्पष्टवादिता कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन स्पष्टवादी बनकर अगर कहा जाय कि मैं ठाकुर हुकुमसिंह का गला काट डालूंगा तो ऐसे स्पष्टवादी न बनिये माननीय कैलाशप्रकाश जी। यह जनतंत्र का गला कटौवल है। निश्चित रूप से जनतंत्र का गला काटा जा रहा है। स्पष्टवादिता अच्छी चीज है, मगर स्पष्टवादी बनकर किसी व्यवस्था का गला घोटा जाएगा तो वह स्पष्टवादी उसी गला घोटने का अपराधी भी माना जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह चुनाव आम चुनाव के पूर्व नहीं कराया जाता है तो निश्चित रूप से जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है और उसके लिये कैलाशप्रकाश जी को दंड भुगतने के लिये तैयार रहना चाहिये।

कहना हमें यह है कि गांव पंचायतों का चुनाव हुआ। जहां जनतंत्र है वहां चुनाव होगा, क्या बुरी बात है? सब लोग चुनाव के मूड में हैं। इसी समय जिला परिषद् का भी हो जाय। हर जगह लोग चुनाव की तैयारी में हैं। जनता तैयार है। जनता समझ रही है कि जिला परिषद् के चुनाव में हमें जाना होगा। अगर डर है तो केवल कांग्रेस पार्टी को कि कहीं ६२ के चुनाव के पूर्व चुनाव हो गया और जिला परिषद् कांग्रेस पार्टी के हाथ में न रह गई तो आम चुनाव जो होगा उस पर बुरा असर पड़ेगा। इसको भी सफाई के साथ कहना चाहिये था कि यह डर है। वरना कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जनता तैयार है चुनाव में भाग लेने के लिये। सरकार चुनाव कराये और इन नेताओं से मैं कहूंगा चाहे वह पी० एस० पी० हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, अब वह गर्मी का बहाना न बनायें जैसे कि एक मर्तबा अप्रैल, मई की बात कही थी। अप्रैल, मई, जून, कोई भी महीना हो, चुनाव होना चाहिये। हम तैयार हैं और जो चुनाव टालना चाहते हैं निश्चित रूप से वह जनतंत्र की हत्या करने वाले हत्यारे होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि सरकार लचर दलील न दे। सरकार चुनाव के मैदान में आवे और जनता की जो १२ साल से दबी हुई आकांक्षा है उसको मूर्त रूप ग्रहण करने दे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन श्री नागेश्वर जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके संबंध में बहुत-सी बातें कहीं गईं। यह बात सही है, और मुझे इसके मानने में कोई संकोच नहीं है व्यक्तिगत रूप से, कि जो आश्वासन जिला परिषद् या उससे पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के संबंध में समय-समय पर सरकार की तरफ से दिये गये वह किन्हीं कारणों से पूरा नहीं किये जा सके और यह कोई खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। लेकिन आज जो वस्तुस्थिति है और जब कि मंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि १९६२ के पहले चुनाव नहीं करा सकते, और उसके कारण भी हैं, जैसा स्वयं माननीय राजनारायण जी ने कहा कि उनका दल और सभी दल यह चाहते थे कि चुनाव बालिग मताधिकार पर हों और डायरेक्ट चुनाव हो। तो आज जो स्थिति है कि वह विधेयक विधान परिषद् में पास नहीं हो सका, जो भी उसके कारण हों, उनमें मैं नहीं जाना चाहता, वहां से पास होने में समय लगेगा, तरमीमें होंगी, नियम बनाये जायेंगे। इन सब में इतना समय लग जायगा कि १९६२ के पहले चुनाव का होना मुमकिन भी नहीं होगा और वह जनहित में भी नहीं होगा। इसलिये एक लाचारी की परिस्थिति है और उसी के अन्दर यह संशोधन पेश किया गया है। लिहाजा मैं समझता हूं कि तमाम शिकायतों को जायज मानते हुये भी इस समय कोई दूसरा आल्टरनेटिव नहीं है सिवाय इसके या तो हम इस बात पर तैयार होते, जिस पर मैं समझता हूं कोई भी तैयार नहीं होगा, कि चुनाव इनडायरेक्ट करा दिये जांय और हमेशा के लिये डायरेक्ट चुनाव का रास्ता बन्द कर दिया जाय। और जब डायरेक्ट चुनाव चाहते हैं तो हमको मौजूदा अंतरिम जिला परिषद् की अवधि १९६२ तक बढ़ानी पड़ेगी और सरकार का फर्ज होगा कि कानून के पास होने के बाद नियम बनायेगी और जल्दी से जल्दी जहां तक सम्भव हो चुनाव करा दें। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—मैं सदन के सामने यह बात कहना चाहता हूं कि सदन ने यह निश्चय किया है कि ४ बजे तक इसको समाप्त होना चाहिये; इसलिये यदि माननीय सदस्य कुछ आत्म नियंत्रण करें तो उससे सुविधा होगी, अन्यथा परिणाम यह होगा कि कुछ खंडों पर विवाद हो सकेगा और शेष पर फिर गिलोटीन करना पड़ेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, जब मनुष्य और पार्टियां एवं सरकार जनता से दूर हो जाती हैं तो उनके अन्दर जनता के पास राय लेने के लिये जाने में संकोच और डर रहा करता है। १९४८ के बाद १३ साल बाद पर भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो पुराने हैं उनमें क्या परिवर्तन होना चाहिये, क्या उसके अदर बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां होनी चाहिये, इस पर विचार जरूरी है। अधिकतर १९४८ से ले कर आज तक प्रदेश में जितने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे हैं करीब-करीब सब में कांग्रेसी लोगों का अधिकार रहा है और १३ साल के जमाने में कांग्रेस सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये क्या कराया है जब इसका फैसला लेने जाने का वक्त आता है तो सरकार घबराती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत खराब बात होगी और सदन का बहुत बड़ा अपमान होगा कि इस हाउस में एक बार नहीं बीसों बार, १९५५ से लगातार आज तक आश्वासन दिये गये कि हम चुनाव करायेंगे, ऐक्ट दूसरा बनायेंगे, जनता को अधिकार देंगे और अभी अभी जब राज्यपाल के संबोधन पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने निवेदन किया था कि हम जो वर्तमान परिषद् का विधेयक है उसमें संशोधन ला करके जनता की इच्छाओं से पंचायतों को हम पूरे अधिकार देना चाहते हैं। एक तरफ तो प्रदेश की जनता से कहा जाता है कि हम तुम्हें अधिकार देना चाहते हैं, तम्हारी राय का स्वागत करते हैं और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि १९६२ के पहले चुनाव कराने को तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूं अपने आश्वासन के साथ, सदन के साथ मखौल है, लोकतन्त्र के साथ मखौल है। मैं समझता हूं सरकार का कोई तरीका नहीं है, कोई फैसला नहीं है दिमागी, कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अन्तरिम जिला परिषद् का रूप क्या होना चाहिये। मैं नहीं समझता सरकार इतनी अपाहिज है जो चुनाव कराने में असमर्थता प्रकट करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इस सरकार के हाथ में आम चुनाव भी चले जातें, पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनाव भी इस सरकार के हाथ होते, तो मैं समझता हूं कि

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

यह सरकार उन्हें भी न कराती। इसको इसी में मजा है कि जो शक्ति मिली हुई है उस शक्ति का दुरुपयोग करती रहे और जनता की इच्छाओं के विपरीत कार्य करती रहे और जनता के सामने जा कर न कह सके कि उसे अपने कार्यों में कितनी सफलता मिली है। जो प्रस्ताव लाया गया है ईमानदारी के साथ उसे वापस लिया जाना चाहियें और चुनाव डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का करा देना चाहिये पब्लिक की इच्छा के अनुसार। आप जनता को क्या देना चाहते हैं? नहीं कुछ देना चाहते तो छोड़िये। जो पुराना विधेयक है उसी में एक संशोधन ले आइये कि बालिग मताधिकार पर चुनाव होगा और ३, ४ महीने के अन्दर चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप में हिम्मत नहीं है और जनता को शक्ति नहीं देना चाहते तो मैं निवेदन करूंगा कि ईमानदारी के साथ इस संशोधन को वापस ले लीजिये और यह मत कहिये कि हम चुनाव कराना चाहते हैं वर्ना लोकतन्त्र के अन्दर आस्था घटेगी। इससे जनता बढ़ती है हिंसा और क्रान्ति की ओर। हिंसा को बढ़ाने का यह संशोधन है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से और इस हाउस से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को वापस लिया जाय और चुनाव जल्दी से जल्दी कराये जायें।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—मान्यवर, मंत्री जी ने अभी एक बात कही कि ६ महीने के अन्दर सारी तैयारियां हो जायंगी और चुनाव भी हो सकता है लेकिन नवम्बर से पूर्व नहीं होगा। तो फिर चुनाव कराने के लिये आगे टाला जा रहा है और उसके ५,६ कारण दिये गये।

एक कारण यह बतलाया कि जून, जुलाई में बड़ी गरमी पड़ेगी। मैं मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि उसी समय गल्ला उठता है, काश्तकार सारे काम करता है, दोपहरी में २४ घंटे काम करता है। वह वोट देने के लिये जा सकता है, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दूसरा कारण यह बतलाया कि राजनीतिक पार्टियां भी नहीं जायंगी। मैं तो देख रहा हूं कि विरोधी दल वाले सब कह रहे हैं कि चुनाव करा दिये जायं, किसी महीने में करा दिये जायं लेकिन न कराने का कारण यह है कि वही समय आयेगा भाग दौड़ दिल्ली के लिये, टिकट के लिये दिल्ली जायेंगे और कांग्रेस वालों की तैयारियां दिल्ली के लिये होंगी। लिहाजा चुनाव की तैयारियां नहीं हो पायंगी। इसलिये दिसम्बर, या नवम्बर में चुनाव वह नहीं कराना चाहती। इस सबको देखते हुये यह जरूरी हो जाता है कि प्रदेश के अन्दर आप जल्दी से जल्दी चुनाव करा दें।

यह कहा जाता है कि हम खर्चा कम कर रहे हैं। छोटी कारें ले रहे हैं, छोटे बंगले ले रहे हैं और तनख्वाह कम कर रहे हैं। तो खर्च कम करने के लिये जब मार्च के महीने में एम० पी० तथा एम०एल०ए० के लिये बक्सा रखा जाय तो एक बक्सा उन लोगों का रख दिया जाय ताकि जनता दोबारा न आये और उसी वक्त वोट इसके लिये भी डाल दें। तो यह भी एक आल्टरनेटिव है। इसके अलावा नवम्बर में भी चुनाव हो सकते हैं। जो लोग दिल्ली भागेंगे वे दिल्ली चले जायं लेकिन जो देहाती लीडर हैं वह अपने आप चुनाव करालेंगे। अगर मार्च के महीने में एक बक्सा और रख कर उसके लिये चुनाव कराने के लिये सरकार तैयार है तो मैं माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट जी से कहूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय नागेश्वर द्विवेदी के संशोधन के विरोध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जब जिला परिषद् विधेयक की प्रवर समिति बनी थी तो मुझे भी उसका सदस्य चुने जाने का अवसर मिला था और मुझे उस समय के स्वायत्त शासन मंत्री जी के साथ बैठ कर उस कमेटी में महीनों काम करने का अवसर मिला था। उस कमेटी में हमने अपनी ओर से जिसमें अन्य विरोधी दलों के नेता भी मौजूद थे, यह प्रस्ताव रखा था कि बालिग मताधिकार से चुनाव हो और अविलम्ब कराया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अधिष्ठाता महोदय, क्या कमेटी की प्रोसीडिंग्स के बारे में यहां बात कही जा सकती है ?

श्री उग्रसेन--वह नहीं कह रहा हूं, मैं तो भूमिका ही कह रहा हूं, जरा सुनिये तो....

श्री अधिष्ठाता--आप भूमिका तक ही अपने को सीमित रखिये, और बातें न कहियेगा।

श्री उग्रसेन--उसके बाद वहां बातचीत में प्राइवेट और पब्लिक और इस सदन में भी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। यही नहीं, यहां तक किया कि प्रवर समिति में बहुत-सी बातें जब सरकार के विरुद्ध गयीं तो उन्होंने प्रवर समिति से विधेयक को वापस ले लिया और सदन में यह कहा--सभी इधर और उधर बैठने वाले सदस्यों को याद होगा--कि यदि विरोधी दल के लोग इसे प्रवर समिति में न भेजें तो हम जल्दी से जल्दी चुनाव करा दें। और मुझे खूब याद है कि माननीय विष्ट जी, जनसंघ के नेता ने कहा था कि चुनाव तो बहुत जल्दी करा रहे हैं, अब यहीं पर बातचीत कर ली जाय। एक-एक मिनट भी हम लोगों को महत्वपूर्ण संशोधनों पर बोलने नहीं दिया गया इसलिये कि चुनाव जल्दी करा देंगे। लेकिन चुनाव नहीं हुआ और वह माननीय मंत्री भी नहीं रहे। चौखम्भा राज्य की मांग सोशलिस्ट पार्टी करती है। उसमें जिले के प्रशासन की जो बहुत महत्वपूर्ण इकाई है उसके संबंध में इतनी लापरवाही। मंत्री जी कहते हैं कि हम अभी आये हैं। लेकिन भूतपूर्व मंत्री पूरा लटकाये रहे तो मैं तो आपके द्वारा मांग करूंगा कि सदन के समक्ष ऐसे मंत्रियों का ट्रायल होना चाहिये। वह चाहते हैं कि कलेक्टर राज्य करे। अभी छोटे-छोटे संशोधन आये जिसमें जिलाधीश को पूरी पावर दी गई। तो यह सरकार अपने को जनतंत्रीय परम्परा कायम करने वाली कैसे कह सकती है। यह तो आई०सी०एस० और पी०सी०एस० की सरकार है, अपने नौकरों द्वारा इंतजाम चाहने वाली सरकार है। जनतंत्र में जिसे राजा माना जाता है, मतदाता को, उसका इंतजाम चाहने वाली सरकार यह नहीं है। यह सरकार चाहती है कि अन्तरिम मामला बना रहे। यह बड़ा खतरा है। अगर इसी तरह से अन्तरिम पर जोर दिया जायगा तो मुझे शक है कि सन् ६२ के बाद यह सरकार भी अन्तरिम हो जायगी। अभी से सरकार की हालत पतली है। तो अन्तरिम व्यवस्था लागू करते करते कहीं अपने आप ही अन्तरिम न हो जायं। इसलिये मैं माननीय कैलाशप्रकाश जी से अब भी निवेदन करता हूं कि कम से कम बालिग मताधिकार से चुनाव जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें। पंचायतों के चुनाव में यह ठीक है कि गड़बड़ियां हुईं मगर फिर भी सारे प्रदेश में चुनाव आखिर हो ही गया। तो फिर इसमें कौन-सी कमी है ? कमी सिर्फ यह है कि नौकरशाही नहीं चाहती है। माननीय कैलाशप्रकाश जी को राय दी जाती है कि हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। मैं कहता हूं कि जो यह कहता है कि चुनाव नहीं करा सकते हैं वह अपने घर जायं। यह हमारी मांग है कि किसी भी कीमत पर जनतंत्र की रक्षा के लिये चुनाव जरूर कराये जायं।

इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि माननीय नागेश्वर द्विवेदी जी अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री कैलाशप्रकाश--अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन के विषय में कुछ संकेत मैं पहले दे चुका हूं और वास्तव में जो मैंने संकेत इस सदन को दिया है उस संकेत को देते हुये मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। मैं अवगत हूं इस बात से कि सदन में बराबर यह बात कही गई कि हम जिला परिषदों के चुनाव करायेंगे और आशा यह भी थी कि आम चुनावों से पूर्व करेंगे। श्रीमन्, परिस्थिति यह पैदा हुई कि जिसे विधेयक के द्वारा चुनाव कराने की बात थी वह पारित नहीं हो पाया। मैं इसको भी स्वीकार करता हूं कि जो अध्यादेश निकाला गया उसमें भी इस बात का संकेत नहीं किया गया कि चुनाव जिला परिषदों के आम चुनाव से पूर्व नहीं हो सकेंगे। माननीय सदस्य नीयत की बात समझ सकते हैं, वह चाहें तो किन्तु जिस समय

[श्री कैलाशप्रकाश]

इसकी अवधि में नियत कर रहा था तो इसमें इस बात को हम चाहते थे कि चुनाव करा सकें। किन्तु उस समय मेरा यह भी विचार था कि यदि बालिग मताधिकार की धारा यदि विधेयक में लाते हैं तो चुनाव कराना दुश्वार होगा।

श्रीमन्, अध्यादेश जारी करने के बाद इस बात का प्रयत्न किया गया इस सदन के माननीय सदस्यों से और उस समय के माननीय सदस्यों से, इधर के बैठने वालों से और उधर के बैठने वालों से और यह जानने को कोशिश की गई कि जिला परिषद् विधेयक से बालिग मताधिकार की धारा का उड़ाना उन्हें पसन्द होगा या नहीं। यदि यह निकल जाती तो जून, १९६१ तक ब्लाक कमेटी और जिला परिषद् दोनों का चुनाव कराना संभव था। किन्तु मैंने इस बात को देखा कि लोगों की जिला स्तर पर यह ख्वाहिश है कि बालिग मताधिकार पर ही लोग चुनकर आयें। वैसे श्रीमन्, समय नहीं है, इसलिये जनतंत्र की सारी बातों में मैं जाना नहीं चाहता हूं।

श्रीमन्, आज देश भर में चर्चा है कि राजस्थान में विकेंद्रीकरण हुआ, आंध्र में विकेंद्रीकरण हुआ। लेकिन मैं यह निवेदन कर दूं कि राजस्थान के अधिनियम को मुझे देखने का मौका मिला है और जिला स्तर पर जो जिला परिषद् बनाये गये हैं उनमें बालिग मताधिकर के आधार पर सदस्यों को चुनकर नहीं भेजा गया है। खैर, वहां तो एक और विकेंद्रीकरण हुआ है और वह ब्लाक स्तर पर हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सही बात है कि इस प्रदेश में जिला स्तर पर बोर्ड काम करते आ रहे हैं और वही नक्शा विकेन्द्रीकरण का माननीय सदस्यों के समक्ष है लेकिन देश की परिस्थिति और विकास के कार्य चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि नीचे भी जाना चाहिये। मैं जानता हूं और मुझे भी तकलीफ है। और उधर के माननीय सदस्यों को भी तकलीफ होगी और इसी वजह से कुछ बातें कही गयी हैं। किन्तु मैंने यह उचित समझा--जैसा कि मेरे दोस्त प्रतापसिंह जी ने भी कहा--इस परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद कि जो विधेयक पारित होने वाला है, जिसमें बालिग मताधिकार के आधार पर सदस्यों को चुनना है, यदि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि १९६२ के आम चुनाव से पूर्व जिला परिषद् का चुनाव नहीं करवाया जा सकता है तो बजाय इसके कि मैं बार-बार सदन के सामने जिला परिषदों का कार्यकाल बढ़ाने के लिये आऊं यह मुनासिब मालूम होता है कि मैं स्पष्ट रूप से इस बात को सदन के समक्ष रख दूं। यह बात अपनी जगह पर सही है कि १९६२ के प्रारम्भ में आम चुनाव होने वाले हैं और इस सदन का कम्पोजीशन बदलने वाला है। नहीं मालूम कि किस किस्म की सरकार आने वाली है। मेरे दोस्त अवस्थी जी ने मुझसे कहा कि आप सिर्फ दिसम्बर, १९६१ तक की सोचिये। यह प्रजातंत्र है। यह हो सकता है कि इधर की सरकार हो या चाहे हमको दिखायी न देता हो, उधर की सरकार हो। किन्तु अपने सामने इस बात को तो रखना ही चाहिये कि अगर अवस्थी जी की भी सरकार आये तो अवस्थी जी की सरकार को किसी ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिये कि उनको एक तुरन्त परेशानी हो। मान लीजिये कि अवस्थी जी की सरकार आती है और बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव होना है, और मार्च में वह होता है, तो उनको भी कुछ सोचना होगा। मेरे लिये यह आसान बात है ताकि अधिक कटु आलोचना न हो सके कि मैं यह कह दूं कि दिसम्बर, १९६१ तक बढ़ा दिया, जनवरी १९६२ तक बढ़ा दिया, या अप्रैल, १९६२ तक बढ़ा दिया लेकिन मैं यह महसूस करता हूं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि हम इस साल इस बात को महसूस करते हैं कि जून के महीने में और वर्षा की ऋतु में बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिये और वह भी जनता की सुविधा के कारण तो अगले साल वह ऋतु बदलने वाली नहीं है, चाहे अवस्थी जी की सरकार आये या कोई दूसरी सरकार आये। इसलिये वस्तु-स्थिति का अध्ययन करने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बालिगमताधिकार के आधार पर नवम्बर, दिसम्बर, १९६२ से पूर्व चुनाव होना मुश्किल होगा।

ठीक है, सरकार को सदा इस बात का अधिकार रहता है, अवस्थी जी को यदि कभी सुशोभित होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाय तो वह तुरन्त जिला परिषदों का चुनाव मताधिकार के आधार पर करा देंगे। इसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती। लेकिन परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं उसको मैं सदन के समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि बार-बार हमें सदन के सामने वादा न करना पड़े। इसलिये मैं श्री विष्ट के संशोधन का विरोध करता हूं और श्री नागेश्वरप्रसाद द्विवेदी के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने इस पर प्रकाश डाला।

एक चीज आज स्पष्ट हो गयी कि सरकार चुनाव करवाना नहीं चाहती। १३ साल तक बराबर चुनाव करवाने की बात कही गयी, केवल जनता को धोखे में डालने के लिये, कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं। अब माननीय मंत्री जी अभी फरमा रहे थे कि अगर कभी अवस्थी जी की सरकार या विरोधी दलों में से किसी की सरकार आये तो फौरन चुनाव करा ले। तो इनके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब तक कांग्रेस सरकार इधर बैठी है तब तक चुनाव नहीं होगा। जब विरोधी दल इधर आ जायगा तभी चुनाव होंगे। लेकिन आने नहीं देंगे। आखीर, यह चुनाव क्यों नहीं कराये जाते? इसलिये नहीं कराये जाते कि कांग्रेस के सदस्यों को इनसे चुनाव में मदद मिलती है। आज तक यह परिपाटी कांग्रेस में रही है कि सारे अध्यापकों और जितने जिला बोर्ड के कर्मचारी हैं उनको वह अपने चुनाव प्रचार में लगाते हैं और उनमें माननीय मंत्री जी भी अछूते नहीं हैं। श्री जंगबहादुरसिंह व माननीय कैलाशप्रकाश जी स्वयं सोवन सिंह जीना के चुनाव में अल्मोड़े में तशरीफ लाये थे और वहां उन्होंने विरोधी दलों के खिलाफ प्रचार किया, मास्टरों से कहा कि अगर तुम इनको वोट नहीं दोगे तो अपनी नौकरी खो दोगे। इसलिये वह चाहते हैं कि जिला बोर्ड बने रहें। अगर नहीं बने रहेंगे तो एक भी कांग्रेस का सदस्य आने वाला नहीं है।

माननीय रामेश्वरप्रसाद जी ने कहा कि आदरणीय सदन एक सिद्धांत को स्वीकार कर चुका है तो उससे अलग कैसे जाय। हम आर्डिनेंस को स्वीकार कर चुके हैं। श्रीमन्, It is the devil quoting the scriptures नीति की बात वह हमसे कहें? इतना बड़ा विधेयक जिला बोर्ड और क्षेत्र समिति का हम पास कर चुके हैं जिसमें बालिग मताधिकार से चुनाव कराने का सिद्धांत माना जा चुका है और आज वह कहते हैं कि नहीं हम तो एक अध्यादेश का अनुमोदन कर चुके हैं और नीति मान चुके हैं।

श्रीमन्, एक चीज कही गई है बड़े मजे की, मंत्री जी ने अभी दुख प्रकट किया कि हम जिस समय अध्यादेश आया था यह नहीं बता सके थे कि सन् ६२ तक टालना पड़ेगा। कारण क्या था? कारण यह था कि सम्पूर्णानन्द जी की जगह पर जो नयी सरकार आयी उसने दुनियां भर में यह शोर मचाया कि अब सारी प्रजातांत्रिक पद्धति होगी, जनता में तरह तरह के स्टेट रचे गये कि छोटी कारें होंगी, तनख्वाह कम होगी, गोया बिना विधेयक के भी यह सब हो सकता था, तो पापुलैरिटी लेने के लिये एक यह भी स्टंट रचा कि हम तो जून, सन् ६१ में ही चुनाव करा देंगे। अब जब देखा कि हाई कमांड का फतवा हमारे फेवर में आ गया और हमारी सरकार अब मजबूत हो गई तो कह दिया कि ६२ में चुनाव करायेंगे। बिस्मिल्ला में ही यह हाल है शुरुआत में ही जो जनतंत्र का नाम लेने वाले हैं, उन्होंने जब यह देख लिया कि हमें अब कोई निकालने वाला तो है नहीं, तो धीरे-धीरे अपने बचनों से फिर गये और जनतंत्र का गला घोंटने सिलियाज और चिरैण्डीज की तरह अपनी क्लचेज फैलाने लगे।

मैं श्रीमन्, अन्त में एक चीज कहना चाहता हूं। वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट पूरान पास किया हुआ मौजूद है। माननीय मंत्री जी अगर प्रजातंत्र की दुहाई अब भी देते हैं तो हम मान जायेंगे, सारे विरोधी दल वाले मान जायेंगे, उसी ऐक्ट के मुताबिक आप चुनाव क्यों नहीं करा देते?

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

लेकिन नहीं, बात तो कुछ और है। उसमें डर है कि हम हार जायेंगे। मगर श्रीमन्, मैं यह बतला देना चाहता हूं, कांग्रेस वालों ने बहुत कोशिश की हमको दबाने की, भारतीय जनसंघ के सबसे बड़े नेता का कांग्रेस ने कश्मीर में खून करा दिया यह देखकर कि जनसंघ एक सबसे बड़ी पार्टी आ रही है। लेकिन उस सबके बावजद इसी लखनऊ शहर में अभी इसी साल जनसंघ के ढाई लाख आदमी जब ४ मील लम्बा जुलूस बनाकर निकले तो कांग्रेस को चक्कर आ गया। इसलिये आप कितना ही दबाने की कोशिश करिये, आनेवाला तूफान रहेगा नहीं। लार्ड विलिंगटन कहता था कि मैं कांग्रेस की कब्र दफना आया हूं, मगर नहीं दफना सका। लार्ड वावेल जो एक आंख का काना था कहता था कि हमने ४२ में हिन्दुस्तान में सबको खत्म कर दिया, मगर वह खुद खत्म हो गया। तो जब कभी सरकार ऐसी तानाशाही पर उतर आती तो वह ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। आप भी याद कर लीजिये, अमर बूटी खाकर नहीं आये हैं।

श्री नागेश्वरप्रसाद--मान्यवर, यद्यपि माननीय मंत्री जी के अपने विचार व्यक्त कर देने के बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन हमारे विरोधी पार्टी के सदस्यों ने जो कुछ शंकायें प्रकट कर दी हैं, उसके सिलसिले में मुझे जरूर कुछ शब्द कहने हैं। माननीय विरोधीदल के सदस्यों ने एक शंका प्रकट की है कि यह जो संशोधन लाया गया है यह सरकार की राय से लाया गया है। ऐसी बात नहीं है। इसको मैं स्वतः लाया हूं। जैसी मैं आवश्यकता महसूस कर रहा था और जिस प्रकार की परिस्थिति देखी उसको देखते हुये मैंने उसको रखा और माननीय मंत्री जी ने भी उसको स्वीकार किया। यदि बालिग मताधिकार के आधार पर जिला परिषदों का चुनाव कराना है तो यह मानी हुई बात है कि ३० जन से पहले उनका चुनाव नहीं कराया जा सकता है।

जहां तक सिद्धांत की बात है कि जिला बोर्ड के चुनाव, जिला परिषद् के चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर कराने का अधिकार हो तो इस पर विचार की आवश्यकता है। बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव तीन हो जाते हैं। जनरल एलेक्शन, गांव पंचायतें और जिला बोर्ड। परिषद् के चुनाव बालिक मताधिकार के आधार पर होने वाले हैं और इनकी मियाद ५ साल की होगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस ५ साल के अन्दर ३ चुनाव कराने होंगे जिसके खर्चे को भी देखना है। तमाम जनता और तमाम पार्टियों के लोगों को अपना दिमाग और शक्ति उनमें लगाना होगा। जब कि देश का विकास करना है तो ५ साल तक बराबर चुनाव में समय खपाते रहें यह सोचने की बात है।

माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा कि जिला बोर्ड का जो पुराना ऐक्ट है उसमें संशोधन करके बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव हों। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। जहां तक यह उनका खयाल है वह अपनी जगह पर सही हो सकता है किन्तु मेरा निवेदन यह है कि जिला बोर्ड ऐक्ट जो बना हुआ है उसकी अपनी एक सीमा थी जिसके अन्तर्गत वह अपना काम कर रहा था। विकास के कामों को चलाने के लिये एक नियोजन समिति थी जो अपना काम कर रही थी। जिला बोर्ड भी अपना काम कर रहा था लेकिन दोनों के काम अलग-अलग थे। दोनों के कार्यालय अलग थे। उनके कामों को एक में मिलाने के लिये नयी जिला परिषद् का निर्माण हो रहा है। इसीलिये बीच में काम चलाने के लिये अन्तरिम जिला परिषद् बनाने की बात है। उन दोनों के काम का एकीकरण किया जा सके और कार्य भी सुचारु रूप से चल सके, उस व्यवस्था को देखते हुये यह जिला परिषद् विधेयक लाया गया है जो कि सदन के विचाराधीन है, जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि बालिग मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव हो। उस चुनाव का होना ३० जून के अन्दर संभव नहीं है इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता हुई और इसी कारण यह संशोधन यहां पर उपस्थित किया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। हमने यह नहीं कहा कि पुराना १९२२ का ऐक्ट जिला बोर्ड का बहुत अच्छा है और वही लागू हो जाय।

हमने इसलिये उदाहरण दिया था कि यह सरकार जो क्षेत्रीय परिषद् बनाकर अधिकार देना चाहती है वह अधिकार देना ही नहीं चाहती है, और अन्तरिम जिला परिषद् का बहाना लेकर जो अधिकार हम लोगों के हैं उन तमाम अधिकारों को कलेक्टर और चेयरमैन के जरिये से जनता से अपहरण करना चाहती है। नागेश्वर जी को भ्रम हो गया कि २२ का ऐक्ट लागू हो जाय। बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव हो जाय लेकिन पहला तरीका अच्छा नहीं था तो इस लिये हमने यह उचित समझा कि नये चुनाव कराने के लिये संशोधन लाया जाय।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। केवल एक भ्रम निवारण करना है। विष्ट जी को मैं समझ नहीं पाया। कहां से यह मालूम हो गया कि मैंने अवस्थी जी से यह कहा कि आप आ जायं तो आप तुरन्त चुनाव करा लें। मैंने यह कहा और मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आम चुनाव के पश्चात् बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने के लिये किसी सरकार को समय लगाने की आवश्यकता होगी। इसलिये नागेश्वर जी के संशोधन को, कि इन अन्तरिम जिला परिषदों का समय सन् १९६२ तक बढ़ा दिया जाय, मैं स्वीकार करता हूं। किन्तु किसी का यदि कोई विचार हो कि वह तुरन्त पारित करते ही चुनाव करा सकते हैं, उनको कोई बाधा और कोई रोक रुकावट नहीं है। हम अपना यह उत्तरदायित्व समझते हैं कि सरकार आम चुनाव के बाद किसी की भी हो, किन्तु उस सरकार के लिये इस तरह की परिस्थिति छोड़ कर जाना चाहिये कि वे विचार करके उन आश्वासनों को पूरा कर सकें जो कि यहां दिये जाते हैं।

श्री उग्रसेन—पहली सरकार ने जो अपने आश्वासन पूरे नहीं किये उन के बारे में माननीय मंत्री जी को क्या कहना है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ की तीसरी पंक्ति में अंक तथा शब्द "३० जून" के स्थान पर "३० अप्रैल" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ की तीसरी पंक्ति में "३० जून" के स्थान पर "३१ दिसम्बर" तथा "१९६१" के स्थान पर "१९६२" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ:

पक्ष में—६९,

विपक्ष में—३१।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में— उ० प्र० अधिनियम संख्या २२,१९५८ की धारा ४ का संशोधन

(१) उपधारा (१) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और उसके पश्चात् उसके प्रतिबंधात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे जिले के विषय में, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाया जाय, अन्तरिम जिला परिषद्, उसके अध्यक्ष या अन्तरिम जिला परिषद् की किसी कमेटी के सभी अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य, सभी विषयों के सम्बन्ध में जिनके अन्तर्गत निधि और सम्पत्ति भी है चाहे वे इस अधिनियम के अधीन हों या यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ऐक्ट, १९२२ अथवा अन्य किसी विधि के अधीन, उक्त जिले के कलेक्टर में निहित होंगे तथा कलेक्टर उक्त सभी अधिकारों का प्रयोग, यू०पी० ऐक्ट संख्या १०,१९२२

सभी कर्त्तव्यों का पालन और सभी कृत्यों का सम्पादन करेगा वह यथास्थिति, अन्तरिम जिला परिषद्, अध्यक्ष या कमेटी, समझा जायगा।"

(२) उपधारा (२) में—

(क) खंड (क) में शब्द "जिले की" के पूर्व शब्द "जिला मजिस्ट्रेट को छोड़कर" रख दिये जायं, तथा

(ख) उसके प्रतिबन्धात्मक खंडों के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, जो सामान्यतः अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकार-क्षेत्र के भीतर न रहता हो, परिषद् का सदस्य न होगा, सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था अनुसूची के पैरा २ के खंड (१) में की गई है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति उस पद पर आसीन न रहे या उसकी वह स्थिति न रहे जिसके आधार पर वह जिला नियोजन समिति का, और फलतः परिषद् का, सदस्य बना था, तो वह अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य न रहेगा;

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७

और प्रतिबन्ध यह भी है कि जिन खंडों में यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, १९४७ के अधीन हुये सामान्य निर्वाचन के फलस्वरूप वर्ष १९६१ में प्रधानों का निर्वाचन हो चुका है वहां, उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६१ के प्रवर्तन के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र प्रत्येक खंड की गांव सभाओं के लिये एक प्रतिनिधि, यदि जिले में खंडों (Blocks) की संख्या दस से अधिक हो, तथा अन्य दशाओं में प्रत्येक खंड के लिये दो प्रतिनिधि निर्वाचित किये जायेंगे। इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन खंड के क्षेत्र के भीतर नव-निर्वाचित प्रधानों द्वारा—भले ही ऐसे किसी प्रधान का कार्यकाल न शुरू हुआ हो—तथा खंड में ऐसी गांव सभाओं के वर्तमान प्रधानों द्वारा, जिनके लिये प्रधानों का १९६१ के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन नहीं हुआ है, उन प्रधानों में से, जिन्हें ऐसे निर्वाचन में मत देने का अधिकार है, किया जायगा। प्रतिनिधियों का निर्वाचन इस अधिनियम के अधीन बने नियमों में निर्दिष्ट रीति से किया जायगा और तत्पश्चात् अनुसूची के पैरा २ की मद (१३) के अधीन, उन प्रतिनिधियों, का यदि कोई हों, जो उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक को अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य हों, कार्यकाल, यदि वह उस समय तक समाप्त न हुआ हो तो, समाप्त हो जायगा।

स्पष्टीकरण —(१) इस प्रतिबन्धात्मक खंड के प्रयोजनार्थ "खंड" का तात्पर्य ऐसे किसी निर्दिष्ट क्षेत्र से है, जिसे उस क्षेत्र में नियोजन एवं विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समय-समय पर उस रूप में निर्धारित (earmark) कर दिया हो, और उसके अन्तर्गत वे खंड भी सम्मिलित होंगे जिन्हें पहले अनुसूची के परा २ की मद (१३) यथोल्लिखित राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड या छाया खंड के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया था और तदुपरान्त उनका पुनर्गठन कर दिया गया हो अथवा उन्हें दूसरा नाम दे दिया गया हो।

स्पष्टीकरण—(२) इस प्रतिबन्धात्मक खंड के प्रयोजनार्थ नवनिर्वाचित प्रधानों का तात्पर्य उन समस्त प्रधानों से है जो उस नोटिस

के जारी होने के दिनांक तक निर्वाचित घोषित कर दिये गये हों, जिसमें प्रधानों से प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिये कहा गया हो"; तथा

(३) उपधारा (३) तथा उपधारा (४) और उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर उपधारा (३) से (१३) तक के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय:—

(३) प्रत्येक अन्तरिम जिला परिषद् का एक अध्यक्ष होगा जो, सिवाय उस जिले के विषय में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाया जाय, परिषद् के, सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायगा ।

(४) इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावलि में, जिले के किसी क्षेत्र से निर्वाचक के रूप में तत्समय दर्ज हो, अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने का पात्र होगा ।

(५) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने का पात्र न होगा, यदि वह—

(क) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ऐक्ट, १९२२ की धारा १३ के अधीन बोर्ड की सदस्यता के लिये अनर्हित हो, या — यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२

(ख) संसद या राज्य विधान-मंडल का सदस्य हो या

(ग) अन्तरिम जिला परिषद् का सरकारी सदस्य हो, या

(घ) मंत्री, जिला सैनिक, नाविक एवं वायु सेना बोर्ड हो :

(६) निर्वाचन, निर्वाचन-फल की घोषणा और अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्ति के नाम के विज्ञापन की रीति तथा निर्वाचन से संबद्ध या उसके कारण उठने वाले विवादों के निपटारे की रीति इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत की जायगी ।

(७) अध्यक्ष अपने पद का कार्यभार, गजट में अपने निर्वाचन का फल प्रकाशित होने के दिनांक से, ग्रहण करेगा और तब तक वह व्यक्ति अध्यक्ष पद पर आसीन रहेगा जो पहले से उस पद पर हो ।

(८) म्युनिसिपल बोर्ड या नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेंट या टाउन एरिया कमेटी का चेयरमन या गांव सभा का प्रधान, अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर, उस निर्वाचन के दिनांक से, यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड या नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेन्ट या टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन या गांव सभा का प्रधान न रह जायगा ।

(९) मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य किसी कारण से होने वाली अध्यक्ष पद की रिक्ति उपधारा (३) में की गई व्यवस्था के अनुसार निर्वाचन द्वारा, भरी जायगी ।

(१०) इस अधिनियम या यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ या किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, अन्तरिम जिला परिषद् के सरकारी सदस्यों को परिषद् की बैठकों में मतदान का अधिकार नहीं होगा । — यू०पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२

(११) परिषद् की सदस्यता में किसी रिक्ति के कारण कोई निर्वाचन या परिषद द्वारा पारित कोई संकल्प या किया गया कोई कार्य अवैध न होगा।

(१२) यदि वह व्यक्ति, जो उपाध्यक्ष का पद धारण किये हो, अध्यक्ष निर्वाचित हो जाय, या यदि किसी अन्य कारण से उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाय, उपाध्यक्ष का निर्वाचन मतदान करने के अधिकारी सदस्यों द्वारा उसी रीति से किया जायगा जिस रीति से अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है।

(१३) अध्यक्ष महोदय, उपस्थित रहने पर, अंतरिम जिला परिषद् की बैठकों में सभापतित्व करेगा और मतों की संख्या बराबर होने की दशा में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।"

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) का भाग (क) निरसित किया जाय।

श्रीमन्, अब तक की जो नीति इस सरकार की रही थी उसके अनुसार यह किया गया था कि जो सदस्य उसमें रखे गये थे उनमें जिलाधीश भी आ जाता था। वह चेयरमैन होता था और इस कारण वह उसका मेम्बर भी होता था। अब प्रजातंत्र के नाम पर दुहाई देने वाली सरकार उसमें कुछ संशोधन चाहती है और उसमें कुछ और शब्द जोड़ना चाहती है। अब सरकार उसमें यह शब्द और जोड़ना चाहती है, "जिला मैजिस्ट्रेट को छोड़ कर"। यानी, श्रीमन्, उनका मतलब यह है कि जिला मजिस्ट्रेट आइन्दा उसका मेम्बर न रहे। मैं पहले ही यह निवेदन कर चुका हूं कि एक क्षेत्र में १५,१५, और २०,२० लाख वोटर हुआ करते हैं यानी कि कई-कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक एम० पी० के क्षेत्र में कई-कई एम० एल० एज० होते हैं। कहीं कहीं तो एम० पी० दो-दो जिलों के प्रतिनिधि होते हैं। तो, श्रीमन्, आप देखें, कि दो दो जिलो से चुना हुआ प्रतिनिधि, चाहे वह इधर का हो या उस तरफ बैठने वालों का हो, वह जिलाधीश के चरणों में बैठ सकता था, मगर जिलाधीश उस कमेटी का सदर हो सकता था। लेकिन आज क्या है? जिलाधीश के स्थान पर अब यह सरकार यह कहती है कि असरकारी व्यक्ति रहे। तथा जिलाधीश उसिका अध्यक्ष न रहे। तो अब जब निर्वाचित प्रेसीडेंट रहेगा तो गैर सरकारी व्यक्ति उसका अध्यक्ष होगा। मैं, श्रीमन्, यह कहता हूं कि यह सरकार नहीं चाहती कि जिलधीश उसके मातहत रहे। माननीय कैलाशप्रकाश जी ने बड़ी दुहाई राजस्थान और आंध्र की दी। लेकिन वहां यह व्यवस्था है कि वहां जितनी भी कमेटियां होती है वहां जिलाधीश एक साधारण सदस्य की हैसियत से ही बैठता है। लेकिन यहां क्या है? यहां ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी पर आज हावी है। श्रीमन्, आज लुमुम्बा को मारने वाले भी अपने को प्रजातांत्रिक कहते हैं। आज १३ वर्ष हो गये, श्रीमन्, चुनाव नहीं करा पाये हैं। तो मैं कुछ अधिक न कह कर माननीय सदन से यह अनुरोध करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करे।

श्री कैलाशप्रकाश--अधिष्ठाता महोदय, यह प्रस्ताव जो मेरे दोस्त विष्ट जी ने रखा है उसको मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इस सम्बन्ध में मेरे निकट बैठे हुये मेरे मित्र श्री नवलकिशोर जी ने बहुत चर्चा की थी और उस समय में उसका उत्तर नहीं दे सकता था। वह चाहे नवलकिशोर जी हों या चाहे श्री विष्ट जी, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अंतरिम जिला परिषद् से कलेक्टर को यदि सदस्यता से अलहदा किया गया है तो वह इस कारण नहीं कि प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव द्वारा जो अध्यक्ष चुना जाने वाला है वह कोई मान सम्मान और मर्यादा में कम व्यक्ति होगा। श्रीमन्, प्रजातंत्र के एक तरीके से दो पहिये होते हैं, एक तो जो जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधि होते हैं जो नीतियों का निर्धारण करते हैं वह एक पहिया है और जो कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनका सीमाक्षेत्र यह है कि जन प्रतिनिधि जो नीति और

सिद्धांत निर्धारित करें उनको वह कार्य रूप में परिणत करें, वह दूसरा पहिया है। श्रीमन्, यह ब्यूरोक्रेसी कही जाती है, यह शासकीय अधिकारी और कर्मचारी अपने क्षेत्र से अतिक्रमण करते हैं, जो उनका कर्त्तव्य है उससे अधिक जाने का प्रयत्न करते हैं तो प्रजातंत्र में दोष आ जाता है। यह बात व्यक्तिगत रूप से भी मुझे स्वीकार है कि जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका स्थान, उनका मान, उनका सम्मान कम नहीं होता। प्रजातंत्र की वह बुनियाद है। श्रीमन्, विधेयक में जो कलेक्टर को यहां से हटाया गया वह इस कारण नहीं कि वह निर्वाचित अध्यक्ष होते हुये उसका सदस्य नहीं हो सकता किन्तु उसके हटने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जो हमारा इस वक्त अधिनियम है जिसके द्वारा अन्तरिम जिला परिषद् चल रही है उनमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कुछ स्वतः अधिकार दिये गये हैं। मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं कि मैं उनको पढ़ूं किन्तु प्रदेशीय सरकार की ओर से अधिनियम के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को जिला परिषदों के सम्बन्ध में कुछ स्वतः अधिकार निर्धारित हैं। अब, श्रीमन्, एक बड़ी विषम परिस्थिति किसी व्यक्ति के लिये हो जाती है और विशेषकर क्योंकि जिला मैजिस्ट्रेट एक सरकारी अधिकारी हैं और सरकार के आदेशों का पालन करना उनका कर्त्तव्य है। इसलिये इस बात को अधिक देखने की आवश्यकता हो जाती है कि कहां का उसको सदस्य बनाना चाहिये और कहां का नहीं बनाना चाहिये। एक तरफ यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य रहता है और उसकी कोई एक राय बनती है, परिस्थिति को देखकर और अन्तरिम जिला परिषद् में उसकी वह राय नहीं चलती तब बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो जायगी और उसको जो स्वतः अधिकार दिये गये हैं अधिनियम में उनको वह स्पूथली पालन नहीं कर सकेगा। ऐसी परिस्थिति में मनोमालिन्य और कटुता पैदा होने की संभावना हो जाती है। इसलिये यह उचित समझा गया कि कलेक्टर को अन्तरिम जिला परिषद् की सदस्यता से अलहदा रखा जाय। इसी पृष्ठभूमि में यह सब किया जा रहा है। इसलिये मैं माननीय नवलकिशोर जी और सदन के दूसरे अन्य माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को इसी पृष्ठ भूमि में देखने की आवश्यकता है। अगर वे इस दृष्टिकोण से इस चीज को देखेंगे तो वे इस संशोधन को स्वीकार न करना ही ज्यादा मुनासिब समझेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मान्यवर, मुझे माननीय मंत्री जी की बात सुनकर बहुत दुःख हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कोयले के सम्बन्ध में कहा था कि जब मंत्री के पास गये तो उनका काम नहीं बना और जब सेक्रेटरी के पास गये तो अधिक काम बन गया लेकिन जब नीचे के अधिकारी के पास गये तो बहुत ज्यादा काम उनका बना। आज यहां के मंत्रियों में भी वही भावना आने लगी है जो केन्द्र के बारे में वे कहते थे। उनमें जन प्रतिनिधि को छोटा समझने की भावना भरी है वे भी समझने लगे हैं कि नान आफिशियल छोटे होते हैं और अफसर बड़े होते हैं। मैं भी चाहता हूं कि अफसरों की इज्जत रहे लेकिन यह कि अगर नान-आफिशियल अध्यक्ष हो गया तो उसके सामने बैठने में उसकी जिल्लत होगी, यह ठीक नहीं है।

जिला मैजिस्ट्रेट के अलावा जिला अन्तरिम परिषद् में बाकी सब जिले के आफिसरान रहेंगे। वे पहले भी थे, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रहेगा, सिविल सर्जन आदि। अब अगर जिला परिषद् में यह पास हो जाय कि फलां जगह पानी लगा दिया जाय। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को स्वयं यह अधिकार है कि वह खुद वहां पानी पहुंचा दे लेकिन इस प्रस्ताव के पास होने पर उसके लिये आवश्यक ही नहीं है कि वह पानी पहुंचा ही दे। इसी तरह से अन्तरिम जिला परिषद् में कोई बात पास हो जाने से यह आवश्यक नहीं है कि कलेक्टर अपने अधिकार से उस कार्य को कर ही दे। आज तक की व्यवस्था यह रही कि कलेक्टर ने जो वहां हुक्म दिया उसको फिर से एज कलेक्टर सोचा। अगर कलेक्टर की हैसियत से उसको सोचने की जरूरत नहीं थी तो वह दोबारा न सोचता। मैंने अल्मोड़ा जिला बोर्ड के बारे में यहां एक सवाल उठाया था उस बाबत अन्तरिम जिला परिषद् में कलेक्टर ने सिफारिश की और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की हैसियत से उसने गवर्नमेंट को दूसरा अलग नोट फारवर्ड कराया है। तो वह बात आज भी हो सकती है। मैंने देखा और सुना है कि आज भी कुछ मंत्री लोग ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेसी से डरते हैं कि

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

न मालूम सेक्रेटरी हमारी कोई गोपनीयता खोल न दें। और इसलिये वे उनको गेट पर मोटर की पों-पों सुन कर उनका स्वागत करने आते हैं और अपनी कारों में उनको उनके घर तक पहुंचाने तक जाते हैं। आज उनके अन्दर इतना इनफिरियारिटी कम्पलेक्स आ गया है कि प्रजातंत्र का एक तरह से हनन ही हो गया है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) का भाग (क) निरसित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नवलकिशोर—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) की मद (ख) के प्रथम प्रतिबन्ध की पहली तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकार क्षेत्र के भीतर" के स्थान पर शब्द "जिले में" रख दिये जायं।

मान्यवर, जैसा कि इस प्रतिबन्ध की भाषा है उससे मुझे यह लगा कि इससे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि हमारे वे माननीय सदस्य जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मौजूदा सीमा के अन्दर न रहते हैं, इस कारण से उनको अन्तरिम जिला परिषद् का मेम्बर न माना जाय। इसलिये उसको और स्पष्ट करने के लिये मैं चाहता हूं कि "जिले में" अब तक जो सदस्य साहब रहते हैं वे उसके मेम्बर माने जायं। इससे बहुत अच्छा स्पष्टीकरण हो जायगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस छोटे से संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश—अधिष्ठाता महोदय, मैं नवलकिशोर जी का बड़ा आभारी हूं कि जो एक भ्रम होने की संभावना थी, उसको अपना संशोधन लाकर उन्होंने अधिक स्पष्ट कर दिया और उसे मैं स्वीकार करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं यह नहीं विश्वास करता था कि इसको माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे। अब मैं उनकी कुछ बातें सुनने के बाद उनका ध्यान उन चीजों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके लिये श्री नवल किशोर जी ने अपना संशोधन पेश किया है। जहां पर उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया है उसी प्रतिबन्ध में यह लिखा हुआ है—"सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था अनसूची के पैरा २ के खंड (१) में की गयी है।"

यह अनुसूची के पैरा २ का (१) मैं आप के सामने अंग्रेजी में ही पढ़ कर सुना देता हूं क्योंकि मेरे पास अंग्रेजी की ही कापी है।

"The District Planning Committee shall now be constituted as follows :

(1) Members of the House of People.
(2) Members of the Council of State.
(3) Members of the Legislative Assembly, and
(4) Members of the Legislative Council, who reside in or represent the district."

तो इसमें साफ है कि जिले के अन्दर जो रहते हैं वे जिले को रेप्रेजेन्ट करते हैं और इन अनुसूची में वह चीज आ चुकी है कि "सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था अनुसूची के पैरा २ के खंड (१) में की गयी है, तो अब इसमें कोई भ्रम नहीं रह जाता है। अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकार क्षेत्र की बात जब इसमें आ गयी है तो उससे स्पष्टता आ जायगी। इन दोनों में अन्तर क्या है, मैं श्री नवलकिशोर जी की व्यवस्था सुनने के बाद भी समझ नहीं पाया। अन्तरिम जिला परिषद् का अधिकार क्षेत्र वही है जो जिले के अन्तर्गत आता है, जिले के बाहर की बात तो

उसमें आती नहीं। और जब कि हवाला इसके अन्दर आया। इसकी व्याख्या भी देख ली जाय और इसके साथ-साथ जब उसमें जिला आ भी चुका है तब यह संशोधन लाना अनुपयुक्त है और मैं समझता हूं कि जो मूल है वैसे का वैसा रहने दिया जाय और यह संशोधन न किया जाय।

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, मैं अवस्थी जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया मैंने वह सूची देख ली थी लेकिन मुझको भ्रम इसलिये हुआ कि उसमें जो शब्द हैं उनके रखने से उसमें ग्रामीण क्षेत्र आ गया है तो मेरे मन में भ्रम पैदा हुआ कि हो सकता है कि कानूनन चाहे वह स्पष्ट हो गया हो कि जो मेम्बर कौंसिल या असेम्बली के हैं, या जो टाउन एरियाज़ के, म्यूनिसिपैलिटीज़ के चेयरमैन हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर न भी रहते हों वह आ जायेंगे, लेकिन मुझे भ्रम हुआ कि इस प्रतिबन्ध के रहते हुए वह नहीं आ पावेंगे। मैं समझता हूं कि अवस्थी जी को इसको मान लेना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि "खंड ३ के उपखंड (२) की मद (ख) के प्रथम प्रतिबन्ध की पहली तथा दूसरी पंक्ति में शब्द 'अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकार क्षेत्र के भीतर' के स्थान पर 'जिले में' रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन् अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ३ के उप खंड (२) (ख) की आखिरी प्रतिबन्ध की पंक्ति ६ में शब्द 'लिये' के पश्चात् शब्द 'एक' की जगह पर शब्द 'दो' रख दिया जाये तथा आगे के शब्द "प्रतिनिधि यदि जिले में खंडों (Blocks) की संख्या दस से अधिक हो, तथा अन्य दशाओं में प्रत्येक खंड के लिये दो" हटा दिये जावें।

श्रीमन्, यह जो मेरा संशोधन है बहुत सोच समझ कर रखा है। मैं आज प्रातः से ही माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री के मन्तव्य को समझने की कोशिश करता रहा। उनको सुनने के बाद मैंने जो यह संशोधन रखा है मैं उस पर दृढ़ हूं। उन्होंने आज प्रातः यह बताने की कोशिश की कि यह जो नया अन्तरिम जिला परिषद् घटित होगा इसमें नामिनेटेड से निर्वाचित सदस्य अधिक होंगे। मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण उनसे चाहता हूं कि क्या उन्होंने सभी जिलों की बात को इकट्ठा कर के देखा है? तो क्या जो सदस्य निर्वाचित हो कर आवेंगे संस्थाओं से उनकी संख्या को जोड़ कर जब हम नामजद सदस्यों की कुल संख्या से देखते हैं तो वह संख्या बहुत अधिक हो जायगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जो बहुत से सदस्य अनेक संस्थाओं से निर्वाचित हुये हैं वह संस्थाएं ऐसी हैं जिनको अन्तरिम जिला परिषद् में जोड़ने का बहाना मात्र है जिससे कुछ सदस्य ऐसे आ जायं जिनसे संख्या बढ़ जाये।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन् इसके समझने में मुझे समय लगेगा। जो संशोधन मैंने रखा है उसकी असलियत को समझाने के लिये कुछ समय दिया जाय.....

श्री अधिष्ठाता—एक मिनट और मिल जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अधूरा कहने से कोई लाभ नहीं है। आप देखें कि यह बहुत प्रमुख संशोधन है, कुछ संस्थायें हैं कि जिनको इसमें निर्वाचन कर के सदस्यों को भेजना है जैसे कि भारत सेवक समाज है, स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड है, स्टेट कृषि बोर्ड है और मैनेजिंग डायरेक्टर कोआपरेटिव बैंक के और हायर सेकेन्डरी स्कूलों के प्रतिनिधि और जो अन्य लोग इस तरह से आयेंगे उन सब को सरकार ने निर्वाचित सदस्यों की संज्ञा दी है। इसके अलावा यह भी कहा है कि पिछले जिला बोर्डों के भी ५ आदमी आयेंगे। पिछले जिला बोर्डों का संगठन जो अब बिलकुल नहीं रहा, उनके सदस्य अब कहां हैं? उनकी ओर से कैसे प्रतिनिधि चुन कर आयेंगे? उसका तो एक ही तरीका हो सकता है कि कोई निर्वाचित प्रतिनिधित्व तो न रहेगा बल्कि वह जिलाधीशों को ही नामजदगी का अधिकार देंगे, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

या खंड ९ में लिखा है कि प्लानिंग विभाग में २ आदमी ऐसे नामजद होंगे जो जिला बोर्ड के सदस्य होंगे इससे भी मालूम होता है कि वह सब नामजदगी ही होंगी जिनको वह निर्वाचित सदस्य की संज्ञा दे रहे हैं और इस तरह से इस बहाने नामजदगी हुआ करेंगी।

अब वह प्रधानों को भी बुला रहे हैं और हर ब्लाक से एक सदस्य की बात कही जा रही है और हर बड़े जिले में ब्लाकों की संख्या अधिक है लेकिन इतनी अधिक नहीं है कि उनके प्रतिनिधि इतने काफी हो जायं कि अर्ध निर्वाचित और नामजद प्रतिनिधि जो जोड़ दिये गये हैं जिनको जोड़ कर कि जिला अन्तरिम परिषद् बनाई जा रही है इन दोनों तरह से आये हुये प्रतिनिधियों का जोड़ इन सीधे चुने हुए ग्राम-पंचायतों के प्रतिनिधियों से अधिक हो जायगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि हर ब्लाक से २ आदमियों के निर्वाचन की बात मान ली जाय और उन लोगों का बाहुल्य सरकार वहां कर ले जो जनता से चुनकर आये हैं, इससे सरकार के कहने पर विश्वास भी हो जायगा कि वाकई सरकार चाहती है कि वहां निर्वाचित सदस्यों का बाहुल्य रहे। अगर यह बात नहीं मानी जाती तो निर्वाचित सदस्यों का बाहुल्य न हो कर मनोनीत सदस्यों का ही बाहुल्य रहेगा और सरकार का वह निर्देश निर्मूल सा ही होगा कि वह उनको एक जनतांत्रिक रूप देना चाहती है।

श्री कैलाशप्रकाश—अधिष्ठाता महोदय, यह तो मेरा दुर्भाग्य है कि इतनी स्पष्ट बात करने के बावजूद भी माननीय अवस्थी जी मेरी बात नहीं समझ पाते। क्या करूं, प्रयत्न करता हूं, प्रयास भी करता हूं लेकिन उन्होंने जो बात कही है वह मुझे स्वीकार नहीं है और इसका संकेत मैं सदन में पहले भी दे चुका हूं। किसी भी समिति या परिषद् को निर्मित करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि वहां सदस्यों की संख्या इतनी अधिक न हो जाय कि वह संस्था सुचारू रूप से काम ही न कर सके और इतनी कम भी न हो जाय कि उसका कार्य ठीक से न हो सके। इसी बात को ध्यान में रख कर पहले नियोजन समितियां बनी थीं और उसमें व्यवस्था यह थी कि जो छोटे जिले हैं जिनमें ब्लाक १० हैं या १० से कम हैं वहां उस श्रेणी के सदस्य जिस श्रेणी के सदस्य नियोजन समिति के बनते हैं वह भी कम ही होंगे। इसलिये उनकी संख्या बहुत कम न हो जाय, इस चीज का उपचार करने के लिये यह व्यवस्था रख दी गई कि १० या १० से कम जहां ब्लाक्स हैं वहां प्रधानों के प्रतिनिधि दो आएंगे और जहां १० से अधिक हैं, स्वाभाविक बात है जिला बड़ा होगा, और जिला बड़ा होगा तो कोआपरेटिव सोसायटीज भी ज्यादा होंगी, एम० एल० एज और एम० पीज भी ज्यादा होंगे और संस्थाएं भी ज्यादा होंगी, इसलिये वहां यह रखा, सीमित करने के लिये, कि फी ब्लाक एक आदमी जाय। मुझे आज उस व्यवस्था को बदलने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और मुझे यह भी भ्रम नहीं है और मैं समझता हूं कि अवस्थी जी भी अच्छे तरीके से उस को देख सकते हैं कि कोई नामजद सदस्यों का बाहुल्य केवल इसलिये हो कि जहां १० से अधिक ब्लाक हैं वहां से एक ही सदस्य आता हो। इसलिये मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री महोदय अवस्थी जी की बात को नहीं समझ पाये और फरमाते हैं कि उन्होंने सदन में बार-बार कहा और कहां तक स्पष्ट करें, और उन्होंने फरमाया कि अवस्थी जी उनकी बात नहीं समझ पाये। दलील यह दी गई कि जब कोई कमेटी बनाई जाय तो उसकी मेम्बरशिप ऐसी न हो कि उसकी संख्या बहुत कम हो। दूसरी दलील यह दी गई कि कोई कमेटी बनाई जाय तो उसके सदस्यों की संख्या ऐसी न हो कि जो अनवील्डी हो जाय। इसलिये मंत्री महोदय ने यह विचार किया कि जो ऐसे जिले हैं जहां १० से कम ब्लाक्स हैं वहां फी ब्लाक दो सदस्य जिला परिषद् के लिये चुने जायं और जो बड़े-बड़े जिले हैं जिनमें १० ब्लाक से अधिक हैं उनमें एक ही एक चुना जाय। और दलील यह दी गयी कि ऐसा न हो कि उस परिषद् के सदस्यों की संख्या अनवील्डी हो जाय। प्रश्न यह नहीं है। मैं समझता हूं अवस्थी जी की ओर से यह प्रश्न

उपस्थित ही न किया जाता अगर जिला परिषदों में नामीनेटेड मेम्बर्स न होते। चूंकि नामीनेटेड मेम्बर्स हैं, जो केवल एक ही पार्टी के आदमी होते हैं, जिनके चुने जाने के लिये किसी तरह का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, जिनके नामीनेशन के लिये किसी तरह की कोई क्वालीफिकेशन नहीं होती, वे सरकारी पार्टी के आदमी होते ह, मिनिस्टर साहब के परिचित होते हैं, कांग्रेस एम० एल० ए० के दोस्त होते हैं, इसलिये यह प्रश्न उठा। मैं जिला जालौन की बात जानता हूं और मैं समझता हूं कि वही बात सब जगह होगी। तो आज नामीनेटेड एलीमेन्ट रखा गया है। आपके म्यूनिसिपल बोर्ड में नामीनेटेड एलीमेन्ट नहीं था और न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कोआप्टेड के अलावा और कोई नामीनेटेड एलीमेन्ट हुआ करता था। तो आज जो मौजूदा परिषद् बन रही है अगर इन परिषदों में जनता के नुमाइन्दे पहुंचाने हैं और ग्राम-सभाओं से जो पहुंचते हैं उनके लिये आप यह चाहते हैं कि ऐसा न हो कि नामीनेटेड एलीमेन्ट उनको टारपीटो कर दे तो यह आवश्यक है कि या तो नामीनेटेड मेम्बर्स को बिलकुल हटा लिया जाय और अगर एक भी नामीनेटेड सदस्य है तो एक ब्लाक से दो प्रतिनिधि लें चाहे ब्लाक की संख्या कुछ भी हो। मैं समझता हूं ६ से ८ तक लोग ऐसे हैं जो हारे हुओं को जिताने की कोशिश करेंगे। अगर प्रजातंत्र की सही व्यवस्था करनी है तो यह बड़ी सही बात है कि या तो नामीनेटेड एलीमेन्ट को हटा दिया जाय या इलैक्टेड एलीमेन्ट को इतनी ज्यादा संख्या में आने दिया जाय कि नामीनेटेड एलीमेन्ट कोई असर न डाल सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बात मंत्री जी के स्पष्टीकरण के लिये रखना चाहता हूं। जिस खंड ३ के उपखंड (२) में अब हम चल रहे हैं उसको अगर देखें तो धारा ४ की उपधारा (२) में लिखा हुआ है "जिले की अंतरिम जिला परिषद् में निम्नलिखित होंगे, जिले की जिला नियोजन समिति के सब सदस्य, ५ सदस्य जो उन व्यक्तियों के निर्वाचक-गण द्वारा निर्वाचित हों, जो अप्रैल ३०, १९५८ ई० को भूतपूर्व जिला बोर्ड के सदस्य तथा प्रेसीडेन्ट थे, अथवा जो राज्य सरकार द्वारा धारा ५ के अधीन नाम-निर्दिष्ट हों।"

इसके द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि इस धारा ४ की उपधारा (२) में जो प्रतिबन्ध जोड़ा जा रहा है उससे सरकार स्वीकार कर लेती है कि जिला नियोजन समिति जैसी पहले बनी है वैसी बनी रहेगी और उस जिला नियोजन समिति के बनाने में ५ सदस्य जो १९५८ के पहले रहे हैं वह भी निर्वाचित हो कर उसमें आ जायंगे। तो सरकार इन नामजद सदस्यों का रोग क्यों रखना चाहती है? जो कोढ़ दूर हो चुका है फिर भी उसी के वर्ग से आए हुए सदस्यों को सरकार छिपा कर लाना चाहती है। जो प्रतिबन्ध जोड़े जा रहे हैं तो उसके फलस्वरूप यह होगा धारा ४ की उपधारा (२) पूर्ण रूप से पास हो जायगी और उसके पास हो जाने से पहले की जिला नियोजन समिति जैसी की तैसी कायम रहेगी।

एक बात मंत्री जी ने कही कि हम संख्या ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। मैं उनसे जानना चाहूंगा, कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जिसमें २० ब्लाक से ज्यादा हों। मेरे कानपुर जिले में करीब २० ब्लाक्स हैं और अगर उसमें से दो, दो प्रतिनिधि हर ब्लाक से लिये जाते हैं तो ४० प्रतिनिधि होते हैं। उनको रख देने में सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार कहती है कि जहां १० ब्लाक्स हैं उनको तो प्रत्येक को २, २ प्रतिनिधि देंगे यानी २० से ज्यादा नहीं लेंगे और जहां ब्लाक २० हैं वहां १, १ प्रतिनिधि लेंगे। लेकिन २० प्रतिनिधि अगर सरकार इस तरह से लेती है, जो जिला नियोजन समिति पहले की है उसमें मैंने जोड़ा तो यह निकलता है कि इसमें भी २० सदस्य ऐसे निकल कर आ जायंगे जो अनेक संस्थाओं के द्वारा बैक डोर से सरकार के नामजद सदस्य होंगे। इनके बल पर सरकार अंतरिम जिला परिषद् चलाना चाहती है। इस चीज को सरकार क्यों नहीं कबूल करती कि हम अंतरिम जिला परिषद् में पीछे के दरवाजे से आये हुए लोगों को बुला कर उन्हीं का बहुमत रख कर, नये प्रधान जो चुने हुए हैं उनको अल्पमत में रख कर, जैसे पहले जिला बोर्ड थे उसी प्रकार अंतरिम जिला परिषद् को रखना चाहते हैं और अपने ही कांग्रेसी सदस्यों को जो पहले अध्यक्ष रहे, जिलाधीश के आने पर

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

उपाध्यक्ष बने, पुनः उनको अध्यक्ष बनने के लिये दरवाजा खोला जा रहा है और फिर १२, १३ साल पुराना कोढ़ उन्हीं अध्यक्षों द्वारा चलाया जाय ? सरकार का यह कार्य अनुचित है। अतः सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच जिला बोर्डों को सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है उनके दो-दो प्रतिनिधि प्रत्येक ब्लाक से आने की स्वीकृति प्रदान करे।

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। मैं एक भ्रम माननीय अवस्थी जी का दूर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जिसमें ब्लाक्स २० से अधिक होंगे। इस प्रदेश में कई जिले हैं जिनमें ब्लाक्स २० से अधिक हैं। और दो, तीन का नाम फौरन् ले सकता हूं। मेरठ, इलाहाबाद और गोरखपुर हैं। इसलिये मैं असमर्थ हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करूं।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि "खंड ३ के उपखंड (२) (ख) के आखिरी प्रतिबन्ध की पंक्ति ६ में शब्द 'लिये' के पश्चात् शब्द 'एक' की जगह पर शब्द 'दो' रख दिया जाये तथा आगे के शब्द "प्रतिनिधि यदि जिले में खंडों (Blocks) की संख्या दस से अधिक हो, तथा अन्य दशाओं में प्रत्येक खंड के लिये दो' हटा दिये जावें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:--

पक्ष में--१५,

विपक्ष में--६६।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, आपकी आज्ञानुसार, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) (ख) के प्रतिबन्धों के पश्चात् यह प्रतिबन्ध और बढ़ा दिये जावें :

(१) प्रतिबन्ध यह है कि ३० अप्रैल, सन् १९५८ तक गठित अथवा निर्मित जिला बोर्ड के सदस्य अथवा प्रेसीडेंट अथवा सरकार द्वारा नामजद इस प्रकार के सदस्य अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यता के पात्र नहीं होंगे।

(२) प्रतिबन्ध यह भी है 'कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम १९६१ के प्रवर्तन के पश्चात् परिषद् के सब ही सरकारी सदस्य उसके केवल कोआप्टेड (Co-opted), सहयोगी सदस्य समझे जावेंगे जो अपना मत प्रदर्शित करने के अधिकारी नहीं होंगे।'

श्रीमन्, खंड ३ के उपखंड २ (ख) को जो मैंने अभी आप के सामने पढ़ कर सुनाया था और उसमें कुछ प्रतिबन्ध सरकार की तरफ से रखे गये हैं उन प्रतिबन्धों के अतिरिक्त एक और प्रतिबन्ध बढ़ाने की इसमें आशा प्रकट की गयी है। उसका अर्थ केवल मात्र यह है कि सन् ५८ तक जो जिला बोर्ड रहे और ये सन् ५८ तक रहने वाले जिला बोर्ड सन् ४८ से चले आ रहे थे, दस साल पहले वे बने थे, और वह भी सन् २२ के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के अनुसार बने थे, इतने पुराने ऐक्ट के मुताबिक बने हुये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो सन् ५८ में खत्म किये गये, केवल मात्र उस समय यह आवश्यक समझा गया था कि अन्तरिम जिला परिषद् के आधार पर जो नियोजन समिति बने उसमें कुछ पिछले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सदस्य आ जायं जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के खत्म किये हुये कार्यों का कुछ अवलोकन या हवाला देने के लिये अपनी बात बता दिया करें। एक तरीका है कि किसी नये ढंग से काम आरम्भ करने में पुराने तबके के एक आध आदमियों को बिठाल लेने में पिछली बातों का हवाला मिलता रहता है। शायद इसी आशय से सरकार ने उस वक्त उचित समझा हो कि विघटित डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पांच सदस्य अन्तरिम जिला परिषद् में सदस्य के रूप में आ जायं जो केवल नियोजन समिति की जगह पर बन रहा था। अब स्थिति दूसरे प्रकार की है। अन्तरिम जिला परिषदों ने पिछले दो साल से अपना काम किया

और अब उसी में सरकार नये ढंग के अध्यक्षों को बुलाकर के उन्नतिशील अन्तरिम जिला परिषद् बना कर चलाना चाहती है। अब हमें यह आवश्यकता बिलकुल दिखाई नहीं पड़ती है कि पिछले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिसमें सन् ४८ के चुने हुये आदमी थे उसमें सन् ६१ में, १३ साल बाद कोई ऐसा योग्य आदमी रह गया हो जिसको ले लेना जरूरी हो। मैंने यह प्रतिबन्ध रखा है कि उन बोर्डों में से कोई सदस्य अब न लिया जा सके जिससे सन् ४८ के लोगों का संसर्ग न आये। हम चाहते हैं कि जनता में इतना विचार आये कि सन् ४८ के चुने हुये कोई सदस्य अब इनमें मौजूद नहीं हैं और इस विचार को अगर सरकार लाये तो यह उसके हित में ही होगा।

हमारे सामने जो विधेयक सरकार ने पेश किया है उसमें उसने कुछ संशोधन ला कर रखा है लेकिन इसके बावजूद भी उन पुराने जिला बोर्डों से छुटकारा दिलाने की बात इसमें नहीं दिखायी देती है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि उन जिला बोर्डों के कुछ लोगों को लेने के लिये वह आज उतावली है। मैंने यह प्रतिबन्ध लगा कर सरकार के उस उतावलेपन को जांचना चाहा है। यदि वह सचमुच उतावली है तो वह हमारे संशोधन का विरोध करेगी अन्यथा हमारा प्रतिबन्ध बिलकुल स्वीकार करने योग्य है। मैं नहीं समझता कि इसमें सरकार की कोई हेठी होगी। अगर कोई बात सरकार के सामने ऐसी आ जाय जो उचित हो या सरकार के कथनानुसार उसी के साथ लगती हो तो क्यों न स्वीकार की जाय। मैं पिछले चार साल का अनुभव बताता हूं कि माननीय सम्पूर्णानन्द की सरकार के किसी भी मंत्री ने विरोधी पक्ष से चाहे जितनी उचित से उचित बात कही गयी हो एक बार भी नहीं माना। पिछले चार सालों में ऐसा एक बार भी अवसर नहीं आया। अब नई सरकार बनी है, नया मंत्रि मंडल है और इस विभाग के मंत्री जी भी नये हैं। पहले वह पूर्ण मंत्री नहीं थे। लेकिन अब वह पूर्ण मंत्री हैं और नये ढंग से अपने काम को दिखाना चाहते हैं। यदि वह इस तरफ के लोगों के सुझावों को समझने के लिये आगे हाथ बढ़ायेंगे तो हम समझेंगे कि उनमें विचार-शीलता बढ़ रही है। इस आशा से मैं अपना संशोधन रख रहा हूं।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं श्री अवस्थी जी के इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इसको अवश्य मान लेता अगर वह उस तस्वीर को जिससे यह चीज बनाना चाहते हैं उसी रूप में देख कर उसे और अधिक सुन्दर बनाने का प्रयत्न करते। मैंने निवेदन कर दिया है कि जिला परिषदों का अब तक जो निर्माण रहा है उसमें हमने कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है। केवल उसमें इतना परिवर्तन करना चाहते हैं कि उसका अध्यक्ष चुना हुआ हो। यह पहले से बने हुये है और मैं उनके संशोधन की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, अपनी वर्तमान सरकार द्वारा जो जिद दिखाई गई उसको देख कर मुझे बड़ा तरस आया। अगर सरकार कुछ न कह कर मौन ग्रहण कर लेती तो शोभनीय था। लेकिन गलत चीज को दलील देकर समझाने की कोशिश की गई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मंत्री जी ने कहा कि हम पुराने जिला परिषदों को ही हूबहू रखना चाहते हैं, केवल एक ईंट हटाना चाहते हैं कि उसमें गैर-सरकारी अध्यक्ष रखेंगे। अगर सचमुच में ऐसी बात है तो यह इसी सरकार के लिये शोभनीय है।

श्रीमन्, अन्तरिम जिला परिषद् किस रूप में बने। २९ अप्रैल, १९५८ को एक आर्डिनेंस द्वारा जिला बोर्डों को खत्म किया और यह जो आज्ञा निकली थी वह आकस्मिक आज्ञा थी। इसके फलस्वरूप यह हुआ कि जिला बोर्ड एक दम खत्म कर दिये गये। मुझे उस दिन की बहुत सी घटनायें याद हैं जिस दिन पुराने बोर्डों के अध्यक्षों से चार्ज लिया गया था और बहुत से अध्यक्ष तो बेताब हो गये थे। उन्नाव के अध्यक्ष ने चार्ज देना स्वीकार नहीं किया तो पुलिस की मदद लेनी पड़ी थी। जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नये ढंग से अंतरिम परिषद् के रूप में आते हैं तो उस समय यह महसूस हुआ कि सरकार अब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को किसी भी हालत में कायम नहीं रखेगी। सरकार का यह आकस्मिक काम दो साल से चल रहा है। आज सरकार ने यह घोषणा

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

की है कि अंतरिम जिला परिषदों को हम १९६२ तक ले जायंगे। इस तरह से सरकार का यह आकस्मिक कार्य ४ साल तक चलेगा और यह अंतरिम जिला परिषद् के रूप में ही चलेंगे। अंतरिम व्यवस्था तो चन्द रोज के लिये ही होती है। पहले छः महीने के लिये मियाद मांगी गई थी। फिर साल भर के लिये बढ़ाई गई और फिर बढ़ाई। अब राज्यपाल महोदय के द्वारा ३० जून तक बढ़ाने के लिये आज्ञा मांगी है और इसी के मुताबिक ३० जून तक अवधि बढ़ाने के लिये यह विधेयक हमारे सामने आया जो इस समय उपस्थित है तो मैं जानना चाहता हूं कि इस मंत्रिमंडल ने महामान्य राज्यपाल के मुंह से ऐसा झूठ क्यों कहलाया? जब वह इस अंतरिम जिला परिषद् की अवधि को, जैसा कि आज उन्होंने कहा, ३१ दिसम्बर, १९६१ तक बढ़ाना चाहते थे, तो महामान्य राज्यपाल द्वारा यह बात कहलाना कि हम इस की अवधि सिर्फ ३० जून तक रखना चाहते हैं और उनके नाम से अध्यादेश जारी करना एक बड़ा असत्य कार्य करना रहा है। उसको करके महामान्य राज्यपाल को गलत स्थान पर रखा और अपने को भी भ्रामक स्थिति में रखा और जनता को आलोचना का मौका दिया है। आज कहा जाता है कि हम अंतरिम जिला परिषद् को हूबहू दो वर्ष तक रखना चाहते हैं। ऐसी जिला परिषद् जिसमें जिलाधीशों द्वारा नामजद सदस्यों को रखना चाहते हैं, किसानों के लिए बड़ी घातक सिद्ध होगी। ऐसी जिला परिषदें जिनकी न कोई नकेल है, न पूर्णता है, न नवीनता है, न सब बात की जानकारी है, इनको जारी रखना बड़ी अशोभनीय बात है और मैं चाहूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री कैलाशप्रकाश—अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ और नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) (ख) के प्रतिबन्धों के पश्चात् यह प्रतिबन्ध और बढ़ा दिये जावें:—

"(१) प्रतिबन्ध यह है कि ३० अप्रैल, सन् १९५८ तक गठित अथवा निर्मित जिला बोर्ड के सदस्य अथवा प्रेसीडेंट अथवा सरकार द्वारा नामजद इस प्रकार के सदस्य अन्तरिम जिला के सदस्यता के पात्र नहीं होंगे।

(२) प्रतिबन्ध यह भी है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६१ के प्रवर्तन के पश्चात् परिषद् को सब ही सरकारी सदस्य उसके केवल कोआपटेड (co-opted) सहयोगी सदस्य समझे जावेंगे जो अपना मत प्रदर्शित करने के अधिकारी नहीं होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ३ के उप खंड (२) के तृतीय प्रतिबन्ध के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:

'प्रतिबन्ध यह भी है कि सन् १९६०–६१ में कुमायूं डिवीजन के जिन ब्लाक (खंडों) में जो स्थायी सभापति चुने गये हैं वे सब अन्तरिम जिला परिषद् के विधिवत् निर्वाचित सदस्य समझे जायंगे'।"

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां १००, १०० आदमी चुने हुए हैं, केवल थोड़े से आदमी वहां नामजद हैं। लेकिन मैं निवेदन कर दूं, मैं कुमायूं के जिलों को जानता हूं और मैं अल्मोड़े का उदाहरण देता हूं जहां ४०-५० असरकारी सदस्य होंगे उनमें २२–२२ आदमी ऐसे हैं जिनका चुनाव नहीं हुआ है, उदाहरण के लिए १ हरिजन कार्यकर्त्ता, १ सामाजिक महिला कार्यकर्त्ता, ५ व्यक्ति एक बार राज्य से नामिनेट हुए और दो बोर्डों के प्रतिनिधि। भूतपूर्व प्रेसीडेंट को, एक वाइस-प्रेसीडेंट को बनाया गया, बोर्ड के पांच पुराने सदस्य फिर लिये गये। आठ यह हो गये, मंत्री, जिला सैनिक बोर्ड, मैनेजिंग डाइरेक्टर, कोआपरेटिव बैंक, जिला कोआप-

रेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन का अध्यक्ष, इसके अलावा भारत सेवक समाज, राज्य नियोजन बोर्ड, कृषि बोर्ड के सदस्य और कृषि पंडित, इस तरीके से २२ आदमी ऐसे हैं जो निर्वाचित नहीं हुए। कुल ४० या ४५ सदस्य हों उनमें से २२ आदमी मनोनीत हों तो इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि एक तरफ तो मन्त्री जी, ने यह कह दिया कि सन् ६२ तक अब एलेक्शन नहीं हो पायेगा। तो जब ६२ तक ऐलेक्शन नहीं हो पायेगा तो मौजूदा जो सेट अप है उसमें एक आलटरनेटिव यही हो सकता है कि उसको जितना ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जा सके उतना बनाया जाय।

श्रीमन्, अभी वहां के विभिन्न ब्लाकों में हाल में निर्वाचन हुए हैं। नये पंचायत राज ऐक्ट के मुताबिक पहाड़ में एलेक्शन नहीं कराया गया गोया बार-बार हमारी मांग उसके लिए रही। सरकार जो एक क्लेम एक्सक्यूज लेती है कि हम तो एलेक्शन कराना चाहते हैं लेकिन हो ही नहीं सकता यह बात भी वहां के लिए गलत साबित हुई। जिस समय यहां पंचायत राज विभाग में गांव के सभापति चुनने की बात आयी तो अल्मोड़े के जिलाधीश ने कैटेगोरिकली इस बात को कहा कि अल्मोड़े में फरवरी के महीने में हम गांव-सभाओं के एलेक्शन करा सकते हैं। लेकिन चूंकि उत्तराखंड के जिलाधीश नहीं चाहते थे लिहाजा अल्मोड़े में भी नहीं हुआ। अब कुमायूं के साथ इतना सौतिया व्यवहार हो रहा है कि जिस समय सीमा का सवाल होता है, रुपया खर्च करने का सवाल होता है, उस समय तो उत्तराखंड इनका चहेता बेटा लाड़ला बन जाता है, अल्मोड़े को सीमावर्ती नहीं घोषित किया जाता है और न सीमावर्ती सुविधायें ही कोई उसको दी जाती हैं और जिस समय चुनाव वगैरह की या दूसरी बात होती है तो उस समय हमको उत्तराखंड के साथ लगाया जाता है। यानी एक त्रिशंकु की तरह अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल की हालत आज हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन जिलों के लिए उन्होंने कहा कि १००, १०० सदस्य वहां है, वह बात हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां कुल ४० या ४५ सदस्य हैं उनमें २२ तो बिना निर्वाचन वाले आ गए। उसके अलावा एम० एल० एज और एम० एल० सीज भी हैं। इस तरह से हमारे यहां यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भी प्रजातांत्रिक बात वहां पर चल सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि कम से कम जिन ब्लाकों से चुनाव हो चुका है, ब्लाक स्तर पर प्लानिंग के कुछ जी० ओज के आधार पर जो ब्लाक के सभापति चुने गये हैं, उनको अपने अपने विकास खंडों में स्थायी सदस्य निर्वाचित करार दिया जाय, कल मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, शायद उसी का उन्होंने आज उत्तर दिया है, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से सदन से अलग बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि व्यवस्था यह है कि इस व्यवस्था के अनुसार केवल ग्राम सभा के सभापतियों का प्रतिनिधि आ सकता है मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अगर ग्राम सभा के सभापति और उसके अलावा अगर कोआपरेटिव वाले या और जो बाकी के लोग हैं वह भी पहुंचते हैं तो इसमें उन्हें परहेज नहीं होना चाहिए क्योंकि इस सिद्धान्त को वह स्वीकार कर चुके हैं। जिला परिषद् विधेयक को यह आदरणीय सदन स्वीकार कर चुका है। उसमें हर एक को अधिकार है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक के खंड ६ के अनुसार ब्लाक खंडों का जो सभापति होगा उसमें कोआपरेटिव वाले भी वोट देंगे, हरिजन भी देगा, महिला भी देगी। उन्हीं लोगों से छंट कर के वह गैर सरकारी आदमी भी आयेगा क्योंकि सरकारी सदस्यों को ब्लाक या खंडों की कमेटी में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने जो नये सभापति छांटे हैं वह कम से कम जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सन् ४८ के हैं उनसे तो ज्यादा ही प्रतिनिधित्व रखते हैं। जब सन् ४८ तक के हैं तो इधर के नवनिर्वाचित लोगों को क्यों नहीं लिया जाता। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको मान लेना चाहिए।

(इस समय ३ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपाल सिंह, पीठासीन हुए।)

श्री कैलाशप्रकाश—अधिष्ठाता महोदय, मैंने श्री विष्ट जी के संशोधन को बड़े ध्यान से देखा है। वह चाहते यह हैं कि उनके यहां ब्लाकों के द्वारा जो प्रधान या जो कुछ भी कहिए

[श्री कैलाशप्रकाश]

चुने हुए हैं वह अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य बन जायं। व्यवस्था यह है कि ब्लाक में जो गांव सभा के प्रधान हैं उनके द्वारा चुना हुआ एक प्रधान अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य बनता है। पूरे सूबे में हमें इस बात को लागू करना है। मैंने क्षेत्र समिति के निर्माण को देखा है और क्षेत्र समिति के निर्माण में और भी बहुत से सदस्य हैं। उसमें अन्तरिम जिला परिषद् के वे सदस्य हैं, जो उस क्षेत्र में रहते होंगे, वे होंगे। जितनी कोआपरेटिव सोसाइटियां होंगी उनके सरपंच होंगे। तमाम एम० एल० ए०, एम० एल० सी० और एम० पी० होंगे। ५ नामजद सरकार की तरफ से होंगे। जितनी कोआपरेटिव बड़ी सोसाइटियां हैं उनके डाइरेक्टर होंगे। तमाम गांव सभाओं के प्रधान होंगे। कोआपरेटिव यूनियन के सरपंच होंगे। क्षेत्र समिति के इतने सारे सदस्य बन जाते हैं और दूसरे क्षेत्र समिति के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो जाहिर बात है कि प्रधानों की जो क्षेत्र में संख्या है वह कम होगी और अगर बहुमत में हैं तो अन्य लोग उसमें बैठने वाले हैं। वह कहते हैं कि जिलों में ऐसा किया जाय कि केवल प्रधानों को ही यह अधिकार दिया जाय कि वे स्वयं अपना एक प्रतिनिधि भेज सकते हैं और पहाड़ी जिलों में यह कर दिया जाय कि प्रधानों के साथ और बहुत से लोग बुला लिये जायं और उनके द्वारा चुने हुये प्रतिनिधि भेजे जायं। मैं नहीं जानता कि उनकी इस बात को पहाड़ी जिलों के प्रधान गांव सभा के कहां तक पसन्द करेंगे। मेरा ख्याल है, जैसा कि भावना मैं समझता हूं वह इसको पसन्द नहीं करेंगे। तमाम सूबे के अनुसार वह चीज ठीक नहीं बैठेगी।

एक बात जरूर विष्ट जी ने कही जो मुझे महत्वपूर्ण महसूस होती है और वह यह है कि इन पहाड़ी जिलों के अतिरिक्त और जगह नये ग्राम सभा के प्रधानों का चुनाव हो गया है और नये चुने हुये प्रधानों के द्वारा अन्तरिम जिला परिषद् बनेगी। ऐसा हम समझते हैं और ऐसी हमने व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से इन पहाड़ी जिलों में कोई लाभ नहीं होता है। जैसा वह कहते हैं क्योंकि चुनाव बहुत पुराने हो रहे हैं और उनका यह भी खयाल है कि अब यह जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं उनमें विभाजन हो गया है जैसे कि उत्तरा खंड वगैरह। तो उत्तराखंड में इस महीने चुनाव नहीं हो सकता है किन्तु उनके खयाल से और हिस्सों में चुनाव होने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। श्रीमन्, इन जिलों की पंचायतों के चुनाव इस महीने से निकाले गये थे और वह इस दृष्टि से निकाले गये थे कि ऐसे मौसम में पहाड़ी जिलों में चुनाव नहीं हो सकते हैं। विष्ट जी कहते हैं कि उत्तराखंड के जिलों को छोड़ कर चुनाव हो सकते हैं। यह बात विचारणीय है और इस बात पर मैं विचार करूंगा, किन्तु उनका यह संशोधन कि प्रधानों को परिषद् में प्रतिनिधि बनाया जाय, क्षेत्र समिति के अध्यक्ष को मान लिया जाय, मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं और मुझे बहुत सन्देह है कि पहाड़ी जिलों के प्रधान उनकी इस बात को पसन्द करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन, इसमें एक बात स्पष्ट है। जहां तक विकास का संबंध है उसके लिये वहां पर कई डिवीजन हो गये हैं। उन हिस्सों को मैदानी हिस्सों के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। जब रुपये पैसे की बात होती है तो यह सरकार मैदानी हिस्सों को उनके साथ जोड़ देती है, जब चुनाव कराने की बात है तो हमको मैदान से काट कर पहाड़ के साथ जोड़ देते हैं। मुबारक हो यह तर्क सरकार को ही। मानने से क्या होता है। तर्क तो कोई है नहीं उनके पास। गुप्ता जी रानीखेत से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको डर है कि अगर नये प्रधानों के चुनाव हो जायंगे तो जिला बोर्ड कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा और वे जीत नहीं सकेंगे। यह मेरा चार्ज है। वह जानते हैं कि अगर जिला बोर्ड में हमारी ताकत नहीं रहेगी तो वहां कांग्रेस जीत नहीं सकती।

एक सदस्य—क्या गढ़वाल से भी वह चुनाव लड़ रहे हैं?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अल्मोड़ा के लिये उन्हें ऐसा करना था, उसे छिपाने के बहाने से गढ़वाल को भी ले लिया गया है। ऐसा बेवकूफ क्या कोई हो सकता है कि उसी को केवल

वह सिंगिल आउट करेगा। जिला बोर्ड अल्मोड़ा पर कांग्रेस का कब्जा है और इसलिये वहां के टीचरों को कांस्टीट्यूयेन्सी में जाने का हुक्म हो रहा है। वहां के अफसरों पर दबाव डाला जा रहा है कि गांवों में जायं और गुप्ता जी के लिये वोट लें। गांव-गांव में वहां इसके लिये प्रचार हो रहा है। अगर बोर्ड के चुनाव हो जायंगे तो उनका यह कंट्रोल नहीं रहेगा, अपना काम करने के लिये, प्रचार करने के लिये उनको इतने अध्यापक नहीं मिलेंगे। उतने मेट और उतने सुपरवाइजर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उनको काम करने के लिये नहीं मिल पायेंगे। इसलिये, उनसे एलेक्शन में काम कराने के लिये यह व्यवस्था की जा रही है। नहीं तो और क्या वजह हो सकती है जो वह इस मांग को नहीं मानते। क्यों वह वहां चुनाव नहीं करा सकते ? एडल्ट फ्रेंचाइज, जिस के सिद्धान्त को वह मानते हैं, लाचारी है कि हो सकता, उसके आधार पर वहां चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन जो लिमिटेड फ्रेंचाइज है उसमें भी जो व्यापकता हो सकती है वह क्यों नहीं लाई गई ? सन् १९४८ में जिला बोर्ड के जो प्रतिनिधि हैं वे ही बरकरार रहेंगे, लेकिन १९५५ में जो गांव सभा के सभापति आये, भारत सेवक समाज के कुछ लोग आये, या कृषि पंडित वगैरह वगैरह जो लोग है, या नामांकन हो कर जो महिला अथवा हरिजन वर्ग के कुछ लोग आये हैं, उनको तो मंत्री जी ठीक समझते हैं। अगर वे ठीक हैं तो वे भी ज्यादा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं वहां की जनता का बरअक्स उन लोगों के कि जो नामांकित हो कर आये हैं। माननीय मंत्री जी यह कहने की हिम्मत करें कि हम नामांकन किये हुए व्यक्तियों को वापस लेते हैं, नामांकन नहीं होगा। लेकिन वैसा भी सरकार नहीं कर सकती। ऐसा करने से कांग्रेस का बहुमत नहीं रह जायगा और एलेक्शन पर चोट पड़ेगी। यहां तो चुनाव को देखना है। लोगों को दिखाना है कि हम चोर दरवाजे से नहीं घुसे हैं, डाइरेक्ट एलेक्शन से आये हैं। दुनिया को दिखाने के लिये भले ही यह बात हो, लेकिन यह सारी साजिश एक एलेक्शन को जीतने के लिये ही है। आज इंफार्मेशन आफिसर वहां एक हफ्ते तक दौरा करते हैं, इंफार्मेशन की जीपें वहां दौड़ती हैं, तो दिस इज ए फार्स आफ एलेक्शन। एलेक्शन का यह एक मजाक मात्र है। लोगों को टेरोराइज करके एलेक्शन जीतना कोई एलेक्शन जीतना नहीं होता। कल को हिटलर और मुसोलनी भी कह सकता है कि हम तो अपने जर्मनी के मनोनीत नेता हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अगर अब भी थोड़ी सी हया बाकी है तो मेरी बात मानें, वैसे कांग्रेस की डिक्टेटरशिप तो जारी रहेगी ही।

श्री अधिष्ठाता—माननीय स्वायत्त शासन मंत्री को यदि कुछ कहना हो तो कहें।

श्री कैलाशप्रकाश—अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ अधिक कहना नहीं है इसमें। केवल इतनी ही बात कहनी है कि माननीय विष्ट जी ने इस सिलसिले में माननीय गुप्ता जी के एलेक्शन का नाम ले लिया। इसके पूर्व जब पंचायतों के चुनाव हुए थे तो गुप्ता जी के लड़ने की बात नहीं थी लेकिन उस समय भी पहाड़ी इलाके में पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे, अब भी नहीं हुए हैं। मिर्जापुर के पहाड़ी क्षेत्र में भी नहीं हुए हैं, गढ़वाल में भी नहीं हुए हैं। यह मौसम की वजह से है। अब उनको अख्तियार है कि जिस तरह से चाहें वे इस बात के माने लगावें, लेकिन उनका यह संशोधन मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के तृतीय प्रतिबन्ध के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:—

"प्रतिबन्ध यह भी है कि सन् १९६०–६१ में कुमायूं डिवीजन के जिन ब्लाक (खंडों) में जो स्थायी सभापति चुने गये हैं वे सब अन्तरिम जिला परिषद् के विधिवत् निर्वाचित सदस्य समझे जायंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—चूंकि ४ बजे तक इसको पारित करना है अतः अब मैं नाम पुकारता जाऊंगा और एक-एक संशोधन लूंगा....

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, बस एक संशोधन और पेश करने की इजाजत दे दें। उसके बाद आप गिलोटीन करा लें।

आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के आखिरी प्रतिबन्ध के बाद एक और प्रतिबन्ध जोड़ा जाय कि—

'और प्रतिबन्ध यह है कि भतपूर्व जिला बोर्डों द्वारा भेजे गये समस्त प्रतिनिधि अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।'

तथा इसी तृतीय प्रतिबन्ध के आरम्भ में लिखा हुआ शब्द 'और' हटाया जाय।

श्रीमन्, न तो यह सरकार चुनाव करा सकती है, और न हमारी कोई बात को ही मानने के लिये तैयर है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन यह करूंगा कि वे हमारे इस संशोधन को ही मान लें। श्रीमन्, आप देखें कि पहले जिन्हें रायबहादुर कहा जाता था, आज सरकार अपनी पार्टी के वैसे ही लोग भेजती है जो एक तरह से रायबहादुर ही हम कह सकते हैं। श्रीमन्,जिस समय जिला नियोजन समितियों का संगठन हुआ उस समय दो मेम्बर उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के थे और उसके बाद जब जिला अंतरिम परिषद् बनी तो दो सदस्य तो गैर कानूनी तरीके से उसके रहे, और ५ कार्यकारिणी के सदस्य लिये गये। इस तरह से वे कुल ७ हुये और एक जो पुराना जिला बोर्ड का अध्यक्ष था उसे उपाध्यक्ष बना दिया गया, तो कुल ८ सदस्य यही हो गये। इसी तरह से और सदस्य होंगे। अब एक ही तरकीब हमारे सामने रह जाती है कि यह नामिनेशन वाली बात को न रखा जाय मगर यह सरकार उसको मानेगी नहीं क्योंकि सरकार तो जानबूझ कर लोगों को नामांकित करके वहां बिठाना चाहती है ताकि दूसरा कोई न आ सके और जनता को धोखा दिया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे इस संशोधन को कम से कम मान लें, इसी से कांग्रेस की इज्जत रह सकती है वरना भगवान् ही मालिक है।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, माननीय विष्ट जी ने एक तो भविष्य वाणी की है और दूसरा निवेदन किया है। मैं उनके निवेदन को अस्वीकार करता हूं क्योंकि मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है। हां, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मंत्री जी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, उसे मैं स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के आखिरी प्रतिबन्ध के बाद एक और प्रतिबन्ध जोड़ा जाय कि—

'और प्रतिबन्ध यह है कि भूतपूर्व जिला बोर्डों द्वारा भेजे गये समस्त प्रतिनिधि अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे'।

तथा इसी तृतीय प्रतिबन्ध के आरम्भ में लिखा हुआ शब्द "और" हटाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—अब मैं एक एक करके संशोधन को लेता हूं और उस पर मत लूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (३) की अन्तिम पंक्ति के "द्वारा" तथा "निर्वाचित" के बीच शब्द "अपने में से" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री नवलकिशोर—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अच्छा यह हो कि मत लेने से पूर्व आप माननीय मंत्री जी से यह पूछ लिया करें कि वह संशोधन उन्हें स्वीकार है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता—श्री नागेश्वरप्रसाद जी ने अपने ३—घ पर छपे हुये संशोधन को स्पष्ट करने के लिये दूसरा संशोधन भेजा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, इस प्रकार के नये संशोधन तभी पेश हो सकते हैं जब कि उस पर कोई एतराज न करे। मैं इस पर एतराज करता हूं।

श्री नागेश्वरप्रसाद—अधिष्ठाता महोदय, यह कोई नया संशोधन नहीं है। जो ३–घ पर छपा हुआ है उसी के स्थान पर है।

श्री अधिष्ठाता—जो छपा है वह इस प्रकार से है :

'खंड ३ के उपखंड (३) की अंतिम पंक्ति में "सदस्यों द्वारा" तथा "निर्वाचित" के बीच में शब्द "परिषद् के निर्वाचित सदस्यों द्वारा" रख दिया जाय।

अब उन्होंने लिखकर दिया है कि उनके संशोधन की द्वितीय पंक्ति में "परिषद् के निर्वाचित सदस्यों द्वारा" में से शब्द "द्वारा" के स्थान पर "में से" रख दिया जाय।

श्री कैलाशप्रकाश—यह मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (३) की अंतिम पंक्ति में "सदस्यों द्वारा" तथा "निर्वाचित" के बीच में शब्द "परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ का उपखंड (४) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—३ –ङ ङ पर श्री नवलकिशोर जी का संशोधन है।

श्री कैलाशप्रकाश—यह मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (५) (ख) में शब्द "विधान मंडल का सदस्य" तथा शब्द "हो" के बीच में शब्द "या नगरपारिका का अध्यक्ष" रख दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (५) की मद (ख) निरसित की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (५) (घ) के बाद नया उपखंड (ङ) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

"(ङ) अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि से पूर्व जो जिला अन्तरिम परिषद् का नियमतः निर्वाचित सदस्य न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, नहीं की संख्या अधिक है। मैं डिवीजन की मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—आपने समय पर डिवीजन नहीं मांगा? मैं फैसला दे चुका था तब आप खड़े हुए।

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, मैं पहले ही खड़ा हुआ था, आप उधर देख रहे थे।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, एक मौका और दे दिया जाय। श्रीमन्, जिन आदमियों ने देश के लिये कभी कुछ नहीं किया, आजादी की लड़ाई में कभी आगे नहीं आये जो सच्चे आदमी हैं उनकी आवाज आज सुनाई भी नहीं पड़ती है। कभी कुछ देश के लिये किया नहीं आज बरसाती मेढक की तरह टर्र-टर्र करने लगे।

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया बैठें।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के (५) (घ) के पश्चात् यह बढ़ा दिया जावे ---

"(ङ) किसी सहकारिता संघ या समिति का सदस्य अथवा पदाधिकारी हो।

(च) किसी समय जिला बोर्ड का अध्यक्ष रहा हो और अविश्वास के मतों के द्वारा हटाया जा चुका हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१९,

विपक्ष में---७७।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (८) की प्रथम पंक्ति के शब्द "म्युनिसिपल बोर्ड या" निकाल दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

उ०प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा ६ का संशोधन

४---मूल अधिनियम की धारा ६ में---

(१) खंड (२) में जहां भी शब्द "क्लेक्टर" आया हो उसके स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय, और

(२) खंड (७) के उपखंड (ख) में से शब्द "इस अधिनियम के अधीन नियुक्त" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति" रख दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

उ०प्र०अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा ७ का संशोधन

५---मूल अधिनियम की धारा ७ में---

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

(२) अध्यक्ष अनुपस्थित में उपाध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् की बैठकों में सभापतित्व करेगा और मतों की संख्या बराबर होने की दशा में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। वह ऐसे अन्य कृत्यों का भी सम्पादन करेगा जो उसे इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या अंतरिम जिला परिषद् द्वारा सौंपे जायें;" तथा

(२) उपधारा (३) निकाल दी जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) के शब्द 'उपधारा' के पश्चात् तथा अंक (२) के प्रथम अंक तथा शब्द '(१) व' भी रख दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--२४,

विपक्ष में--८७।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५ (२) को हटा दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

उ०प्र०अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा ८ का संशोधन

६--मूल अधिनियम को धारा ८ को उपधारा (१) अंत में आये हुये पूर्णविराम के पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें--

"इन नियमों में सम्भाव्य रिक्तियों को भरने के लिये पहले से कार्यवाही करने की व्यवस्था भी की जा सकती है।"

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ६ में शब्द "की जा सकती है" के पश्चात् निम्नांकित जोड़ा जाय--"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष के चुनाव से तीन महीने भीतर कोई सम्भाव्य रिक्ति को सरकार द्वारा मनोनीत कर नहीं भरी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ६ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७--८

उ०प्र०अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा १२ का संशोधन

७--मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (६) में शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय।

निरसन उ० प्र० अध्यादेश संख्या ५, १९६० यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४।

८--उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश १९६०, निरस्त किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निस्तर और पुनः अधिनियमित की गई अधिनियमति (enactment) हो।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ७ व ८ विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये — उ०प्र०अधिनियम संख्या २२, १९५८

विधेयक

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिये गवर्नर ने ३० दिसम्बर, १९६० को उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश १९६० प्रख्यापित किया था ; — उ०प्र०अधिनियम संख्या २२, १९५८ उ०प्र०अध्यादेश संख्या ५, १९६०

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश, जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन विधान-मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्त्तन में न रहेगा, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा । — संक्षिप्त शीर्ष नाम

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कैलाशप्रकाश—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय ।

मुझे इसके सम्बन्ध में कोई विशेष निवेदन करना नहीं है अलावा इसके कि एक संशोधन जो इसमें हो गया है उसके सम्बन्ध में मेरी यह प्रार्थना नहीं मानी गई कि जब कोई संशोधन आये तो जिस तरह प्रस्तावक को खड़े होने का अधिकार दिया जाता है मुझे भी दिया जाता और इसलिये वह पारित हो गया । मुझे और कुछ निवेदन करना नहीं है । मैं इसके लिये माननीय सदस्यों का आभारी हूं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मैं थोड़ा सा विरोध करना चाहता हूं । मंत्री जी ने जो कहा वह तो चेयर पर एक एसपरशन है, उसे उन्हें वापस लेना चाहिये । दरअसल बात यह है कि मतदान के समय बहुमत दल के लोगों में कोई तो तम्बाकू फांक रहा था कोई सुरती मल रहा था और उसी नशे में सारे के सारे 'हां' कह गये और अब कहते हैं कि जोड़ने की इजाजत नहीं देते । आपने पेश किया, आप रुके रहे जब 'हां' कहा तब आपने फैसला दिया । उन के यहां तो यह है कि पीछे से लोग 'हां' घसीट ले जाते हैं और इस समय कह रहे हैं कि आपने प्रार्थना नहीं मानी । लेकिन देखा जाय कि इस से तो एक प्रजातांत्रिक भावना इसमें आई है । कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होगा जो निर्वाचन तिथि से पूर्व अन्तरिम जिला परिषद् का नियमतः निर्वाचित सदस्य न हो । मतलब यह है कि प्रेसीडेंट को एक ऐलेक्टेड मेम्बर होना चाहिये, वह गांव सभाओं के प्रतिनिधि होंगे जिनका कि माननीय मंत्री जी को बड़ा दुख दर्द है । अगर वह नान-आफिशयल हो जायगा तो मंत्री जी को क्या कष्ट है । मंत्री जी नहीं चाहते कि गांव

के आदमी आगे बढ़ें, । उन के जूते पड़ें शहर वाले आगे रहें अथवा डिप्टी कमिश्नर अध्यक्ष रहें। एम ० एल० ए० जो उसके नीचे बैठता था , लेकिन आज सरकार डिप्टी कमिश्नर को गैर सरकारी सदस्य के नीचे नहीं रख सकती क्योंकि इससे ब्यूरोक्रेसी की बेइज्जती होगी। अब गांव का आदमी आगे बढ़ता है। गांव के लिये सरकार कहती है कि हम उनकी तरक्की करना चाहते हैं लेकिन आज ग्रामीण वहां पर उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता क्यों कि मंत्री जी को तकलीफ हो रही है । पूज्य बापू कहते थे कि हिन्दुस्तान गांवों में बसता है, लेकिन माननीय मंत्री जी इसका उल्टा करते हैं । हरिजनों से बड़ा प्रेम है कांग्रेस का लेकिन, जब एक हरिजन भाई इस प्रदेश का मुख्य मंत्री हो रहा था तो उसे नहीं होने दिया । इसी तरह से गांव का आदमी सभापति होता है, उसे नहीं होने देना चाहते । .....

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे भी श्रीमन, कहने दें ।

श्री अधिष्ठाता—अब टाइम नहीं है, आप कृपया बैठिये ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, वैधानिक प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—घंटी के बाद कहियेगा ।

(घंटी बन्द होने पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा वैधानिक प्रश्न सुन लिया जाय । मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं कि इस विधेयक को पारित करने के लिये कार्य-मंत्रणा समिति ने ठीक ४ बजे तक का समय दिया था और वह अवधि बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की गई किसी भी अधिकार के अन्तर्गत । यदि आपको अधिकार होता तो अवश्य करते । तो अब ४ बज कर ३ मिनट पर इसको पास करने की इस हाउस में पात्रता मैं नहीं समझता हूं । इसलिये इसकी व्यवस्था करें ।

श्री अधिष्ठाता—मैंने ४ बजे के पहले यह प्रश्न उपस्थित कर दिया था और चेयर को अधिकार भी है कि १–२ मिनट टाइम बढ़ाने का । इसलिये आपकी आपत्ति बेकार है ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१, जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—९६,

विपक्ष में—३० ।)

*उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूकरक विधेयक, १९६०

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सेपरेशन) अनुपरक विधेयक, १९६० [The Uttar Pradesh Evacuee Interest (Separation) [Supplementary Bill, 1960]. पर विचार किया जाय ।

(इस समय ४ बज कर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

---

*६ अक्तूबर, १९६० की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

इस संबंध में मुझे १, २ बातें कहनी हैं । यह सर्व विदित है कि जब पाकिस्तान बना तो कुछ मुसलमान भाई यहां से पाकिस्तान चले गये । ऐसे केसेज भी थे कि एक खानदान के दो आदमी चले गये बकिया यहां रह गये । तो उनकी जो जायदादें यहां रह गईं, जो चले गये वह तो इवैकुई प्रापर्टी हो गई, और जो रह गये उनकी नान-इवैकुई प्रापर्टी हो गई । लेकिन यह सब मुश्तरका थी । इवैकुई पर कस्टोडियन काबिज हुआ और नान-इवैकुई पर वह लोग जो यहां रह गये । तो एक कम्पोजिट प्रापर्टी हो गई । उसके लिये पार्लियामेंट ने एक कानून १९५१ में बनाया इवैकुई प्रापर्टीज इंटरेस्ट (सैपरेशन) विधेयक और उस ऐक्ट को इस राज्य सरकार के लेजिस्लेचर ने अडाप्ट किया । अब पार्लियामेंट ने ओरिजिनल ऐक्ट को तरमीम किया । उसमें कोई मियाद नहीं रखी गई थी कि क्लेम्स कितने दिनों के अन्दर दाखिल हों । इसके न होने की वजह से इवैकुई प्रापर्टी सैपरेशन का जो कार्य है वह खत्म नहीं होता है । लोग बैठे हुये हैं और दरख्वास्त नहीं दे रहे हैं । इसलिये पार्लियामेंट ने एक टाइम लिमिट रख दी है । उसमें १५ अक्तूबर से अपना ऐक्ट लागू किया है और १ साल के अन्दर लोग अपने अपने क्लेम दाखिल करना चाहें, दाखिल करें । तो दफा ६ में एक सब-क्लाज बना दिया है उसके जरिये से १५ अक्तूबर से १ साल की मियाद रखी गई है और दफा ७ जो मूल विधेयक की थी उसमें यह था कि नोटिस मिलने से ६० दिन के अन्दर क्लेम दाखिल करें । और अगर ६० दिन के अन्दर क्लेम नहीं दाखिल होता है तो दफा ७ में कम्पीटेंट अफसर को अधिकार था कि वह डिले को कनडोन कर दे और उनका क्लेम दाखिल कर ले । वह पावर अब कम्पीटेंट अफसर से निकाल ली है और जो तरमीमशुदा ऐक्ट है उसी को हम इस बिल के जरिये से अडाप्ट कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—(श्री टीकाराम जी से) आप क्या विरोध कर रहे हैं ?

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—जी हां । इवैकुई प्रापर्टी के संबंध में यह बिल है और यह तीन दफा आ चुका है १९५१ में १९५३ में और १९६० में । १९६० में यह तरमीम की गई है कि एक साल की मियाद रखी गई थी उस प्रापर्टी के लिये जो कहीं की कहीं पड़ी हुई है । उस १ साल की तरमीम के बाद अब यह तरमीम की गई है कि उनको नोटिस मिलने के बाद ६० दिन दिये जांय और अगर वह नोटिस नहीं देंगे तो उनका वह सब मामला खत्म हो जायगा । इसमें जो उनके यहां अमल हो रहा है उसके ऊपर क्या हुआ ? जो इवैकुई आये हैं उनका क्या हाल है ? शरणार्थियों की जो प्रापर्टी है उसके संबंध में मेरे शहर बदायूं में यह हाल है कि जिन लोगों को मकानात दिये गये, जिनको मकानात नीलाम किये गये उनसे कीमत ले ली गई और दो साल की मियाद दी गई थी कि मकान खाली करवा दिये जायेंगे लेकिन आज चार साल हो गये, न मकान खाली करके दिये गये और न रुपया उनका वापस किया गया । मकान किसी को एलाट है और रुपया उनको वापस मिलता नहीं है ।

जमीन का भी यही हाल है । ७, ७ साल का लगान लेते रहे । जमीन किसी के नाम से खरीदवाई गई और नाम किसी के हैं । दखल खरीदने वाले को मिल नहीं रहा है । दखल भी नहीं मिलता और रुपया भी चला गया । ये आफतें आ रहीं हैं । लोग दूर दूर फैले हुये हैं ।

इत्तिलानामा का भी यह हाल है कि महीनों पड़े रहते हैं और बिना पैसे दिये इत्तिलानामे भी नहीं पहुंचते । तो ऐसी हालत में मियाद घट रही है उसे घटाना नहीं चाहिये । लोगों को खबर नहीं मिलती । उनका हिस्सा मारा जायगा । मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, जो मेरे मित्र ने कहा उसका संबंध इस बिल से नहीं है । इस विधेयक में जो उसूल रखा गया है उसे पार्लियामेंट ने माना है और उस उसूल को इस सदन ने भी जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट में पुनर्वास के सिलसिले में पहले ही मान लिया है । उसमें भी हमने मियाद मुकर्रर की है रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के लिये कि इतनी मियाद के अन्दर हर-एक दरख्वास्त गुजरना चाहिये और वह कानून बन कर के हमारे प्रदेश में लागू है । इस सिद्धान्त को इस सदन ने मान लिया है और वही सिद्धान्त इसमें भी है । लिहाजा उसमें कोई हर्ज नहीं है ।

इसके अलावा यह जो कानून लागू होगा वह इंडिविजुअल इसमें दरख्वास्त नहीं दे सकता बल्कि काम्पीटेन्ट आफिसर खुद नोटिस ले सकता है। इसलिये उसमे कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है। फिर मियाद मुकर्रर न की जाय तो कितने वक्त तक यह टेम्पोरेरी डिपार्टमेंट चलाया जायगा। यह वांइड अप हो रहा है। लिहाजा हर काम को जल्दी से जल्दी करके इससे निर्वाण हासिल करना चाहते हैं और केन्द्रीय सरकार भी ऐसा करना चाहती है। इसलिये इस विधेयक में कोई एतराज की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टेरेस्ट (सैपरेशन) अनुपूरक, विधेयक, १९६० [The Uttar Pradesh Evacuee Interest (Separation) Supplementary Bill, 1960.] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खंड १ व २

उत्तर प्रदेश इवैकुई इन्टरेस्ट (सैपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६०

इवैकुई इंटरेस्ट (सैपरेशन) ऐक्ट, १९५१ के कुछ उपबन्धों की अनुपूर्ति के लिये

विधेयक

इवैकुई इन्टरेस्ट (सैपरेशन) ऐक्ट, १९५१ के कुछ उपबन्धों की अनुपूर्ति करना आवश्यक है:— ऐक्ट संख्या ६४, १९५१

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इवकुई इन्टरेस्ट (सैपरेशन) अनुपूरक अधिनियम, १९६० कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह इवैकुई इन्टरेस्ट (सैपरेशन) (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९६० की धारा १ की उपधारा (२) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा निश्चित दिनांक से प्रचलित होगा और उस दिनांक से प्रचलित हुआ समझा जायगा। ऐक्ट संख्या २७, १९६०

२—इवैकुई इन्टरेस्ट (सैपरेशन) (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९६० द्वारा इवैकुई इन्टरेस्ट (सैपरेशन) ऐक्ट, १९५१ में किये गये संशोधन, जहां तक वे ऐसे विषयों से सम्बद्ध हैं जिनके संबंध में राज्य विधान मंडल को उत्तर प्रदेश के लिये विधि बनाने का अधिकार है, किन्तु संसद् को नहीं है, उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार भावी और वैध होंगे जैसे उक्त उपबन्ध उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा अधिनियमित किये गये हों। इवैकुई इंटरेस्ट (सैपरेशन) (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९६० की राज्य में प्रवृत्ति

श्री अध्यक्ष—अब इसमें कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड १, २, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सैपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६० [The Uttar Pradesh Evacuee Interest (Separation) Supplementary Bill, 1960.] पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सैपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६० [The Uttar Pradesh Evacuee Interest (Separation) Supplementary Bill, 1960.] पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का स्थगन

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अब कोई काम नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—सरकार को हर मौके के लिये तैयार रहना चाहिये।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—यह फैसला हो गया था कि अगर यह विधेयक जल्दी समाप्त हो गया तो इसके बाद कोई काम नहीं लिया जायगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—यह तय नहीं हुआ था कि कोई काम नहीं लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—उनको भ्रम हो जाता है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मैं मूव कर सकता हूं लेकिन चूंकि ऐसी बात हुई थी इस वजह से हमने कहा, वरना ,अगर आप लोगों को कुछ उजलत हो तो हम तैयार हैं, हम मूव कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—आप लोग चाहते हैं कि विधेयक पेश किया जाय ?

श्री प्रतापसिंह—जी नहीं, आज रहने दीजिये। (हंसी)

श्री अध्यक्ष—तो अब हमको कोई काम नहीं है। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

श्री देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२२ फरवरी, १९६१।

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९ पर)

DEMANDS

1. The workers working on daily wages should be given quarter allowances with retrospective effect.

2. The workers working for more than three months, six months and one year according to their categories should be made permanent as provided under the certified Standing Orders of the factory.

3. Conveyance allowances should be given to the workers who come from more than three miles, to work in the factory with retrospective effect.

3. Grades should be framed for the different categories of the workers.

5. Job analysis should be made for the different posts in the factory.

6. The workers should be given a minimum wage of Rs. 75 per month.

7. The wages of the workers getting less than five hundred should be increased at the rate of Rs. 25 per cent.

8. The Watch and Ward should be provided woollen uniform in the winter season. The Watch and Ward staff should also be allowed weekly holiday.

9. The workers working on the machine should be provided over-all.

10. Electricity should be provided free of charge to the workers residing in the factory colony.

11. The workers working on the cooling tower should be provided woollen uniform in the winter season.

12. Vacancies in the factory should be filled up by the workers by promotion from one cadre to other.

13. The contract system in the factory should be completely abolished and the workers working under contractors' control should be taken on the muster rolls of the factory and should be allowed facilities and amenities which other workers of the factory are enjoying.

14. The workers working in the coal and dust should be given soda, *gur*, oil and cloth.

15. No discrimination should be made between the workers on labour rolls and staff rolls. The workers who are on labour roll should be given all those facilities which the workers on the staff rolls are availing.

16. Canteen and Rest Room should be built in the factory premises.

17. The vacancies in the factory in future should be filled up by the local people if they are suited to the job.

18. Services of the casual workers working on the permanent nature of jobs should be undertaken at the short interval, and when they complete the period as provided in the Standing Orders should be made permanent.

Yours faithfully,

For *Chemical Factory Mazdoor Union.*
(Sd.) S. R. VISHWANATHAM,
General Secretary.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर)

सन् १९६० में माताटीला परियोजना के लिये प्लांट और इक्विपमेंट को खरीदने के लिये नीचे लिखी हुई चीजों तथा कामों के लिये टेंडर मांगे गये थे :—

१—हाईड्रोलिक टरबाईन्स, जेनरेटर्स, ट्रांसफारमर्स तथा एक्ससरीज के लिये ।

२—झांसी और कानपुर के बीच १३२ के० वी० ए० सी० लाइन बनाने के लिये ।

३—विद्युत् गृह के लिये स्विच-गियर तथा प्रोटेक्टिव ईक्विपमेंट के लिये।

उपरोक्त टेंडरों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है—

१—सेंट्रल वाटर एन्ड पावर कमीशन ने टरबो सेटों के संबंध में की गई सिफारिश को स्वीकृत कर लिया है और उसका कंट्रैक्ट अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है। ट्रांसफार्मर्स की सप्लाई के संबंध में कमीशन से अब भी बातचीत चल रही है।

२—१३२ के० वी० ए० सी० लाइन के टेंडर आ चुके हैं और उनकी जांच की जा रही है ।

३—स्विच-गियर प्रोटेक्टिव ईक्विपमेंट के टेंडर फरवरी, १९६१ के अन्त तक प्राप्त किये जान की संभावना है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२० पर)

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने के लिये

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५३

विधेयक

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३, को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये गवर्नर द्वारा २५ जनवरी, १९६१ को उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ प्रख्यापित किया गया था।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५३
उ० प्र० अध्यादेश संख्या १, १९६१

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश, जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन, विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रह जायेगा, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम

२—उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ की धारा २ में संख्या "१९६१" के स्थान पर संख्या "१९६४" रख दी जाय।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५३ की धारा २ का संशोधन

३—उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो उक्त अध्यादेश उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त तथा पुनरधिनियमित कोई अधिनियमिति हो।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या १, १९६१ का निरसन
यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४

उद्देश और कारण

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट १९४७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम, १९५३ द्वारा पुनर्विनियमित हुआ था तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन), अधिनियम, १९५५, उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५५ तथा उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम १९५७ द्वारा बराबर प्रभावी रखा गया था, (१) फायर ब्रिक्स (ताप प्रतिरोधी ईंटों) से भिन्न ईंटों पर तथा (२) "जलाने की लकड़ी" (fire-wood) पर आवश्यक नियंत्रणाधिकारों की व्यवस्था करता है। यह अधिनियम अर्थात् यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) अधिनियम १९४७, २५ जनवरी, १९६१ को समाप्त हो जाने को था।

२—राज्य के विकास कार्य क्रमों के संबंध में तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मे बढ़ते हुये भवन निर्माण के कारण भी ईंटों की मांग बढ़ रही हैं। अतएव उचित मूल्य पर ईंटों के सम्भरण (supply) का विनियमन आवश्यक है।

३—यद्यपि उत्तर प्रदेश ईंधन की लकड़ी (संचारण तथा मूल्य) नियंत्रण आदेश, १९५८ दिनांक १७ सितम्बर, १९५९ से रद्द कर दिया गया है, फिर भी इस दृष्ट से कि साफ्ट कोक का सम्भरण अपर्याप्त, अनिश्चित तथा अनियमित हैं, यह आवश्यक है कि राज्य में जहां कहीं आवश्यक हो जलानें की लकड़ी (fire-wood) को लाने ले जाने तथा उसके वितरण को विनियमित करने के लिये मूल अधिनियम के अधीन अधिकारों को बनाये रखा जाये।

४—इन पदार्थों का जितना भी सम्भरण उपलब्ध होता है उसके भीतर अधिकाअधिक उपभोक्ताओं को अधिकतम सुविधायें देने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि इन पदार्थों पर अगले तीन वर्ष तक वर्तमान नियंत्रण और जारी रखा जाये।

५—चूंकि मूल अधिनियम की अवधि २५ जनवरी, १९६१ को समाप्त हो जाती और राज्य विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिये गवर्नर ने उक्त अधिनियम को प्रचलित रखने के लिये उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) अध्यादेश, १९६१ प्रख्यापित किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन उक्त अध्यादेश विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रह जायेगा, इसलिये उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९६१ पुरःस्थापित किया जाता है।

चन्द्र भानु गुप्त,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२६८ एल० ए०—१९६१—८४५।